SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 2

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 2

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v
	कार्यकारी सारांश	1-4
	अध्याय-I	
	परिचय	
1.1	पृष्ठभूमि	5
1.2	योजना के उद्देश्य	5
1.3	अभिसरण	5
1.4	लाभार्थी सहायता सेवाएँ	5
1.5	इलेक्ट्रोनिक सेवा वितरण मंच	6
1.6	झारखण्ड में पीएमएवाई-जी	6
1.6.1	राज्य में पात्र लाभार्थी	7
1.6.2	राज्य में आवासों की स्वीकृति एवं निर्माण	9
1.7	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	9
1.8	लेखापरीक्षा के मानदंड	9
1.9	लेखापरीक्षा का दायरा एवं कार्यपद्धति	10
1.10	प्रतिवेदन की संरचना	11
	अध्याय-II	
	लाभार्थियों की पहचान एवं चयन	
2.1	ग्राम पंचायतों के पास अभिलेखों की अनुपलब्धता	13
2.1.1	जिला अपीलीय समिति	14
2.2.1	प्राथमिकता सूची/पीडब्लूएल में कमियाँ	15
2.2.2	अंतिम रूप से तैयार एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/ पीडब्लूएल से अपात्र लाभार्थियों को हटाना	17
2.3	आवास+लाभार्थी	24
2.4	भौतिक लक्ष्यों का अभ्यर्पण एवं प्रत्याहरण	25
2.5	भूमिहीन लाभार्थी	26
2.6	विशेष परियोजनाएँ	27
2.7	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण	29
2.8	वार्षिक चयन सूची	30
2.9	निष्कर्ष	30
	अध्याय-III	
	अभिसरण सहित योजना का क्रियान्वयन	
3.1	पीएमएवाई-जी का क्रियान्वयन	33

कंडिका		पृष्ठ संख्या
3.1.1	वार्षिक कार्य योजना	33
3.1.2	पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का पंजीकरण	34
3.1.3	आवासों का लक्ष्य, स्वीकृति एवं पूर्णता	35
3.1.4	आवास निर्माण में विलंब	37
3.1.5	अपूर्ण आवास एवं सहायता राशि की वसूली	37
3.1.6	संयुक्त भौतिक सत्यापन	40
3.2	लाभार्थियों को सहायक सेवाएँ	43
3.2.1	नमूना (डेमो) आवासों का निर्माण	44
3.2.2	लाभार्थियों द्वारा आवास डिज़ाइन प्रारूपों को न अपनाना तथा तकनीकी संस्थानों की पहचान न किया जाना	44
3.2.3	हरित आवासों का निर्माण	46
3.2.4	राजमिस्त्रियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं कौशल प्रमाणन	46
3.2.5	लाभार्थियों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में सुविधा प्रदान करना	49
3.3	अभिसरण	50
3.4	पीएमएवाई-जी आवासों के जियो-टैगिंग में कमियाँ	52
3.5	निष्कर्ष	52
	अध्याय-IV	
	वित्तीय प्रबंधन	
4.1	बजट प्रावधान, निधियों को जारी करना एवं व्यय	55
4.1.1	केंद्र के हिस्से को राज्य नोडल खाते में स्थानांतरित करने में विलंब	56
4.1.2	राज्य के संगत हिस्से को जारी करने में विलंब	57
4.2	प्रशासनिक निधि	57
4.2.1	निधियों का विचलन	58
4.2.2	प्रशासनिक निधियों की रोकड़ बही का अनुरक्षण	59
4.3	लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करने में विलंब	60
4.4	मनरेगा के अंतर्गत प्रति लाभार्थी कार्य-दिवस सृजन में कमी	61
4.5	अपात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करना	62
4.6	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा तैयार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अनियमितताएँ	63
4.7	निष्कर्ष	64

कंडिका		पृष्ठ संख्या
	अध्याय-V	
	अनुश्रवण एवं निरीक्षण	
5.1	राज्य/जिला/प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ	65
5.1.1	राज्य/जिला/प्रखंड पीएमयु का गठन	65
5.1.2	राज्य/जिला/प्रखंड पीएमयु के कर्तव्य	66
5.2	राज्य/जिला/प्रखंड स्तर पर अनुश्रवण	68
5.2.1	राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण	68
5.2.2	जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुश्रवण	69
5.2.3	प्रखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण	69
5.2.4	क्षेत्र अधिकारी अनुवीक्षण ऐप	70
5.3	ग्राम पंचायतों की भूमिका	70
5.4	सामाजिक लेखापरीक्षा	72
5.5	शिकायत निवारण तंत्र	73
5.5.1	केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली	73
5.6	आंतरिक लेखा-परीक्षा	74
5.7	सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से अनुश्रवण	74
5.8	निष्कर्ष	74
	परिशिष्ट	77-80
	संक्षिप्त रूपों की शब्दावली	81-82

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	1.9	जिलों, प्रखंडों, ग्राम पंचायतों एवं लाभार्थियों के चयन हेतु अपनाई गई सैम्पलिंग एवं सैम्पलिंग पद्धति को दर्शाने वाले विवरण	77
3.1	3.1.2	पंजीकरण पुस्तिका (2016) के अनुसार लाभार्थियों के पंजीकरण के समय अपेक्षित जानकारी	78
3.2	3.1.3	नमूना-जांचित जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान पूर्ण निर्माण किए गए पीएमएवाई-जी आवास	79
5.1	5.1.1	पीएमयू (राज्य/जिला/प्रखण्ड) में स्वीकृत पद-संख्या एवं कार्यरत कार्मिकों की स्थिति	80

प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत यह प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि को आच्छादित करते हुए झारखण्ड में 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य इसकी कमियों को उजागर करना, सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना तथा योजना के परिणामों को सुदृढ़ करने हेतु उपायों की अनुशंसा करना था।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए मामलों के साथ-साथ ऐसे मामलों से भी संबंधित हैं, जो पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आए थे किंतु पूर्व की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। आवश्यकतानुसार 2023-24 के पश्चात् की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों, निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा संबंधी विनियमों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

ग्रामीण विकास विभाग

झारखण्ड में "प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण" के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

भारत सरकार ने "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)" का आरंभ (नवंबर 2016), सभी ग्रामीण बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण आवासों में रहने वाले परिवारों को मूलभूत सुविधाओं वाले पक्के आवास प्रदान करने और पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (*आईएवाई*) की कमियों जैसे कि आवासों की कमी का आकलन न होना, लाभार्थियों के चुनाव में पारदर्शिता की कमी, बनाए गए आवासों की गुणवत्ता में कमी और तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी, अभिसरण की कमी, लाभार्थियों द्वारा ऋण न लेना और निगरानी की कमजोर प्रणाली इत्यादि को दूर करने के लिए किया।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

योजना के तय लक्ष्यों को पाने में इसकी अहमियत और ग्रामीण लाभार्थियों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, पीएमएवाई-जी (2019-24) का निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के दौरान किया गया। पीए का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या लाभार्थियों की पहचान, चयन और सत्यापन का तरीका पारदर्शी, पर्याप्त और पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों के अनुरुप था; क्या योजना का कार्यान्वयन जिसमें दूसरी योजनाओं के साथ अभिसरण भी शामिल है, दिशानिर्देशों के अनुरुप था; क्या योजना का वित्तीय प्रबंधन पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों और लागू होने वाले अन्य वित्तीय नियमों के अनुरुप था; और क्या योजना की निगरानी और मूल्यांकन का तरीका पर्याप्त तथा प्रभावशाली था। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य, विद्यमान कमियों को उजागर करना, उनके सुधार के लिए उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना और योजना के परिणामों को मजबूत बनाने के उपायों की सिफारिश करना है।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पीएमएवाई-जी के योजना में कमी थी, क्योंकि सिस्टम द्वारा तैयार एसइसीसी.- प्राथमिकता सूची/स्थाई प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) को ग्राम सभाओं और जिला अपीलीय समितियों द्वारा ठीक से सत्यापित नहीं किया गया अथवा इसे ठीक से अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया था, जिससे 2.90 लाख ऐसे अपात्र लाभार्थी शामिल हो गए जिन्हें बाद में योजना के कार्यान्वयन के दौरान (2017-18 से 2023-24) ग्राम सभा द्वारा हटा दिया गया। खास बात यह है कि नमूना-जांचित छः जिलों में चयनित 60 ग्राम

पंचायतों (ग्रा.पं.) में कोई भी ग्राम पंचायत 2016-2024 के दौरान अंतिम/निर्णायक पीडब्ल्यूएल तैयार करने से संबंधित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाया। राज्य द्वारा नवंबर 2022 तक इस योजना के तहत 22.34 लाख योग्य परिवारों की पहचान की गई थी। हालांकि, एसईसीसी प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में अशुद्धियां, राज्य द्वारा लक्ष्यों का उपयोग करने में असमर्थता और आवास+ लाभार्थियों को अंतिम रूप देने में दो साल के विलंब के कारण भारत सरकार द्वारा केवल 16.02 लाख आवासों का आवंटन किया गया। परिणामस्वरुप, 6.32 लाख योग्य परिवार (28 प्रतिशत) इस योजना में शामिल नहीं हो सके। इस सीमित किए गए लक्ष्य के तुलना में, राज्य द्वारा 2016-24 के दौरान 15,92,124 आवासों को स्वीकृति दी गई और जनवरी 2025 तक 15,62,249 आवास (98 प्रतिशत) बनाए गए। राज्य ने खनन या पट्टे वाले क्षेत्रों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त राशि जारी करने के लिए विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर समर्पित नहीं किए। इसके अलावा, लाभार्थियों के चयन/आवासों की स्वीकृति के समय ग्राम पंचायत/प्रखंड/जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जमीन की स्थिति का सत्यापन नहीं किया गया था। आवासों की स्वीकृति के लिए जमीन देने के बजाय, प्राथमिकता सूची/स्थाई प्रतीक्षा सूची से भूमिहीन लाभार्थियों को रिमांड करना/हटाना; दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित लाभार्थियों के अलग आँकड़े न रखना और 2019-24 के दौरान वार्षिक चयन सूची तैयार न करना भी लेखापरीक्षा में पाई गई।

(अध्याय 2)

अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण सहित योजना का कार्यान्वयन अपर्याप्त था। साथ ही, इसमें पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन की रूपरेखा (एफएफआइ) का अनुपालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पीएमएवाई-जी को लागू करने में कई कमियां/खामियां देखी गईं, जैसे कि 2019-24 के दौरान नमूना-जांचित जिलों द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार न किया जाना, जिसके कारण आवासों को समय पर पूरा करने के लिए कोई प्रभावी योजना/रोडमैप नहीं बन पाना, नमूना-जांचित लाभार्थियों के पंजीकरण में कमियां, लक्ष्य की तुलना में कम आवासों को स्वीकृति देना जिससे लक्ष्य का पूरा न होना, निर्धारित 12 महीने के समय-सीमा के मुकाबले आवासों को पूरा करने में एक साल से लेकर तीन साल से ज़्यादा का विलंब, उन आवासों के लिए अगली किस्तें जारी करना जिनका 'निर्माण नहीं किया जाना है' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, गुणवत्ता वाले आवासों के निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की सुविधा न देना, लाभार्थियों को उपयुक्त आवास के डिज़ाइनों और संबंधित लागतों से परिचित करने के उद्देश्य से दो जिलों (पूर्वी सिंहभूम और राँची) को छोड़कर सभी जिलों में डेमो आवास बनाने की पहल का अभाव, क्षेत्रीय आवास टाइपोलॉजी को न अपनाना और लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी संस्थान की पहचान न

करना। इसके अलावा, हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए हरित डिज़ाइन को न अपनाने, राजमिस्त्रियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण, आवासों के निर्माण में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रियायती दरों पर ऋण की सुविधा न देने, अन्य राज्य/भारत सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से बनाए गए आवासों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, बिजली, पीने के पानी की सुविधाओं आदि की व्यवस्था में कमी, जियो टैगिंग में कमियां आदि भी लेखापरीक्षा में पाई गई। हालांकि झारखण्ड को दिसंबर 2018 में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन जेपीवी (अगस्त 2024 से दिसंबर 2024) में लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए 48 प्रतिशत आवासों में शौचालय की सुविधा नहीं पाई गयी थी, जबकि राज्य पीएमयू (अप्रैल 2024) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके पीएमएवाई-जी आवासों में से आठ प्रतिशत में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

(अध्याय 3)

पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय प्रबंधन अपर्याप्त था। राज्य में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल खर्च ₹14,113.07 करोड़ (70 प्रतिशत) था, जबकि कुल उपलब्ध राशि ₹20,199.98 करोड़ थी, जिसमें 2019-24 के दौरान राशि का इस्तेमाल 55 से 83 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2019-24 के दौरान केंद्र सरकार का हिस्सा एसएनए को हस्तांतरित करने में तय समय से तीन से 92 दिनों की विलंब लेखापरीक्षा में देखी गई। जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर ₹22.39 करोड़ का दंडात्मक ब्याज का दायित्व हुआ। 2019-24 के दौरान राज्य का संगत हिस्सा एसएनए को हस्तांतरित करने में भी आठ से 79 दिनों की विलंब हुई। इसके अलावा, वर्ष 2019-24 के दौरान ₹503.75 करोड़ के उपलब्ध प्रशासनिक निधि में से केवल ₹202.91 करोड़ (40 प्रतिशत) का ही इस्तेमाल किया गया, जिसका मुख्य कारण लाभार्थियों को सहायता सेवाएं न देना और राजमिस्त्रियों को दी जाने वाली प्रशिक्षण में कमी थी। अन्य कमियों में प्रशासनिक निधि का गलत खर्चों में इस्तेमाल, लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने में देरी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मानव दिवस के सृजन में कमी, अपात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करना, और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में विलंब और संपरीक्षित लेखाओं में गलतियाँ शामिल हैं, जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निगरानी की कमी को दर्शाता है।

(अध्याय 4)

राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर पीएमयू द्वारा आवास योजनाओं की निगरानी, जिसमें पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के ढांचे के तहत अनिवार्य निरीक्षण भी शामिल है, प्रभावी नहीं थी। योजना के तहत परिकल्पित अपनी प्रमुख भूमिका के बावजूद ग्राम पंचायतों ने अपनी किसी भी निगरानी और निरीक्षण गतिविधियों के समर्थन में कोई अभिलेख नहीं रखा था।

2020-21 के दौरान 24 जिलों में से पांच (दुमका, गुमला, हजारीबाग, पलामू और साहिबगंज) के 77 ग्राम पंचायतों में पायलट आधार पर सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था। हालांकि, वर्ष 2022-24 के दौरान शेष ग्रा.प./प्रखंडों/जिलों में कोई सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजना कार्यान्वयन में अनियमितताओं/कमियों और लाभार्थियों को आवास बनाने में आने वाली दिक्कतों की समय पर पहचान/समाधान नहीं किया जा सका।

शिकायत निवारण और समुदाय आधारित निगरानी तंत्र जैसे प्रमुख निगरानी प्रणाली भी अनुपस्थित पाई गई।

(अध्याय 5)

अनुशंसाएँ

- ***राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि भविष्य में योजना के तहत लाभार्थियों का चयन/प्राथमिकता देते समय पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए।***
- ***राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकती है कि शेष पात्र आवास+ लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएं।***
- ***राज्य सरकार लाभार्थियों के चयन के समय भूमि के स्वामित्व के सत्यापन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित एवं लागू कर सकती है।***
- ***राज्य सरकार 'निर्माण नहीं किए जाने वाले' के रूप में वर्गीकृत मकानों के लिए किस्तें जारी करने वाले जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है।***
- ***राज्य सरकार पीएमएवाई-जी के एफएफआई के तहत अनिवार्य रूप से पूर्ण पीएमएवाई-जी आवासों में अभिसरण के माध्यम से सभी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित कर सकती है।***
- ***राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि प्रशासनिक निधियों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देशों/निदेशों का ईमानदारी से पालन किया जाए।***
- ***राज्य सरकार पीएमएवाई-जी के एफएफआई में परिकल्पित राज्य, जिला और प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाइयों में गुणवत्ता पर्यवेक्षण और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी सुनिश्चित कर सकती है।***
- ***राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई में परिकल्पित आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा की जाए।***
- ***राज्य सरकार इस योजना के तहत परिकल्पित राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र स्थापित और चालू कर सकती है।***

अध्याय 1

परिचय

अध्याय 1

परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

आवास लंबे समय से सरकार की मुख्य सामाजिक प्राथमिकताओं में से एक रहा है, जिसके कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए विभिन्न आवास योजनाएं शुरू की गई हैं। इंदिरा आवास योजना (*आइएवाई*) 1985 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवासों का निर्माण और उन्नयन करना था। वर्ष 2014 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आइएवाई के कार्यान्वयन में कई कमियों[1] की पहचान की गई थी। चूंकि ये कमियां योजना के प्रभाव और परिणामों को सीमित कर रही थीं, इसलिए इसे नया रूप दिया गया और इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कर दिया गया। 1 अप्रैल 2016 से लागू पीएमएवाई-जी का उद्देश्य इन कमियों को दूर करना और "सभी के लिए आवास" प्रदान करना है।

1.2 योजना के उद्देश्य

पीएमएवाई-जी का उद्देश्य वर्ष 2022[2] तक 2.95 करोड़ बेघर ग्रामीण परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण आवासों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं[3] के साथ एक पक्का आवास प्रदान करना था। इस योजना में उपयुक्त गृह डिजाइन के साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री का उपयोग करते हुए, प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री से लाभार्थियों द्वारा स्वयं गुणवत्तापूर्ण आवासों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी।

1.3 अभिसरण

2016 और 2022[4] में जारी पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन की रूपरेखा (एफएफआइ) में विद्यमान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को मिलाकर पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय; अकुशल मजदूरी रोजगार; सुरक्षित पेयजल; बिजली कनेक्शन आदि के प्रावधान की परिकल्पना की गई थी।

1.4 लाभार्थी सहायता सेवाएँ

उपलब्ध संसाधनों से गुणवत्तापूर्ण आवासों को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक था कि लाभार्थियों को योजना के तहत महत्वपूर्ण सहायता सेवाओं

---

[1] पहचान की गई कमियों में आवास की कमी का आकलन न करना, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, उचित निगरानी प्रक्रिया का अभाव, निर्मित मकानों की निम्न गुणवत्ता, अभिसरण की कमी आदि शामिल हैं।

[2] ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेशों (नवंबर 2024) के अनुसार मार्च 2025 तक बढ़ाया गया.

[3] शौचालय, बिजली, पीने का पानी की सुविधा, आदि.

[4] पीएमएवाई-जी का संशोधित एफएफआइ 2022 में जारी किया गया।

जैसे कि उपलब्ध वित्तीय सहायता, सामग्री और संसाधनों की चरण-वार आवश्यकता, स्थानीय रूप से प्रासंगिक आवासों के डिजाइन के विभिन्न विकल्प, निर्माण लागत में बचत के तकनीकों की जागरूकता, निर्माण सामग्री की खरीद के लिए सुविधा, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित राजमिस्त्री आदि की उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जाए।

1.5 इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण मंच

पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन और अनुश्रवण भारत सरकार (भा.स.) द्वारा विकसित सेवा वितरण मंच के माध्यम से संचालित *एंड-टू-एंड* ई-गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से की जानी थी, जैसा कि **चार्ट-1.1** में दिखाया गया है।

चार्ट-1.1: इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण मंच

आवाससॉफ्ट	आवासऐप	आवास+
• एक कार्य-प्रवाह सक्षम, वेब-आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण मंच जिसके माध्यम से लाभार्थी की पहचान से लेकर निर्माण से जुड़ी सहायता प्रदान करने तक पीएमएवाई-जी के सभी महत्वपूर्ण कार्य, (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से) किए जाने थे।	• एक मोबाइल एप्लिकेशन, जिसका उपयोग अंकित हुए तारीख और समय और भू-संदर्भित तस्वीरों के माध्यम से वास्तविक समय में, साक्ष्य-आधारित आवास निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाएगा। लाभार्थियों को सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से, आवाससॉफ्ट एमआईएस में पंजीकृत लाभार्थी के बैंक/डाक खाते में किए जाने थे।	• संभावित पात्र परिवारों का विवरण प्राप्त करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन, आवास+, विकसित किया गया है, जिसमें वर्तमान आवास की जियो-टैग की गई तस्वीरें और पीएमएवाई-जी आवास के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल शामिल हैं। आवास+ मॉड्यूल का उपयोगकर्ता मैनुअल ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा जून 2021 में जारी किया गया था।

1.6 झारखंड में पीएमएवाई-जी

झारखंड में पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन अप्रैल 2016 से शुरू किया गया था। राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी), झारखंड सरकार (झा.स.), नोडल विभाग है। पीएमएवाई-जी के तहत आवासों के निर्माण के कार्यान्वयन, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के लिए राज्य, जिला (डीआरडीए) और प्रखंड स्तर पर जिम्मेदार परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) का गठन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत इकाई सहायता अर्थात गैर-एकीकृत कार्य योजना में ₹1.20 लाख

और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी[5]) जिलों[6] में ₹1.30 लाख प्रदान की गई। पीएमएवाई-जी आवासों के निर्माण के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) द्वारा तीन किस्तों[7] में जारी निधि हस्तांतरण आदेश (एफटीओ) के माध्यम से लाभार्थियों को राज्य नोडल खाते (एसएनए) से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। *एमओआरडी* द्वारा निर्देशित और पीएमएवाई-जी के एफएफआई के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण *मंचों* का उपयोग झारखण्ड सरकार द्वारा किया जा रहा था, जैसा कि **कंडिका-1.5** में ऊपर दर्शाया गया है

1.6.1 राज्य में पात्र लाभार्थी

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी-2011) के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 19,28,328 परिवार बेघर और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण आवासों में रहने वाले थे। इनमें से प्राथमिकता सूची/स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल 14,88,264 लाख परिवारों को पीएमएवाई-जी के तहत निर्धारित बहिष्करण मापदंडों के आधार पर पृथक्करण/सत्यापन के बाद आवासों के प्रावधान के लिए पात्र पाया गया, जैसा **चार्ट-1.2** में दिखाया गया है।

---

[5]. आईएपी, विशिष्ट पिछड़े या आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करने एवं विशेष रूप से भारत में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी अंतर को समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया, एक रणनीतिक योजना है।

[6] **(आईएपी) जिले**:बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, रांची, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम। **गैर-आईएपी जिले**: देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज।

[7] वर्ष 2018-19 से तीन किश्तें, अर्थात् पहली किश्त स्वीकृति के सात दिनों के भीतर ₹40,000; दूसरी किश्त विंडोसिल स्तर (आईएपी/गैर-आईएपी ज़िला) तक कार्य होने पर ₹85,000/₹75,000 और तीसरी किश्त आवास निर्माण कार्य पूरा होने पर ₹5,000। 2018-19 से पहले, वित्तीय सहायता पाँच किश्तों में प्रदान की जाती थी।

चार्ट-1.2: पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार बहिष्करण मापदंड

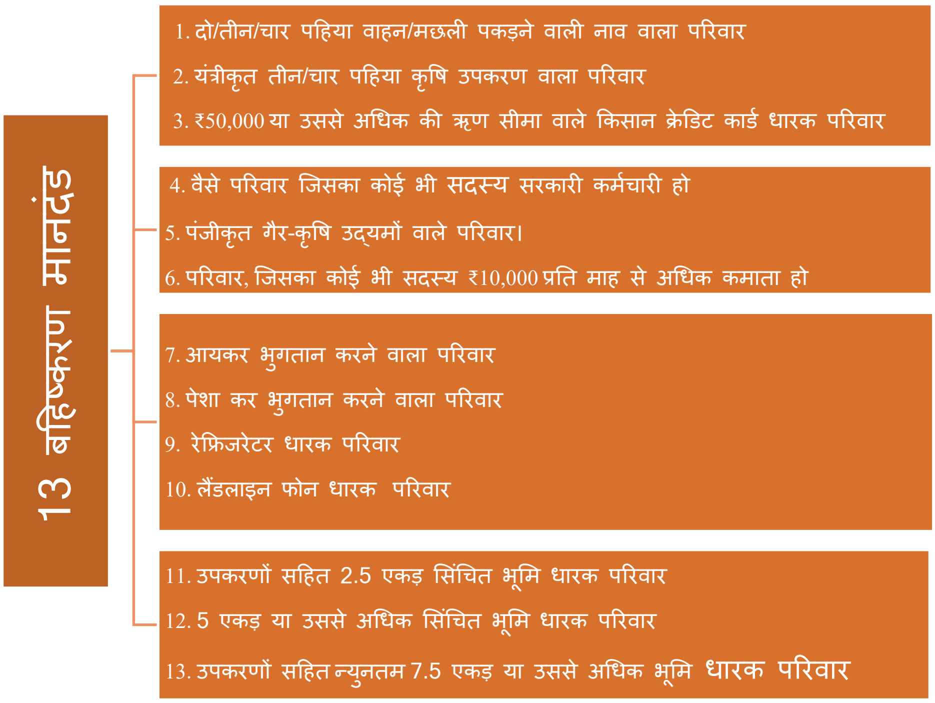

इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन (2017-24) के दौरान *ग्राम सभाओं*/जिला अपीलीय समितियों द्वारा एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल से 14,88,264 परिवार में से 2,90,491 लाख परिवार को हटाया गया क्योंकि वे अयोग्य पाए गए थे, जैसा **चार्ट-1.3** में दिखाया गया है।

चार्ट-1.3: पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थी

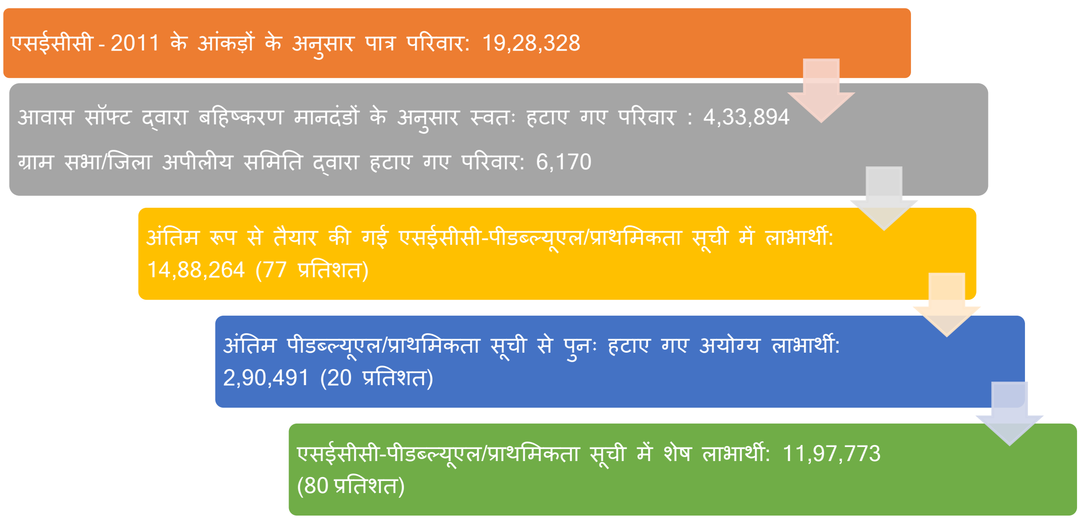

एमओआरडी ने, एसईसीसी-2011 डेटा (19,28,328) के आधार पर तैयार की गई एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में छोड़ दिए गए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए, जनवरी 2018 में आवास+ की शुरुआत की। तदनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत

आवास उपलब्ध कराने के लिए 2021-22 के दौरान आवास+ के तहत राज्य में 10,35,895 नए लाभार्थियों की पहचान की गई। इस प्रकार, राज्य में पीएमएवाई-जी के माध्यम से आवास सुविधाओं के प्रावधान के लिए पहचाने किए गए लाभार्थियों[8] की कुल संख्या 22,33,668 थी।

1.6.2 राज्य में आवासों की स्वीकृति और निर्माण

राज्य का भौतिक लक्ष्य 2016-22 के दौरान 16,02,270[9] पीएमएवाई-जी आवासों का निर्माण करना था। राज्य के लिए 2022-23 और 2023-24 के दौरान नए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे क्योंकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय लक्ष्य अर्थात 2.95 करोड़ हासिल कर लिया था। इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित कुल लक्ष्य में से, 2016-24 के दौरान राज्य द्वारा 15,92,124 आवासों की स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से जनवरी 2025 तक 15,62,249 (98 प्रतिशत) आवासों का निर्माण किया गया था।

1.7 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना था कि क्या:

- योजना में लाभार्थियों की पहचान, चयन और सत्यापन के लिए तंत्र पारदर्शी, पर्याप्त और पीएमएवाई-जी योजना के एफएफआइ के अनुरूप था
- अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण सहित योजना का कार्यान्वयन पीएमएवाई-जी के एफएफआइ के अनुरूप था
- योजना का वित्तीय प्रबंधन पीएमएवाई-जी के एफएफआइ और लागू अन्य वित्तीय नियमों के अनुरूप था; और
- योजना के लिए अनुश्रवण और मूल्यांकन तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था।

1.8 लेखापरीक्षा का मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- एमओआरडी, भारत सरकार द्वारा 2016 और 2022 में जारी किया गया पीएमएवाई-जी का एफएफआइ
- पीएमएवाई-जी के लिए "पहल" के रूप में जाना जाने वाला ग्रामीण आवास प्रारूपों का संकलन
- लाभार्थियों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश

---

8 एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल लाभार्थी: 11,97,773 लाभार्थी और आवास+ लाभार्थी: 10,35,895

9 एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल के अंतर्गत संशोधित भौतिक लक्ष्य, :11,98,766 और आवास+: 4,03,504

- भारत सरकार और झारखंड सरकार (झा.स.) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, अधिसूचनाएं, परिपत्र और आदेश
- प्राथमिकता सूची/स्थायी प्रतीक्षा सूची और रिमांड सूची; और
- एमआईएस-आवाससॉफ्ट के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन।

1.9 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा (जुलाई 2024 से दिसंबर 2024) में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत की गई विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया। लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया को सत्यापित करने के लिए, लेखापरीक्षा अवधि से पहले की सूचना/अभिलेख की भी जांच की गई। राज्य स्तर पर आरडीडी/राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू), जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए)/जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू), प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (बीपीएमयू) और संबंधित प्रखंडों में चयनित ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) के अभिलेखों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई थी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएमएवाई-जी के लिए "पहल" के रूप में जाना जाने वाला ग्रामीण आवास प्रारूपों का एक संकलन तैयार किया था, जिसके तहत राज्य के जिलों को स्थलाकृति के आधार पर चार क्षेत्रों (क्षेत्र ए से डी) में बांटा गया था। इन चार क्षेत्रों से राज्य के 24 जिलों में से छह[10] जिलों को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। जिलों का चयन 'व्यय के आकार' के साथ "प्रतिस्थापन के बिना आकार के अनुपात में संभाव्यता (पीपीएसडब्ल्यूओआर)" के आधार पर किया गया था। चयनित जिलों को नीचे मानचित्र में दर्शाया गया है।

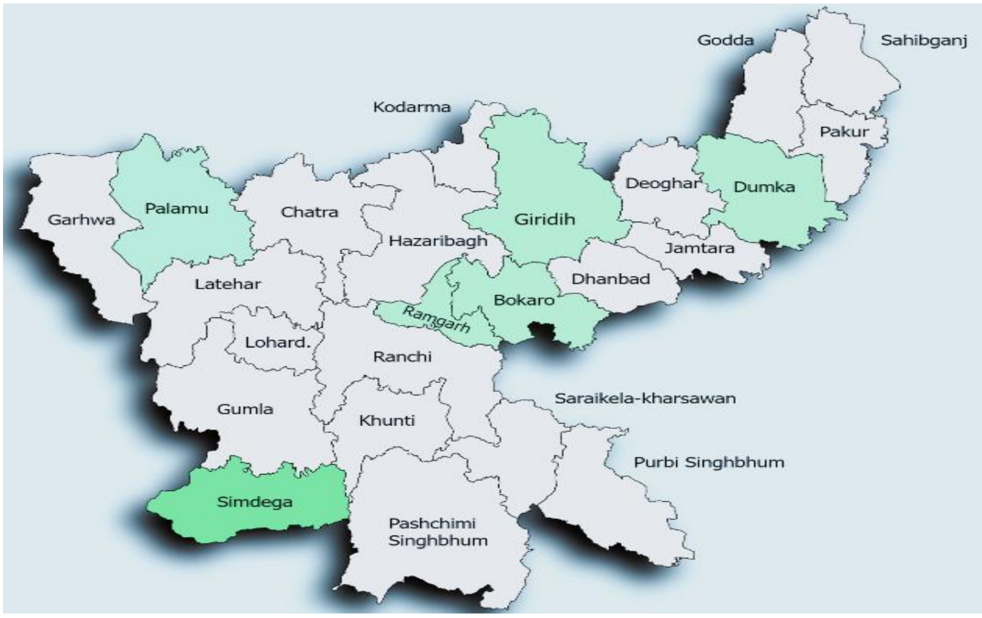

लेखापरीक्षा के लिए चयनित जिलों को दर्शाता झारखंड का नक्शा

---

[10] **क्षेत्र ए**: दुमका **क्षेत्र बी**: बोकारो और रामगढ़, **क्षेत्र सी**: गिरिडीह और पलामू और **क्षेत्र डी**: सिमडेगा

इसके अलावा, 12 प्रखंडों[11] (प्रत्येक चयनित जिलों से दो प्रखंड) और 60 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक चयनित प्रखंडों से पांच ग्राम पंचायत) को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। साथ ही, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा 633 लाभार्थियों का सर्वेक्षण और संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) भी किया गया था। नमूनों का विवरण और अपनाई गई प्रतिचयन पद्धति को ***परिशिष्ट-1.1*** में दर्शाया गया है।

सचिव, आरडीडी, झारखंड सरकार के साथ 25 जून 2024 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, दायरे और मानदंडों की चर्चा की गई। सचिव, आरडीडी, झारखंड सरकार के साथ निकास सम्मेलन (17 जून 2025) भी आयोजित किया गया था। आरडीडी (जून 2025) द्वारा दिए गए उत्तर और निकास सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए विचारों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

1.10 प्रतिवेदन की संरचना

लेखापरीक्षा उद्देश्यों के आधार पर प्रतिवेदन की संरचना निम्नानुसार है:

- अध्याय 2: लाभार्थियों की पहचान और चयन
- अध्याय 3: अभिसरण सहित योजना का कार्यान्वयन
- अध्याय 4: वित्तीय प्रबंधन
- अध्याय 5: अनुश्रवण और निरीक्षण।

[11] 12 प्रखंड अर्थात बोकारो का गोमिया और जरीडीह; दुमका का जामा और सरैयाहाट; गिरिडीह का देवरी और पीरटांड़; पलामू का हुसैनाबाद और नीलांबर-पीतांबरपुर; रामगढ़ का दुलमी और मांडू; सिमडेगा का कुरडेग और ठेठईटांगर

अध्याय 2

लाभार्थियों की पहचान एवं चयन

अध्याय 2

लाभार्थियों की पहचान और चयन

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, लाभार्थियों की पहचान और चयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को साकार करने की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सहायता वैसे लोगों के लिए लक्षित है जो वास्तव में वंचित हैं, और यह कि चयन विषयपरक और सत्यापन योग्य है, एसईसीसी 2011 आंकड़ों में आवास के अभाव मापदंडों का उपयोग परिवारों की पहचान के लिए किया गया था। इसके बाद चिन्हित आवासों का सत्यापन ग्राम सभाओं द्वारा किया गया।

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, योग्य लाभार्थियों की श्रेणी में एसईसीसी आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर और कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले शून्य, एक या दो कमरे के घरों में रहने वाले परिवार शामिल हैं, जो अपवर्जन प्रक्रिया के अधीन हैं। पात्र लाभार्थियों के दायरे के भीतर बहु-स्तरीय प्राथमिकता होगी और निर्धारित मानकों[1] के आधार पर पहले प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। प्रणाली जनित, श्रेणीवार वरीयता सूची, एमआईएस-आवाससॉफ्ट से डाउनलोड की जाएगी और ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम सभा के बीच परिचालित की जाएगी।

ग्राम सभा द्वारा उन तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा जिसके आधार पर परिवारों को पात्र/योग्य परिवार के रूप में पहचाना गया है। यदि गलत तथ्यों के आधार पर परिवारों का समावेशन किया गया है, तो ग्राम सभा ऐसे परिवारों को प्रणाली जनित प्राथमिकता सूची से हटा देगी। हटाए गए परिवारों की सूची, जिसमें हटाने के कारण भी शामिल होंगे, ग्राम सभा के कार्यवृत्त का हिस्सा होगी। गलत विलोपन/रैंकिंग में परिवर्तन के संबंध में शिकायतों की जांच जिला अपीलीय समिति द्वारा की जानी थी। इसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के लिए ग्राम पंचायत-वार अंतिम पीडब्ल्यूएल, प्रत्येक एचएच के लिए एक अलग रैंक के साथ, प्रकाशित किया जाना था और इसे ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट के साथ-साथ आवाससॉफ्ट और पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाना था।

2.1 ग्राम पंचायतों के पास अभिलेखों की अनुपलब्धता

छः नमूना-जांचित जिलों से चयनित 60 ग्राम पंचायतों में से कोई भी ग्राम पंचायत वर्ष 2016-2024 के दौरान अंतिम पीडब्ल्यूएल तैयार करने से संबंधित अभिलेख जैसे

---

[1] **स्वचालित समावेशन के लिए मानदंड**: (i) आश्रय के बिना एचएच (ii) बेसहारा/भिक्षा पर जीवन यापन (iii) मैनुअल मेहतर (iv) आदिम जनजातीय समूह (v) कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर और **स्वचालित बहिष्करण के लिए मानदंड**: चार्ट 1.2 में विस्तृत।

कि पात्र लाभार्थियों के सत्यापन के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही, समावेशन/विलोपन के लिए लाभार्थियों से प्राप्त शिकायतें/अभ्यावेदन, सूचियों[2] का व्यापक प्रचार, प्रखंडों/जिलों को भेजे गए प्रस्ताव आदि (जैसा कि **कंडिका 5.3** में वर्णित है) प्रस्तुत नहीं कर सके। लेखापरीक्षा ने प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देने के दौरान लाभार्थियों के चयन/अनुमोदन के लिए ग्राम सभा द्वारा की गई प्रक्रिया का पता लगाने के लिए अपात्र लाभार्थियों के रिमांड प्रस्तावों[3] का विश्लेषण किया, जैसा कि **कंडिका 2.2.2** में चर्चा की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा भेजे गए रिमांड प्रस्तावों के आधार पर और नमूना-जांचित प्रखंडों द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया के लेखापरीक्षा विश्लेषण से इस बात का कोई आश्वासन नहीं मिला कि ग्राम सभा स्तर पर निष्पादित लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी थी तथा पीएमएवाई-जी के एफएफआई के तहत आवश्यकता के अनुरूप थी, जैसा कि आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

समापन सम्मेलन के दौरान (जून 2025), सचिव, आरडीडी द्वारा कहा गया कि लेखापरीक्षा सत्यापन के लिए भौतिक अभिलेख संधारित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.1 जिला अपीलीय समिति

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, राज्य सरकार को जिला स्तर पर तीन सदस्यीय अपीलीय समिति का गठन करना होगा, जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर या उनके नामित व्यक्ति होंगे तथा इसमें एक अन्य अधिकारी और कम से कम एक गैर-सरकारी सदस्य होंगे। अपीलीय समिति रैंकिंग में विलोपन या परिवर्तन के खिलाफ लाभार्थियों की शिकायतों पर विचार करेगी और एक निश्चित अवधि (15 दिनों) के भीतर उनका समाधान करेगी। अपीलीय समिति द्वारा ग्राम पंचायत से संबंधित सभी मामलों के निपटान के बाद, प्रत्येक श्रेणी के लिए ग्राम पंचायत-वार अंतिम पीडब्ल्यूएल, प्रत्येक परिवार के लिए एक अलग रैंक के साथ, प्रकाशित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि छः नमूना-जांचित जिलों में जिला अपीलीय समितियां (डीएसी) बनाई गई थीं। हालांकि, प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप देने और निपटान के दौरान लाभार्थियों से प्राप्त शिकायतों के विवरण से संबंधित कोई अभिलेख संबंधित डीआरडीए के पास नहीं पाया गया। इसलिए, लेखापरीक्षा अंतिम प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल के अनुमोदन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और पीएमएवाई-जी के

2 (i) प्राथमिकता वाले पात्र एचएच की सूची (ii) हटाए गए एचएच की सूची और (iii) सिस्टम जनरेटेड प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किए गए एचएच की सूची, लेकिन अन्यथा पात्र।

3 ग्रा.पं. उन तथ्यों की जाँच करेगा जिनके आधार पर किसी परिवार को पात्र के रूप में चिन्हित किया गया है। यदि गलत तथ्यों के आधार पर समावेशन किया गया हो, या यदि किसी परिवार ने पक्का आवास बना लिया हो, या किसी सरकारी योजना के अंतर्गत आवास आवंटित हो चुका हो, या सर्वेक्षण के समय के बाद स्थायी रूप से प्रवास कर गया हो, या बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे परिवार का नाम प्रणाली द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची से ग्रा.पं. द्वारा हटा दिया जाएगा।

एफएफआई के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर रैंकिंग में विलोपन या परिवर्तनों के खिलाफ लाभार्थियों की शिकायतों के समाधान के संबंध में डीएसी की भूमिका का पता नहीं लगा सकी।

आरडीडी द्वारा अपने जवाब में (जून 2025) कहा गया कि जिलों में गठित अपीलीय समितियों का काम शिकायतों का समाधान करना और प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देना था। यह भी कहा गया कि वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी जिलों से प्राप्त की जाएगी और उन्हें उचित निर्देश दिए जाएंगे।

आरडीडी का जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि व्यापक प्रचार के लिए की गई कार्रवाइयों, कहाँ और कब शिकायतें उठाई जानी थीं, और आरडीडी के आदेशों (मई 2016) के अनुसार शिकायतों के निपटान के बाद जिला-वार अलग लाभार्थी सूची तैयार करने से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार, डीएसी के कार्य में पारदर्शिता की कमी थी।

2.2 प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल

2.2.1 प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में कमियाँ

आरडीडी ने राज्य में पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता सूची और विभिन्न गतिविधियों[4] की स्वीकृति के लिए अंतिम तिथियों के साथ एक समय-सीमा निर्धारित की है (मई 2016)। समय-सीमा के अनुसार, सभी शिकायतों/अभ्यावेदनों को हल करने के बाद प्राथमिकता सूची की तैयारी 20 जून 2016 तक पूरी की जानी थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि समय-सीमा का पालन किया गया था अथवा नहीं। प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देने के लिए ग्राम पंचायत, प्रखण्ड और जिलों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया (यदि कोई हो) को भी सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देने से संबंधित अभिलेख (प्रणाली जनित प्राथमिकता सूची की प्रति; सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के अभिलेख; ग्राम सभा कार्यवाही/कार्यवृत; शिकायत निपटान फाइलें आदि) नमूना परीक्षित ग्राम पंचायत, प्रखंडों और जिलों में अनुरक्षित/उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

हालांकि, राज्य और जिलों के पीएमयू द्वारा प्रदान की गई पत्राचार फाइलों और आवाससॉफ्ट पर उपलब्ध आँकड़ों की जांच से एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित कमियां सामने आईं।

---

[4] प्रस्तावित प्राथमिकता सूची की ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन: 15 मई 2016 तक; वार्षिक सूची की तैयारी: 25 मई 2016; प्राथमिकता सूची की तैयारी और आवाससॉफ्ट पर प्रविष्टि: 30 मई 2016; डीआरडीए / अन्य निर्दिष्ट कार्यालयों में आपत्तियों को दाखिल करने के लिए अधिसूचना: 5 जून 2016; और आपत्तियों का निपटान और अंतिम पीडब्ल्यूएल की तैयारी: 20 जून 2016।

- आरडीडी ने जिलों द्वारा भेजी गई प्राथमिकता सूचियों में विभिन्न अनियमितताएं पाईं (अगस्त 2016), जैसे कि कुछ गांवों/ग्राम पंचायत को शामिल नहीं किया जाना, एक ही ग्राम पंचायत की कई प्रविष्टियाँ, लाभार्थियों के नामों में गड़बड़ी, जाति/श्रेणी के वर्गीकरण में त्रुटियां, रिमांड के माध्यम से नामों का समावेश नहीं किया जाना/अपवर्जन करना आदि।
- आरडीडी ने नवंबर 2017[5] तक प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप नहीं दिए जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की (नवंबर 2017) जबकि वर्ष 2016-17 के लिए आवासों को पहले ही स्वीकृति दे दी गई थी, और 2017-18 के लक्ष्यों के संबंध में आवासों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया चल रही थी। इसलिए जिलों को पीएमएवाई-जी के एफएफआई में दिए गए समावेशन/अपवर्जन मापदंडों के संदर्भ में ग्राम सभाओं के माध्यम से अपात्र लाभार्थियों को हटा कर/रिमांड करके अपनी प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया (नवंबर 2017)।
- झारखण्ड सरकार ने एमओआरडी को एसईसीसी आंकड़ों में त्रुटियों[6] के बारे में सूचित किया था (मई 2017), जिससे प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में पात्र लाभार्थियों को शामिल करने में बाधाएं आईं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एसईसीसी आंकड़ों में लाभार्थियों की श्रेणी में त्रुटियों को सुधारने का कोई प्रावधान नहीं था, एमओआरडी ने राज्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में शामिल सामान्य/अल्पसंख्यक श्रेणी के लाभार्थियों को या इसके विपरीत क्रम में आवासों को स्वीकृति देने की अनुमति दी (दिसंबर 2017)।
- प्राथमिकता सूचियों में पाई गई विसंगतियों को सत्यापित करने के बाद आरडीडी ने जिलों के सभी डीडीसी को जनवरी 2018 तक लाभार्थियों की अंतिम सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (जनवरी 2018)। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आरडीडी ने प्राथमिकता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं द्वारा प्राथमिकता सूचियों को अंतिम रूप देने और पात्र/अपात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता सूची में शामिल करने/बाहर करने की स्वीकृति की स्थिति के व्यापक प्रकाशन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्रवाई का जिलों और प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों की टीमों के माध्यम से एक दिवसीय राज्यव्यापी मूल्यांकन अभियान चलाने (30 मई 2018 को) का निर्णय लिया था (मई 2018)। आगे यह भी निदेशित किया गया कि प्राथमिकता सूचियों/पीडब्ल्यूएल के अंतिम रूप देने के दौरान अनियमितताओं का पता चलने पर, एक मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कर अगले दिन आरडीडी को प्रस्तुत की जानी थी। हालाँकि, अभिलेखों के अभाव में, इस अभियान के परिणाम का लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

---

5 प्राथमिकता सूची के अंतिम रूप से अनुमोदन/अंतिमीकरण की निर्धारित तिथि 20 जून 2016 थी।

6. लाभार्थियों की भूमि और आवास, जाति और श्रेणी आदि की स्थिति

- इसके अलावा, सामुदायिक भवन/पंचायत भवन/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दीवार चित्रों के माध्यम से प्राथमिकता सूची का प्रचार या तो नहीं किया गया था या आंशिक रूप से किया गया था, जैसा कि विभाग द्वारा जिलों के डीडीसी को किए गए पत्राचार में देखा गया (जनवरी 2019)। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई।
- आवाससॉफ्ट से यह पता चला कि राज्य में कुल 4,274 पात्र ग्राम पंचायत में से केवल 4,198 ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता सूची पोर्टल पर अपलोड की गई थी। इसके अलावा, इन 4,198 ग्राम पंचायत में से केवल 4,169 की प्राथमिकता सूची डीएसी की स्वीकृति के साथ अपलोड की गई थी जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

ऊपर उल्लिखित उदाहरण इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि ग्राम पंचायत/डीएसी द्वारा एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देने/अनुमोदित करने के दौरान समुचित सावधानी नहीं बरती गई। परिणामस्वरूप, योजना के कार्यान्वयन के दौरान अपात्र पाए गए 2.90 लाख लाभार्थियों को ग्राम पंचायत द्वारा रिमांड के माध्यम से हटाना पड़ा, जैसा कि अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

2.2.2 अंतिम रूप से तैयार की गई एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल से अपात्र लाभार्थियों को हटाना

आरडीडी ने देखा (अगस्त 2019) कि प्रक्रिया का समापन होने तथा तत्पश्चात अंतिम प्राथमिकता सूची एमओआरडी को सौंपे जाने के बावजूद प्राथमिकता सूचियों के सत्यापन की प्रक्रिया अभी भी जारी थी । जिलों से बार-बार रिमांड प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण, आरडीडी ने सभी उपायुक्तों (डीसी)/डीडीसी को यह प्रमाणित करने का निर्देश दिया (अगस्त 2020) कि भविष्य में पीडब्ल्यूएल से अपात्र लाभार्थियों की रिमांड की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, वार्षिक कार्य योजना (2020-21) की बैठक (अप्रैल 2020) में, आरडीडी ने अधिकार प्राप्त समिति, एमओआरडी को आश्वासन दिया था कि राज्य 30 जून 2020 तक अपात्र मामलों को वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा।

आवाससॉफ्ट के अनुसार, एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल के तहत राज्य में 14.88 लाख लाभार्थी थे। हालांकि, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के दौरान, 2.90 लाख (20 प्रतिशत) लाभार्थियों को अपात्र पाया गया और ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थियों के पास पहले से ही पक्का आवास होना या अन्य सरकारी आवास योजनाओं से पहले आवंटित आवास होना, सरकारी नौकरी होना, पेंशनभोगी होना, स्थायी प्रवास, डुप्लिकेट प्रविष्टि आदि के आधार पर प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल सूची से उन्हें रिमांड कर/हटा दिया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आरडीडी के जिला स्तरीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने और प्रमाणित करने के निर्देश (अगस्त 2020) के बाद भी कि भविष्य में रिमांड की कोई आवश्यकता नहीं

होगी, प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल से अयोग्य लाभार्थियों की पहचान और निष्कासन 2023-24 तक जारी रहा।

नमूना-जांचित जिलों में, प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में शामिल 4.77 लाख लाभार्थियों में से 0.96 लाख (20 प्रतिशत) को योजना के कार्यान्वयन के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा रिमांड किया गया था, जैसा कि **तालिका-2.1** में वर्णित है।

तालिका 2.1: अंतिम रूप से तैयार प्राथमिकता सूची से रिमांड किए गए लाभार्थी

क्र.सं.	जिला	आवाससॉफ्ट में स्वतः विलोपन के बाद लाभार्थियों की संख्या	प्राथमिकता सूची/ पीडब्ल्यूएल में लाभार्थियों की संख्या	रिमांड किए गए/ हटाए गए लाभार्थियों की संख्या	प्राथमिकता सूची/ पीडब्ल्यूएल में शेष लाभार्थियों की संख्या
1	बोकारो	74,397	74,257	16,967	57,290
2	दुमका	1,02,801	1,02,597	12,019	90,578
3	गिरिडीह	1,11,915	1,11,218	33,877	77,341
4.	पलामू	1,36,831	1,36,655	23,007	1,13,648
5	रामगढ़	23,029	19,472	5,614	13,858
6	सिमडेगा	33,266	33,266	4,871	28,395
	कुल	**4,82,239**	**4,77,465**	**96,355**	**3,81,110**

(स्रोत: जनवरी 2025 में डाउनलोड किया गया आवाससॉफ्ट आंकड़े)

लेखापरीक्षा द्वारा छह नमूना-जांचित जिलों में ग्राम पंचायत की सिफारिश पर तैयार किए गए रिमांड प्रस्तावों से यादृच्छिक रूप से चुने गए 3,937 लाभार्थियों[7] के विवरण की जांच की गई, ताकि उन अपवर्जन मानदंडों का पता लगाया जा सके जिनके तहत इन लाभार्थियों को प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल से हटाया गया था या हटाने का प्रस्ताव किया गया था। यह देखा गया कि 3,937 नमूना-जांचित लाभार्थियों में से 3,411 लाभार्थियों (87 प्रतिशत) को पक्का आवास होने (723), पूर्व में आईएवाई द्वारा आवंटित आवास (474) होने, अन्य आवास योजनाओं से आवंटित आवास (753) होने, सरकारी नौकरी / पेंशनभोगी लाभार्थियों (148); स्थायी प्रवासन (359); अन्य स्थान का निवासी / नाम नही पाए गए / अज्ञात होने (820), एक से अधिक पीएमएवाई-जी आईडी (117) होने, भूमिहीन (16) होने और चार पहिया वाहन (एक) का स्वामी होने के आधार पर हटाया गया था। शेष 526 लाभार्थियों (13 प्रतिशत) को ग्राम पंचायत /प्रखंडों द्वारा लाभार्थी की मृत्यु, नाबालिग होना, कानूनी वारिस उपलब्ध नहीं होना, नामों की गलत प्रविष्टि, आधार / बैंक खाता उपलब्ध नहीं होने, लाभार्थी इच्छुक नहीं होने आदि वजहों से रिमांड के लिए प्रस्तावित किया था।

---

[7] बोकारो: 400; दुमका: 402; गिरिडीह: 429; रामगढ़: 400; पलामू: 1878 और सिमडेगा: 428

इस प्रकार, प्राथमिकता सूची / पीडब्ल्यूएल के अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन 3,411 लाभार्थियों को हटाना यह इंगित करता है कि ग्राम पंचायत / डीएसी द्वारा प्राथमिकता सूची / पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देते या अनुमोदित करते समय पीएमएवाई-जी की एफएफआई में निर्धारित अपवर्जन मानदंड का समग्र रूप से पालन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, अपात्र लाभार्थियों को शामिल करने के कारण, वास्तविक लाभार्थियों को प्राथमिकता सूची में स्थान नहीं मिला और सभी पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने की योजना का उद्देश्य अधूरा रह गया।

2.2.2.1 अपात्र लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति

लेखापरीक्षा में देखा गया कि छह में से पांच नमूना-जांचित जिलों में, 115 अपात्र लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए और वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जैसा कि **कंडिका 4.5** में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों के नमूना परीक्षण और जेपीवी के दौरान पीएमएवाई-जी के एफएफआई के मानदंडों का उल्लंघन करके अपात्र लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति के मामले देखे गए, जिनकी चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

(i) अपात्र लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति: पीएमएवाई-जी की एफएफआई उन लाभार्थियों को हटाने का प्रावधान करती है जिन्होंने सरकार की अन्य योजनाओं से लाभ प्राप्त किया था या अपने स्वयं की निधि से पक्का आवास बनाया था। इसके अलावा, आरडीडी के निर्देशों (मई 2016) के अनुसार, जिन लाभार्थियों को पहले किसी अन्य योजना से आवास आवंटित किया जा चुका है, उन्हें पीडब्ल्यूएल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

केस स्टडी 1

पीएमएवाई-जी के एफएफआई और आरडीडी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड की गायचंदा ग्राम पंचायत के एक लाभार्थी (आईडी: जेएच 102XXXX) को पीएमएवाई-जी आवास स्वीकृत किया गया (स्वीकृति संख्या: जेएच 2/XXXX/X/XXX दिनांक 18 अप्रैल 2018), जबकि वह पात्र नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी के पास पहले से ही आईएवाई के तहत स्वीकृत (मार्च 2013) एक आवास (जेएच-20-008-010-001/XXXX) था। जून 2018 से सितंबर 2020 के बीच उसे ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि मामले की जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु जिले को निर्देश जारी किए जाएंगे।

चित्र 2.1 और 2.2: लाभार्थी और उसकी पत्नी के आईएवाई तथा पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित आवास।

(ii) लाभार्थी चयन में अनियमितताएं: मार्च 2017 में, आरडीडी को जन प्रतिनिधियों/मनरेगा हेल्पलाइन/ऑनलाइन पोर्टल आदि के माध्यम से लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं की सूचना मिली। सभी डीसी/डीडीसी को निर्देश दिया गया कि यदि उन्हें ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

बोकारो जिले के जरीडीह प्रखण्ड के अंतर्गत बांधडीह दक्षिण ग्राम पंचायत में संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) के दौरान, एक लाभार्थी (आईडी- जेएच132XXXX), जिसे आवाससॉफ्ट के अनुसार पीएमएवाई-जी के तहत 8 फरवरी 2021 को एक आवास के लिए स्वीकृति दी गई थी का पता लगाने में लेखापरीक्षा असमर्थ रही। **केस स्टडी-2** में दिए गए विवरण के अनुसार आवास को स्वीकृति मिलने के नौ दिनों के भीतर पूरा दिखाया गया था।

केस स्टडी 2

आवाससॉफ्ट पोर्टल डेटाबेस के अनुसार, बोकारो जिले के जरीडीह प्रखण्ड के बाँधडीह दक्षिण ग्राम पंचायत के एक लाभार्थी (आईडी - जेएच132XXXX) का आवास निर्माण 17 फरवरी 2021 को, अर्थात संस्वीकृति (8 फरवरी 2021) से नौ दिनों के भीतर पूरा हुआ। लाभार्थी को पहली दो किश्तें (₹1.25 लाख) 11 फरवरी 2021 से 23 फरवरी 2021 के बीच जारी की गईं, जबकि तीसरी किश्त (₹5,000) 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, उस लाभार्थी का आवास बाँधडीह दक्षिण गाँव में नहीं मिला। इसलिए आवास के वास्तविक स्थान की पहचान के लिए, लेखापरीक्षा ने आवाससॉफ्ट पर अपलोड किए गए आवास के भू-स्थैतिक आंकड़ों (अक्षांश - 23.6561202, देशांतर - 86.0237751) का उपयोग किया और देखा कि भू-स्थान के अनुसार यह आवास उसी स्थान पर अवस्थित था जहाँ बाँधडीह पंचायत कार्यालय कार्यरत है। इस प्रकार, अस्तित्वहीन लाभार्थी को ₹ 1.30 लाख के अनियमित भुगतान की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।

चित्र 2.3: स्वीकृति के नौ दिनों के भीतर पूरा हुआ आवास
(आवाससॉफ्ट पर अपलोडेड)

जवाब में आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि मामले की जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित जिले को निर्देश जारी किए जाएंगे।

(iii) पक्का आवास या दोपहिया वाहन रखने वाले लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति: लेखापरीक्षा ने जेपीवी के दौरान देखा कि तीन लाभार्थियों, दो बोकारो जिले के जरीडीह प्रखण्ड में पक्का आवास में रहने वाले और एक अन्य रामगढ़ जिले के दुल्मी प्रखण्ड में दोपहिया वाहन रखने वाले, को पीएमएवाई-जी आवासों की स्वीकृति दी गई थी, हालांकि वे पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अपवर्जन मानकों के अनुसार पात्र नहीं थे, जैसा कि **केस स्टडी-3 और 4** में वर्णित है।

केस स्टडी 3

लेखापरीक्षा ने देखा कि बोकारो जिले के जरीडीह प्रखण्ड के चिलगड्डा ग्राम पंचायत में दो लाभार्थियों (आईडी - जेएच 275XXXX और जेएच 286XXXX) ने अपनी पीएमएवाई-जी के आवासों का निर्माण क्रमशः 13 फरवरी 2021 और 27 फरवरी 2021 को एक-दूसरे से सटे हुए किया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि दोनों लाभार्थी अपने पुराने आवासों[8] में रह रहे थे, जबकि उन्होंने पीएमएवाई-जी के तहत जो आवास बनाया था, उसे वे एक निजी स्कूल चलाने के लिए उपयोग कर रहे थे।

इस संबंध में आरडीडी ने जवाब दिया (जून 2025) कि मामले की जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जिला स्तर पर जारी किए जाएंगे।

चित्र 2.4 और 2.5: पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित आवास जिसका उपयोग स्कूल चलाने के लिए किया जा रहा है तथा लाभार्थियों का पुराना पक्का आवास।

---

8 ***पीएमएवाई-जी*** से निर्मित आवासों से 500 मीटर दूर स्थित अपने दो-मंज़िला पक्का आवास

केस स्टडी 4

रामगढ जिले के दुल्मी प्रखण्ड के जमीरा गाँव के एक लाभार्थी (आईडी - जेएच 272XXXX), को पीएमएवाई-जी के तहत आवास स्वीकृत किया गया (सितम्बर 2020) और सितम्बर 2020 से जून 2021 के बीच उसे ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लाभार्थी ने कहा कि उन्होंने ₹ छः लाख खर्च कर आवास बनवाया था, जिसके लिए उसने ऋण लिया था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि स्वीकृति के समय लाभार्थी के पास एक दो-पहिया वाहन था।

चित्र 2.6: दो-पहिया वाहन रखने वाले लाभार्थी जिसने आवास निर्माण के लिए ऋण लिया था।

इस संबंध में आरडीडी ने बताया (जून 2025) कि जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला को निर्देश जारी किए जाएंगे।

इस प्रकार, प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में अशुद्धियों और लाभार्थियों के सत्यापन में कमी के कारण, अपात्र लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति दी गई साथ ही वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।

आरडीडी ने प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल की गलत तैयारी के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और कहा (जून 2025) कि इसके अंतिम रूप दिए जाने के समय, विभाग को कई विसंगतियों के बारे में पता चला था, और सभी जिला/प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थें। इसके बाद, एमओआरडी की सिफारिशों के आधार पर, उन सभी अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई जिन्हें प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल के अंतिम रूप दिए जाने के समय हटाया नहीं जा सका था। 14.88 लाख लाभार्थियों वाले अंतिम पीडब्ल्यूएल में से 2.90 लाख अपात्र लाभार्थियों को रिमांड के माध्यम से हटाया गया।

अनुशंसा 1: राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि भविष्य में योजना के तहत लाभार्थियों का चयन/प्राथमिकता देते समय पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए।

2.3 आवास+लाभार्थी

एमओआरडी ने 'आवास+' मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक सर्वेक्षण किया (जनवरी 2018 और मार्च 2019 के बीच) ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके जिन्होंने एसईसीसी-प्राथमिकता सूची / पीडब्ल्यूएल के तहत सूची से छूट जाने का दावा किया था। आवास+मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संभावित परिवारों (एचएच) के दर्ज किए गए विवरण को ग्राम सभा और डीएसी द्वारा सत्यापित किया जाना था। एमओआरडी ने राज्य (झा.स.) को 31 अक्टूबर 2020 तक पात्र राज्यों को लक्षित आवंटन के लिए अगस्त 2020 तक लाभार्थी आंकड़ों को अंतिम रूप देने और अपलोड करने का भी निर्देश दिया था। हालाँकि, अक्टूबर 2020 तक की समय सीमा में राज्य इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सका और परिणामस्वरूप, सभी पहचाने गए पात्र लाभार्थियों (10.36 लाख) को शामिल करने और उन्हें आवास प्रदान करने के अवसर को खो दिया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि:

(i) आवास+ के माध्यम से कुल 14.75 लाख लाभार्थियों[9] की पहचान की गई और उन्हें पंजीकृत किया गया। हालांकि, जॉब कार्ड की मैपिंग में कमियों और जियो-टैगिंग के अभाव के कारण केवल 13.21 लाख पात्र लाभार्थी पाए गए। इस प्रकार, 1.54 लाख चिन्हित लाभार्थियों को आगे सत्यापन और विधिमान्यकरण से बाहर रखा गया।

(ii) इसके अलावा, एमओआरडी (2.03 लाख) और राज्य/जिला स्तर (0.82 लाख) पर 2.85 लाख लाभार्थियों की अस्वीकृति/रिमांड के कारण नवंबर 2022 तक 13.21 लाख पंजीकृत लाभार्थियों घटकर 10.36 लाख हो गए। हालाँकि, बाद में आरडीडी (नवंबर 2022) के एमओआरडी से अनुरोध के आधार पर, विभाग को एमओआरडी स्तर पर अस्वीकृत 2.03 लाख लाभार्थियों की स्थिति को सत्यापित करने और एक संशोधित सूची प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। आरडीडी द्वारा एमओआरडी को छूटे हुए लाभार्थियों की संशोधित जिलावार सूची प्रस्तुत करनी थी और गलत प्रविष्टियों वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी। हालाँकि, दिसंबर 2024 तक, न तो संशोधित सूचियाँ एमओआरडी को सौंपी गईं और न ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई।

(iii) मई 2021 में, एमओआरडी ने राज्य में 10.36 लाख पात्र लाभार्थियों के मुकाबले वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए केवल 4.04 लाख आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया था। झारखण्ड सरकार के अनुरोध (नवंबर 2022 और जनवरी 2023) के बावजूद, एमओआरडी ने 6.32 लाख आवासों के शेष लक्ष्य को आवंटित नहीं किया।

जवाब में, आरडीडी द्वारा कहा गया (जून 2025) कि राज्य समय पर आवास+ सूची की अंतिम प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी। हालाँकि, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, लगभग 6.28 लाख लाभार्थियों में से 4.20 लाख का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। लक्ष्य के मुकाबले, 2.90 लाख लाभार्थियों के लिए आवासों को स्वीकृति दी गई

[9] मोबाइल ऐप के माध्यम से: 13.20 लाख और वेबलिंक के माध्यम से: 1.55 लाख

थी और शेष लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए आवास+ सूची में संशोधन की प्रक्रिया चल रही थी।

अनुशंसा 2: राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकती है कि शेष पात्र आवास+ लाभार्थियों को पक्के आवास प्रदान किए जाएं।

2.4 भौतिक लक्ष्यों का समर्पण और निकासी

पीएमएवाई-जी के एफएफआई में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को स्वीकृति देने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति होगी। एमओआरडी अनुमोदित एएपी और आवाससॉफ्ट पर अपलोड की गई प्राथमिकता सूची/ पीडब्ल्यूएल के आधार पर पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों को भौतिक लक्ष्य आवंटित करता है।

प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल को ग्राम सभाओं और डीएसी द्वारा अंतिम रूप दिया गया (2016-17) और संबंधित प्रखंडों द्वारा आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

(i) एमओआरडी ने वर्ष 2016-21 के दौरान कुल 12.82 लाख का लक्ष्य प्रदान किया था, लेकिन राज्य द्वारा आवासों की कम स्वीकृति के कारण, वर्ष 2016-17 से 2020-21 से संबंधित 83,091 भौतिक लक्ष्यों को राज्य द्वारा अभ्यर्पित कर दिया गया था, जैसा कि **तालिका 2.2** में वर्णित है।

तालिका 2.2: वर्ष 2016-22 के दौरान प्राप्त लक्ष्य

वर्ष	राज्य के लिए प्रारंभिक लक्ष्य	राज्य के लिए संशोधित लक्ष्य	आरडीडी द्वारा अभ्यर्पित लक्ष्य
2016-17	2,30,855	2,30,726	129
2017-18	1,59,052	1,58,944	108
2018-19	1,38,884	1,38,829	55
2019-20	3,22,000	3,21,738	262
2020-21	4,31,066	3,48,529	82,537
कुल	**12,81,857**	**11,98,766**	**83,091**

(स्रोत: आरडीडी के अभिलेख)

(ii) एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल और आवास+ के तहत आवासों की कम स्वीकृति के कारण एमओआरडी द्वारा क्रमशः 1,521 और 8,107 आवासों के भौतिक लक्ष्य वापस ले लिए गए (मई 2023)।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा आवासों की कम स्वीकृति और एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में अशुद्धियों के कारण भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए लक्ष्यों के उपयोग करने का अवसर खो दिया गया।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि अंतिम पीडब्ल्यूएल सूची में विसंगति और लक्ष्य से कम संख्या में आवासों की स्वीकृति के कारण, लक्ष्यों के अभ्यर्पण/वापसी की स्थिति उत्पन्न हुई।

2.5 भूमिहीन लाभार्थी

पीएमएवाई-जी के एफएफआई तहत राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायत सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित भूमि) सहित किसी अन्य भूमि से भूमि प्रदान करना होता है। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना था कि भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का प्रावधान पीडब्लूएल के अंतिम रूप दिए जाने के बाद पूरा हो जाए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मार्च 2017 तक राज्य में 758 भूमिहीन लाभार्थी (एसईसीसी 2011 के अनुसार) थे, जिन्हें मार्च 2017 में जारी आरडीडी के आदेशों के अनुसार भूमि प्रदान की जानी थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने नमूना-जांचित जिलों में देखा कि 256 भूमिहीन लाभार्थियों में से, मार्च 2024 तक केवल 95 लाभार्थियों (37 प्रतिशत) को भूमि और आवास प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, भूमिहीन लाभार्थियों का विवरण राज्य/जिला/प्रखंड स्तर पर नहीं रखा गया था। लेखापरीक्षा में आवाससॉफ्ट (491), आरडीडी (758) और एमओआरडी आंकड़ों (2,935) के अनुसार राज्य में भूमिहीन लाभार्थियों की संख्या में भिन्नता देखी गई। इस संबंध में, यह भी देखा गया कि:

(i) एमओआरडी ने राज्य को सूचित किया (नवंबर 2022) कि राज्य में 2,935 भूमिहीन लाभार्थी थे, जिनमें से 929 लाभार्थियों को भूमि प्रदान नहीं की गई थी। एमओआरडी ने इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए आरडीडी को निर्देशित किया (फरवरी 2023) और भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने के लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा तय की।

(ii) एमओआरडी में अधिकार प्राप्त समिति की बैठक[10] के दौरान, आरडीडी ने प्रतिवेदित किया (फरवरी-मार्च 2023) कि राज्य में अभी भी 895 भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान की जानी है। संबंधित अभिलेखों के अभाव में इन लाभार्थियों को भूमि प्रदान किए जाने की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि सभी जिला और प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों को सत्यापन के बाद भूमिहीन लाभार्थियों की वास्तविक सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

---

[10] वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पीएमएवाई-जी की वार्षिक कार्य योजना पर विचार करना और उसे मंजूरी देना

2.6 विशेष परियोजनाएं

पीएमएवाई-जी के एफएफआई को विशेष परियोजनाओं[11] के लिए योजना के तहत लक्ष्यों के पांच प्रतिशत तक आरक्षण की आवश्यकता होती है। विशेष परियोजनाओं के लिए राज्यों को पर्याप्त विवरण और कारण के साथ प्रस्ताव एमओआरडी को सौंपने थे। राज्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित करना था कि विशेष परियोजना के तहत सहायता प्रदान किए जाने वाले लाभार्थियों की पहचान की गई है और उन्हें एसईसीसी 2011 या अंतिम अवास+ सूची की पीडब्ल्यूएल में सूचीबद्ध किया गया है। विशेष परियोजनाओं के लक्ष्यों को सामान्य लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाना था तथा राज्य के वार्षिक वित्तीय आवंटन के भीतर धन (प्रशासनिक धन के साथ) जारी करने के लिए विचार किया जाना था।

एसपीएमयू द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह देखा गया कि पीएमएवाई-जी के तहत विशेष परियोजनाओं के लिए कोई भी प्रस्ताव वर्ष 2019-24 के दौरान एमओआरडी को नहीं भेजा गया था, हालांकि जिला[12] स्तर पर नमूना परीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने कई उदाहरण देखे जहां खनन या पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता सूची से हटा दिया गया था।

(i) पलामू जिले में, पंडवा प्रखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायत[13] में पट्टे पर ली गई कोयला खदान क्षेत्र में रहने वाले 307 पीडब्ल्यूएल लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी आवास स्वीकृत किए जाने थे। हालाँकि, संबंधित पट्टेदार कंपनियों[14] ने डीडीसी, पलामू से अनुरोध किया कि वे पट्टे वाले क्षेत्र में कोई नया निर्माण कार्य न करें। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह भी निर्देश दिया गया (मार्च 2022) कि कोयला खनन क्षेत्र[15] में नये आवासों का निर्माण शुरू नहीं किया जाय। इसलिए आरडीडी ने डीडीसी, पलामू को निर्देश दिया (मार्च 2022) कि जहां लाभार्थी पट्टे क्षेत्र के बाहर आवास बनाने के लिए अनिच्छुक थे, वहां इसके संबंध में लिखित पुष्टि प्राप्त करके, उन मामलों में रिमांड प्रक्रिया शुरू किया जाय। लेखापरीक्षा ने डीआरडीए, पलामू द्वारा प्रदान की गई जानकारी से यह भी देखा (दिसंबर 2024) कि सभी 307 पीडब्ल्यूएल लाभार्थियों को रिमांड कर दिया गया था। हालाँकि, रिमांड के आधार का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि लाभार्थियों से प्राप्त लिखित पुष्टिकरण से संबंधित अभिलेख डीआरडीए, पलामू द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे। उनके आवास संबंधी जरूरतों का पता

---

11 राष्ट्रीय खतरों और कानून और व्यवस्था की समस्याओं के कारण पूरी तरह से / पर्याप्त रूप से क्षतिग्रस्त आवासों वाले परिवारों का पुनर्वास / पुनर्वास; अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम के तहत अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुद्दों के कारण प्रभावित परिवारों का निपटान, व्यवसाय जनित रोग और 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों' से संबंधित एचएच; आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों और उनके परिवारों का निपटान; नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन; हरित आवास आदि के लिए नवीन और टिकाऊ समाधानों का प्रदर्शन और विस्तार करना; और व्यक्तियों की कोई अन्य उपयुक्त श्रेणी या वर्ग

12 पलामू और रामगढ़ जिले।

13 गड़ीखास, लोहरा कजरी और पंडवा पंचायत।

14 मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड और मेसर्स अरण्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड।

15 लोहारी कोल ब्लॉक।

लगाने के लिए किए गए किसी भी सर्वेक्षण का भी लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि जिला स्तर पर संबंधित अभिलेख मौजूद नहीं थे।

(ii) इसी प्रकार, रामगढ़ जिले के मांडू प्रखण्ड के केदला उत्तर ग्राम पंचायत के तहत पट्टा[16] क्षेत्र में रहने वाले 152 पीडब्ल्यूएल लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने के बाद आवासों को स्वीकृति देने के बजाय रिमांड किया गया था (मार्च 2019)।

जेपीवी के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि रामगढ़ जिले में दो लाभार्थी वन विभाग और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की आपत्तियों के कारण अपने आवासों का निर्माण पूरा नहीं कर सके। यह भी देखा गया कि लाभार्थियों के चयन/लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति के समय ग्राम पंचायत/प्रखण्ड/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा भूमि की स्थिति को अनदेखा किया गया था।

ऐसे दो उदाहरणों के बारे में **केस स्टडी 5 एवं 6** में विस्तार से बताया गया है।

केस स्टडी 5

रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत आरा उत्तरी ग्राम पंचायत के आरा (सीटी) गाँव की एक लाभार्थी (आईडी: जेएच10643XXXX) को सितंबर 2021 में एक आवास स्वीकृत किया गया तथा सितंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच वित्तीय सहायता (₹1.30 लाख) प्रदान की गई। जेपीवी के दौरान (सितंबर 2024) लाभार्थी ने बताया कि उसका आवास वन भूमि पर स्थित है तथा इस संबंध में वन विभाग द्वारा उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, हालाँकि संबंधित अन्य विवरण साझा नहीं किए गए। इसके जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि मामले की जांच के पश्चात आवश्यक कार्रवाई हेतु जिले को निर्देश जारी किए जाएंगे।

चित्र 2.7: वन भूमि पर लाभार्थी द्वारा निर्मित आवास

---

16 पट्टेदार: मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और मेसर्स टाटा स्टील।

केस स्टडी 6

रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत आरा उत्तरी ग्राम पंचायत के आरा (सीटी) गांव के एक लाभार्थी (आईडी: जेएच11995XXXX) को पीएमएवाई-जी के तहत अक्टूबर 2021 में आवास स्वीकृत किया गया था तथा लाभार्थी को अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच वित्तीय सहायता (₹1.30 लाख) प्रदान की गई थी। जेपीवी के दौरान (सितंबर 2024) आवास अधूरा पाया गया। लाभार्थी ने बताया कि सीसीएल द्वारा आपत्ति उठाए जाने के कारण आवास का निर्माण पूरा नहीं हो सका। इस संबंध में आरडीडी ने बताया (जून 2025) कि मामले की जाँच के उपरांत आवश्यक कार्रवाई हेतु जिले को निर्देश जारी किए जाएंगे।

चित्र 2.8: लाभार्थी द्वारा सीसीएल की भूमि पर निर्मित आवास

इस प्रकार, वन और पट्टे की जमीन पर जिला प्राधिकरण द्वारा पीएमएवाई-जी आवासों की स्वीकृति के कारण, लाभार्थी योजना के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित थे।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए जिलों से अद्यतन रिपोर्ट मांगी जाएगी।

अनुशंसा 3: राज्य सरकार लाभार्थियों के चयन के समय भू-स्वामित्व के सत्यापन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण और कार्यान्वयन कर सकती है।

2.7 दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण

पीएमएवाई-जी के एफएफआई (2016) में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य स्तर पर तीन प्रतिशत लाभार्थी दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) में से हों। भारत सरकार ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण को पीएमएवाई-जी के तहत पांच प्रतिशत तक बढ़ा दिया है (19 अप्रैल 2017 से प्रभावी)।

राज्य, जिले और प्रखण्ड स्तर पर अभिलेखों की जांच से पता चला कि पीडब्ल्यूएल के अनुसार पीडब्ल्यूडी परिवारों का अलग से आंकड़ों को अनुरक्षित नहीं किया गया था। इस प्रकार, वास्तविक लक्ष्यों के संदर्भ में आच्छादित किए गए पीडब्ल्यूडी परिवारों की वास्तविक संख्या का लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाया जा सका। आवाससॉफ्ट डेटाबेस के अनुसार, 10.64 लाख एचएच के लक्ष्य में से, राज्य में केवल 77 पीडब्ल्यूडी लाभार्थियों को कवर किया गया, जबकि वर्ष 2019-22 के दौरान छः नमूना-जांचित

जिलों में 3.47 लाख परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 17 पीडब्ल्यूडी को कवर किया गया था।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि सभी जिला और प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों को पीडब्ल्यूएल लाभार्थियों का सत्यापन करने और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आवासों की स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया है।

2.8 वार्षिक चयनित सूची

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, एमओआरडी से वार्षिक लक्ष्य प्राप्त होने पर आरडीडी द्वारा प्रदान किए गए वार्षिक लक्ष्य प्राप्त होने के बाद प्रखंडों द्वारा वार्षिक चयन सूची तैयार की जानी थी। इसके अलावा, वार्षिक चयन सूचियों को व्यापक रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ गांवों में दीवार चित्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-24 के दौरान किसी भी नमूना-जांचित प्रखंडों ने वर्ष-वार तरीके से वार्षिक चयन सूची तैयार नहीं की थी। इन सूचियों को तैयार नहीं किए जाने के कारण, प्रखण्ड उन श्रेणी-वार लाभार्थियों की वास्तविक संख्या से अनजान रहे जो पिछले वर्ष के लक्ष्यों में शामिल नहीं थे और इस कारण छूट गए थे। इसके अलावा, राज्य स्तर पर और नमूना-जांचित जिलों में, यह देखा गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान कई बार प्रखंडों/जिलों को लक्ष्य पुन: आवंटित गए थे, क्योंकि विशेष श्रेणी में छूटे हुए लाभार्थी प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में उपलब्ध नहीं थे जिसके कारण संबंधित प्रखंडों द्वारा बार-बार लक्ष्य अभ्यर्पित किया गया। परिणामस्वरूप, प्रखण्ड स्तर पर लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों के पंजीकरण और स्वीकृति में देरी हुई।

इसके अलावा, वार्षिक चयन सूची के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या प्रत्येक आवास की स्वीकृति प्रखंडों/जिलों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार दी गई थी। इसके अलावा, चूंकि वार्षिक चयन सूची का उद्देश्य लाभार्थियों और हितधारकों के बीच उनकी वार्षिक रैंकिंग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना था, इसलिए इसकी तैयारी न किए जाने के परिणामस्वरूप पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी हुई।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि इस संबंध में सभी जिला और प्रखण्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

2.9 निष्कर्ष

पीएमएवाई-जी के नियोजन में कमी थी, क्योंकि ग्राम सभाओं और जिला अपीलीय समितियों द्वारा एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) को ठीक से सत्यापित/अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जिसके कारण 2.90 लाख अपात्र लाभार्थियों को योजना के कार्यान्वयन के दौरान (वर्ष 2017-18 से 2023-24) ग्राम सभा द्वारा बाद में रिमांड किया/हटाया गया। विशेष रूप से, छः नमूना-जांचित जिलों के 60 चयनित

ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) में कोई भी वर्ष 2016-2024 के दौरान अंतिम पीडब्ल्यूएल तैयार करने से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे।

योजना के तहत नवंबर 2022 तक राज्य द्वारा 22.34 लाख पात्र परिवारों की पहचान की गई थी। हालांकि, एसईसीसी प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में अशुद्धियों, लक्ष्यों का उपयोग करने में राज्य की असमर्थता और आवास+ लाभार्थियों को अंतिम रूप देने में दो साल की देरी के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा केवल 16.02 लाख आवासों का आवंटन किया जा सका तथा 6.32 लाख पात्र परिवारों (28 प्रतिशत) को योजना के तहत आच्छादित नहीं किया जा सका। इस कटौती किए गए लक्ष्य के मुकाबले, राज्य द्वारा वर्ष 2016-24 के दौरान 15,92,124 आवासों को स्वीकृति दी गई और जनवरी 2025 तक 15,62,249 आवासों (98 प्रतिशत) का निर्माण किया गया। राज्य ने खनन या पट्टे वाले क्षेत्रों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को भूमि प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धन जारी करने के लिए विशेष परियोजनाओं के तहत प्रस्ताव तैयार नहीं किए। इसके अलावा, लाभार्थियों के चयन/आवासों की स्वीकृति के समय ग्राम पंचायत/प्रखण्ड/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा भूमि की स्थिति का सत्यापन नहीं किया गया था। आवास की स्वीकृति के लिए भूमि प्रदान करने के बजाय प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल से भूमिहीन लाभार्थियों को हटाने; दिव्यांगजनों की श्रेणी से संबंधित लाभार्थियों के अलग आंकड़ों का रखरखाव नहीं करने और वर्ष 2019-24 के दौरान वार्षिक चयन सूची तैयार नहीं किये जाने जैसे मामले भी लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए।

अध्याय 3

अभिसरण सहित योजना का क्रियान्वयन

अध्याय 3

अभिसरण सहित योजना का कार्यान्वयन

3.1 पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, उप विकास आयुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यकारी नियंत्रण के तहत, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी एवं प्रखंड कार्यालयों में स्थापित जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयु) और प्रखण्डों के माध्यम से, पीएमएवाई-जी लागू करता है। योजना के कार्यान्वयन, निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों का गठन ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर, जिलों में डीआरडीए स्तर पर एवं प्रखण्ड स्तर पर किया गया है। पीएमएवाई-जी आवासों के निर्माण के लिए बीडीओ द्वारा जारी एफटीओ के माध्यम से एसएनए से लाभार्थियों को तीन किस्तों में वित्तीय सहायता (₹1.30 लाख आईएपी जिले में और गैर-आईएपी जिले में ₹1.20 लाख) प्रदान की गई थी।

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, हालांकि आवास का निर्माण लाभार्थियों द्वारा किया जाना है, परंतु यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस प्रक्रिया में लाभार्थियों का अपेक्षित मार्गदर्शन किया जाए एवं यह सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से निगरानी की जाए कि आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो गया हो। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन डीडीसी की देख-रेख में एक समर्पित डीपीएमयु के माध्यम से किया जाता है। प्रखण्ड स्तर पर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अपने संबंधित प्रखंडों में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करनी थी और स्थानीय स्तर पर, ग्राम पंचायतों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रबंधन करना था।

3.1.1 वार्षिक कार्य योजना

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, राज्य को योजना के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी होती है। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वीकृत आवासों को ससमय पूरा करने और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने का रोडमैप शामिल होता है। राज्य की व्यापक वार्षिक कार्य योजना में जिला-वार योजना को शामिल किया जाना जिसमें प्राथमिकता वाले परिवार को संतृप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर प्रकाश डाला गया है। जिला-वार योजना में राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों, निर्माण सामग्री के स्रोतों, लाभार्थियों को ऋण की सुविधा, आवास टाइपोलॉजी के लिए विकास और प्रसार योजना, लाभार्थी में जागरूकता हेतु कार्यशालाओं और वे सभी सुविधाएँ शामिल थीं जो अलग-अलग योजना के साथ मिलकर लाभार्थियों को मिलेंगी।

आरडीडी ने राज्य स्तर पर समेकन हेतु जिलों को वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए व्यापक वार्षिक कार्य योजना एमओआरडी को भेजने हेतु अनुदेश जारी किए थे। जिलों को प्रखंडों से आवश्यक आँकड़े एकत्र करने थे

एवं जिले के लिए वार्षिक योजना को समेकित करना था तथा इसे व्यापक एएपी तैयार करने के लिए विभाग को भेजना था।

एमओआरडी ने वर्ष 2019-24 के लिए राज्य के व्यापक एएपी को स्वीकृति दे दी थी। स्वीकृत एएपी के आधार पर, वर्ष 2019-22 के दौरान पात्र लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति के लिए राज्य को लक्ष्य प्रदान किए गए थे। हालांकि, एमओआरडी द्वारा वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कोई लक्ष्य राज्य को प्रदान नहीं किए गए थे, क्योंकि 2.95 करोड़ का राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य समाप्त हो गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि झारखण्ड सरकार द्वारा जारी अनुदेशों (फरवरी 2023) के बावजूद, नमूना-जांचित छः जिलों में से किसी में भी वर्ष 2019-24 के दौरान जिला-वार वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किए गए थे। उल्लेख किए जाने पर, उप विकास आयुक्तों ने कहा (दिसंबर 2024) कि एएपी राज्य स्तर पर तैयार किए जा रहे थे।

हालांकि, एसपीएमयु ने वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा को व्यापक एएपी भी उपलब्ध नहीं कराया। इसलिए, लेखापरीक्षा में आवासों के ससमय निर्माण कार्य पूर्ण होने के लिए राज्य द्वारा अपनाई गई योजना/रोडमैप की प्रभावशीलता, लाभार्थियों को विभिन्न सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए नियोजित गतिविधियों के विवरण इत्यादि संबंधित कोई आश्वासन नहीं मिल सका।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि एएपी तैयार करने के लिए जिला और प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों को फिर से निर्देश जारी किए जाएंगे। यह भी कहा गया कि एएपी की अनुपस्थिति में, लंबित देयता और अगले वर्ष के अनुमानित लक्ष्य को शामिल करके राज्य स्तर पर व्यापक वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई थी।

3.1.2 पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का पंजीकरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को निर्धारित प्रारूप में पंजीकरण करने के लिए पंजीकरण मैनुअल जारी किया है (2016)। तदनुसार, आवेदन को लाभार्थी के विवरण **(परिशिष्ट 3.1)** सहित पंजीकरण के दौरान निर्धारित प्रारूप में आवाससॉफ्ट में अपलोड किया जाता है। इसके अलावा, आरडीडी ने सभी डीडीसी को प्रखण्ड स्तर पर लाभार्थियों के अभिलेख संधारित करने के निर्देश जारी किए (अगस्त 2019) जिसमें प्रासंगिक विवरण[1] शामिल हों।

नमूना-जांचित छः जिलों के 12 चयनित प्रखंडों[2] में यादृच्छिक रूप से चुने गए 2,400 लाभार्थियों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि लाभार्थी के अभिलेख पंजीकरण मैनुअल के निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं किये जा रहे थे। इसके अलावा लाभार्थियों के विवरण अर्थात् लाभार्थियों के व्यक्तिगत विवरण, बैंक खातों के विवरण, अभिसरण

---

[1] लाभार्थी आईडी, आधार, जॉब कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि।

[2] बोकारो जिले के गोमिया और जरीडीह प्रखण्ड; दुमका जिले के जामा और सरैयाहाट प्रखण्ड; गिरिडीह जिले के देवरी और पीरटांड प्रखण्ड; पलामू जिले के हुसैनाबाद और नीलांबर-पीतमबरपुर खण्ड; रामगढ़ जिले के दुल्मी और मांडू प्रखण्ड; सिमडेगा जिले के कुरडेग और ठेठाईटंगर प्रखण्ड।

के विवरण, विकलांगता विवरण, पीएमएवाई-जी आईडी, प्राथमिकता सूची के अनुसार प्राथमिकता संख्या, जॉब कार्ड विवरण, स्वच्छ भारत मिशन संख्या, राजमिस्त्री प्रशिक्षण लेने और संबंधित क्षेत्र के लिए विकसित हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी का उपयोग करने की इच्छा, पहले से निर्मित आवास के साथ तस्वीरें, बीडीओ का पंचायत सेवक को चयन से संबंधित पत्र इत्यादि, जो आरडीडी के निर्देशों के अनुसार आवश्यक थे, प्रखण्ड स्तर पर संधारित नहीं किए जा रहे थे।

लेखापरीक्षा द्वारा लाभार्थियों के अभिलेखों के विश्लेषण में पाया गया कि राजमिस्त्री प्रशिक्षण लेने एवं संबंधित क्षेत्र के लिए विकसित हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी का उपयोग करने की इच्छा इत्यादि विवरण लाभार्थियों से प्राप्त नहीं किए गए थे। लाभार्थियों के पूर्ण रूप से तैयार आवासों के साथ तस्वीरें भी अभिलेख में नहीं रखी गई थीं जबकि पंजीकरण मैनुअल में अभिलेख रखने के मानदंडों के तहत ये आवश्यक थे। इसके अलावा, सभी नमूना-जांचित लाभार्थियों के अभिलेख में अनुमोदन/आदेश पत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए।

यह भी देखा गया कि प्रखंडों ने लाभार्थियों के साथ उनके जागरूकता इत्यादि के लिए बैठकें आयोजित नहीं कीं जिससे योजना का उचित कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। रिमांड प्रस्तावों की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि प्रखण्ड स्तर पर अभिलेख[3] के खराब रख-रखाव के कारण 127 अयोग्य लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए थे, जिन्हें बाद में दो जिलों (पलामू और रामगढ़) में ग्राम सभाओं द्वारा रिमांड कर दिया गया।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि इस संबंध में सभी जिला और प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं।

3.1.3 आवासों का लक्ष्य, स्वीकृति और इसके निर्माण कार्य की पूर्णता

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य स्तर पर, वर्ष 2019-22 के लिए 11.57 लाख आवासों[4] के भौतिक लक्ष्य के मुकाबले, 10.54 लाख[5] आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जबकि वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान 0.12 लाख[6] आवासों को एक से दो साल तक की विलंब (स्वीकृति में) के साथ स्वीकृति दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि राज्य द्वारा आवासों की कम स्वीकृति के कारण वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान 83,091 आवासों के निर्माण के भौतिक लक्ष्य (जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है) को आरडीडी द्वारा वापस (फरवरी 2023) कर दिया गया था। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान स्वीकृतियों की कम संख्या का

---

[3] पक्के आवास वाले लाभार्थियों लाभार्थियों की मृत्यु, परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर आवंटित मकान, सरकारी सेवा आदि से संबंधित अभिलेख/विवरण

[4] आवासों का भौतिक लक्ष्य- 2019-20: 3,22,000; 2020-21: 4,31,066; 2021-22: 4,03,504; कुल लक्ष्य: 11,56,570

[5] आवास सॉफ्ट के अनुसार स्वीकृत आवास- 2019-20: 3,01,960; 2020-21: 3,61,508 और 2021-22: 3,90,110

[6] 2022-23: 11,582; 2023-24: 75

कारण एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल में निरंतर परिवर्तन था। इसके अलावा, राज्य में आवासों (आवास+ सहित) की कम स्वीकृति के कारण एमओआरडी द्वारा 9,628 आवासों का भौतिक लक्ष्य[7] भी वापस (मई 2023) ले लिया गया (***कंडिका 2.4***)।

नमूना-जांचित छः जिलों के मामले में, वर्ष 2019-22 के दौरान आवासों के निर्माण के लिए भौतिक लक्ष्य 3.75 लाख था। जिसमें से उसी अवधि के दौरान 3.43 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए आवंटन के लक्ष्य में से वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान 3,735 आवासों को एक से दो साल की विलंब से स्वीकृति दी गई थी, जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: नमूना-जांचित जिलों में भौतिक लक्ष्यों के मुकाबले आवासों की स्वीकृति

जिला	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	लक्ष्य	स्वीकृति	लक्ष्य	स्वीकृति	लक्ष्य	स्वीकृति	लक्ष्य	स्वीकृति	लक्ष्य	स्वीकृति
बोकारो	15,000	14,598	24,842	16,727	14,879	14,840	0	379	0	2
दुमका	23,000	22,473	32,539	31,152	15,410	15,334	0	855	0	1
गिरिडीह	29,000	23,907	28,333	23,648	29,657	29,087	0	860	0	14
पलामू	29,000	24,473	39,861	37,271	46,180	45,364	0	1,169	0	14
रामगढ़	4,500	4,502	2,569	2,203	6,825	6,789	0	62	0	1
सिमडेगा	9,000	8,945	11,576	9,275	12,801	12,512	0	378	0	0
कुल राशि	**1,09,500**	**98,898**	**1,39,720**	**1,20,276**	**1,25,752**	**1,23,926**	**0**	**3,703**	**0**	**32**

(स्रोत: आवास-सॉफ्ट पर 19.2.2025 की स्थिति के अनुसार)

आवास-सॉफ्ट पोर्टल में अद्यतन जानकारी[8] के अनुसार, वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में 11.01 लाख[9] आवासों का निर्माण किया गया था जबकि नमूना-जांचित छः जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान 3.55 लाख आवासों का निर्माण किया गया था ***(परिशिष्ट 3.2)***।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि लक्ष्य के संदर्भ में आवासों की स्वीकृति में विलंब के कारण, और लाभार्थियों के व्यक्तिगत कारणों से, निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवासों का निर्माण नहीं किया जा सका। एसईसीसी-2011 की प्राथमिकता सूची के अनुसार सभी लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति न होने के कारण कुछ लक्ष्य वापस कर दिए गए हैं।

---

7 1,521 और 8,107 भौतिक लक्ष्य

8 19-02-2025 तक

9 2019-20: 1,56,974 आवास; 2020-21: 2,35,011 आवास; 2021-22: 2,95,036 आवास; 2022-23: 3,63,310 आवास और 2023-24: 50,974 आवास; कुल निर्मित आवास: 11,01,305

3.1.4 आवासों के निर्माण में विलंब

पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों द्वारा स्वयं या उसकी देख-रेख में स्वीकृति की तिथि से 12 महीने के भीतर आवास का निर्माण कार्य किया जाना था। पीएमएवाई-जी के एफएफआई ने जोर दिया है कि आवास के निर्माण में विलंब से इसके पूरा होने में जटिलताएं पैदा होंगी। विलंब होने से न केवल इनपुट-लागत में वृद्धि होगी बल्कि इससे लाभार्थियों की खपत आवश्यकताओं सहित अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए निधि का विचलन भी हो सकता है। इस प्रकार, राज्यों को लाभार्थियों द्वारा आवास के निर्माण की निगरानी बहुत बारीकी से करनी होगी और निरंतर मार्गदर्शन करना होगा।

आवास-सॉफ्ट के अनुसार, वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांचित छः जिलों में 3.47 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई और उन्हें पूरा किया गया। जिनमें से 2.08 लाख (60 प्रतिशत) आवासों का निर्माण एक वर्ष के निर्धारित समय-सीमा के अंदर किया जाना बताया गया। शेष 1.39 लाख (40 प्रतिशत) आवासों को निर्धारित 12 महीनों की जगह एक से तीन साल से अधिक की विलंब के साथ पूरा किया गया। इन जिलों (पलामू को छोड़कर) में वर्ष 2019-24 के दौरान स्वीकृत कुल 9,433 आवास, स्वीकृति की तिथि से अधूरे रहे, जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: नमूना-जांचित छः जिलों में पीएमएवाई-जी आवासों के पूरा होने की स्थिति (मार्च 2024 तक)

जिला	स्वीकृति की अवधि	स्वीकृत आवासों की संख्या	पूरा होने में लगने वाला समय				
			1 वर्ष के अंदर	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	पूरा नहीं हुआ
बोकारो	2019-22	46,512	31,891	11,158	2,155	545	763
दुमका	2019-22	69,688	40,435	20,879	5,663	938	1,773
गिरिडीह	2019-22	77,496	49,964	20,155	3,914	1,051	2,412
पलामू	2019-22	1,08,243	56,305	37,190	8,324	2,533	3,891
रामगढ़	2019-22	13,543	10,353	2,684	299	88	119
सिमडेगा	2019-22	31,086	19,217	9,467	1,583	344	475
कुल राशि		**3,46,568**	**2,08,165**	**1,01,533**	**21,938**	**5,499**	**9,433**

(स्रोत: आवास-सॉफ्ट)

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि लाभार्थियों की मृत्यु, बड़े आवासों का निर्माण, राशि का अन्यत्र व्यय, प्रवासन इत्यादि जैसे कारणों से कुछ आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा के अंदर नहीं किया जा सका। हालांकि, इन आवासों को पूरा करने के लिए जिलों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

3.1.5 अपूर्ण आवास और सहायता-राशि की वसूली

एमओआरडी, भारत सरकार ने राज्यों को 31 मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ आवासों के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत सभी लंबित आवासों को अविलंब स्वीकृति प्रदान करने और निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया

(मई 2023) था। फिर उक्त समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया (नवंबर 2024)। एमओआरडी ने राज्यों को, संबंधित गतिविधियों को पूरा करने का निर्देश दिया (सितंबर 2024) जैसे विलंबित आवासों को चिह्नित करना, लंबित आवासों का निर्माण पूरा किया जाना जिन्हें पूर्ण किया जा सकता है, लाभार्थियों से सहायता राशि की वसूली करना जो अपने आवासों को पूरा नहीं कर सके या निर्माण के लिए अनिच्छा प्रकट की थी। राज्यों को उन आवासों, जिनका निर्माण नहीं किया जा सकता, के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के गठन हेतु भी निर्देश दिया गया था एवं अनुशंसा की गई थी कि उन आवासों में शामिल राशि जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है और वसूली संभव नहीं है, को बट्टे खाते में डाला जाए।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में, आरडीडी ने आवास-सॉफ्ट पोर्टल में 29,787 अधूरे आवासों को तीन श्रेणियों[10] में वर्गीकृत किया (नवंबर 2024) (क, ख और ग) एवं सभी जिलों के अधिकारियों को 31 दिसंबर 2024 तक श्रेणी 'क' के तहत वर्गीकृत आवासों को पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा आरडीडी द्वारा जिलों के अधिकारियों को श्रेणी 'ख' के तहत आने वाले लाभार्थियों को जारी की गई राशि की वसूली करने और श्रेणी 'ग' के तहत आने वाले मामलों की विस्तृत रिपोर्ट ग्राम सभाओं से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद (स्थल सत्यापन के आधार पर) प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था। आरडीडी के अभिलेख के अनुसार राज्य में विलंबित/अधूरे आवासों की कुल संख्या 29,787 थी, जबकि छः नमूना-जांचित जिलों में विलंबित/अधूरे आवासों की संख्या 9,189 थी। राज्य में श्रेणी क, ख और ग के साथ-साथ नमूना जाँच किए गए जिलों के तहत चिह्नित विलंबित/अपूर्ण आवास को **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: क, ख और ग के रूप में वर्गीकृत अपूर्ण आवास

राज्य/ नमूना-जांचित राज्य/ जिले	कुल विलंबित/ आवास	विलंबित / पूरा किए जाने वाले आवास (श्रेणी क)	विलंबित / आवास जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है लेकिन राशि वसूल किया जा सकता है (श्रेणी ख)	विलंबित / आवास जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है और राशि वसूल नहीं किया जा सकता है (श्रेणी ग)	विलंबित / आरडीडी द्वारा निर्दिष्ट नहीं किए गए आवास
राज्य स्तर	29,787	17,395 (58 *प्रतिशत*)	1,434 (5 *प्रतिशत*)	10,899 (37 *प्रतिशत*)	59
नमूना-जांचित जिले	9,189	5,038 (55 *प्रतिशत*)	502 (5 *प्रतिशत*)	3,638 (40 *प्रतिशत*)	11

(स्रोत: आरडीडी के अभिलेख)

[10] क: विलंबित आवास, जिन्हें पूरा किया जा सकता है (17,395); ख: विलंबित आवास, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है लेकिन पैसा वसूल किया जा सकता है (1,434) और ग: विलंबित आवास, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है और पैसा भी वसूल नहीं किया जा सकता है (10,899); विलंबित/आरडीडी द्वारा निर्दिष्ट नहीं किए गए घर (59)।

राज्य पीएमयु ने श्रेणी 'ख' के तहत आने वाले 1,434 लाभार्थियों से की गई वसूली और श्रेणी 'ग' के तहत 10,899 आवासों के लाभार्थियों की सहायता-राशि बट्टे खाते में डालने से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की।

इससे संकेत मिलता है कि राज्य ने आवासों के निर्माण कार्य की निगरानी बारीकी से नहीं की थी या मार्गदर्शन प्रदान नहीं की थी। जिसके परिणामस्वरूप आवासों के निर्माण कार्य में विलंब हुई/आवासों का निर्माण अधूरे रह गए (दिसंबर 2024 तक)।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि इस संबंध में जिलों और प्रखंडो को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं। स्थिति का जल्द से जल्द आकलन करने एवं विभाग को रिपोर्ट भेजने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने इसके अलावा पाया कि गिरिडीह जिले में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पीरटांड ने निगरानी की कमी और लाभार्थियों द्वारा काम की धीमी प्रगति के संबंध में पीरटांड प्रखण्ड के दो प्रखण्ड समन्वयकों से स्पष्टीकरण मांगा था। उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त, गिरिडीह को सूचित किया था (फरवरी 2022) कि वर्ष 2016-21 के दौरान स्वीकृत 83 आवासों का निर्माण कार्य विभिन्न कारणों से पूरा नहीं किया जा सका, जैसे लाभार्थियों की मृत्यु जिनका कोई आश्रित नहीं था, लाभार्थियों का प्रवास और पीरटांड प्रखण्ड के पारसनाथ क्षेत्र में निर्माण सामग्री जैसे रेत, ईंट, सीमेंट इत्यादि के मिलने में होने वाली कठिनाई होना। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) 83 में से 35 लाभार्थियों ने उन्हें ₹12.74 लाख की पहली किस्त (जनवरी 2017 से जुलाई 2020) जारी किए जाने के बाद भी काम प्रारंभ नहीं किया।

चित्र 3.1 और 3.2: दो लाभार्थी (आईडी: जेएच222xxxx और जेएच221xxxx) जिन्होंने पहली किस्त (₹ 40,000) प्राप्त होने के बाद अपने आवासों का निर्माण शुरू नहीं किया।

(ii) 83 से 23 आवास ऐसे थे जिनका निर्माण लाभार्थियों की मृत्यु जिनका कोई आश्रित नहीं था, आवास की स्वीकृति के बाद लाभार्थी का प्रवास, दूरस्थ/पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता इत्यादि कारणों से पूरा नहीं हो सका। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (फरवरी 2022) द्वारा उन्हें 'निर्माण न किए जाने वाले' आवासों की श्रेणी में रखा गया।

इसके बावजूद ₹16.40 लाख[11] की दूसरी और बाद की किश्तें जारी की गईं (अप्रैल 2022 से अगस्त 2024)।

चित्र 3.3 और 3.4 (आवास-सॉफ्ट से लिया गया) दो लाभार्थियों (आईडी: जेएच224xxxx और जेएच195xxxx) को दिखाते हैं, जिन्होंने सभी किश्तों की प्राप्ति के बाद अपना आवास पूरा नहीं किया था।

(iii) इसके अलावा, लेखापरीक्षा में सभी तीन किस्तों (फरवरी 2017 और दिसंबर 2020 के बीच) को जारी करने के साथ आवास-सॉफ्ट पर पूर्ण रूप से निर्मित दिखाए गए 83 में से 36 आवासों की जांच की गई और पाया कि उक्त पूर्ण आवासों की चित्र बिना जियो-टैगिंग के ही पोर्टल में अपलोड की गई थीं।

जवाब में आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पीरटांड को आवश्यक जांच करने और इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा।

अनुशंसा 4: राज्य सरकार 'निर्माण नहीं किए जाने वाले' आवासों के रूप में वर्गीकृत आवासों हेतु किश्तें जारी करने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकती है।

3.1.6 संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी)

आरडीडी ने सितंबर 2016 में सभी डीसी/डीडीसी को एसबीएम और मनरेगा के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रत्येक स्वीकृत पीएमएवाई-जी आवासों में शौचालय का निर्माण कराने का निर्देश दिया। आरडीडी ने पीएमएवाई-जी आवासों के लिए 27 वर्ग मीटर[12] में निर्माण के लिए एक हाउस मॉडल (जनवरी 2017) को भी स्वीकृति दी।

लेखापरीक्षा में प्रखण्ड/ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ नमूना जाँच किए गए छह जिलों के 12 प्रखंडों के अंतर्गत 60 ग्राम-पंचायतों में यादृच्छिक रूप से चयनित 633 पीएमएवाई-जी आवासों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। 633 में से 591 आवासों के निर्माण पूर्ण पाए गए और आवास-सॉफ्ट के अनुसार सभी संबंधित लाभार्थियों को

---

[11] 17 लाभार्थियों को ₹85,000 और छः लाभार्थियों को ₹32,500 (कुल ₹16.40 लाख) की वित्तीय सहायता प्रदान की गई

[12] इसमें दो शयनकक्ष, रसोई, शौचालय/स्नानआवास और एक बरामदा शामिल है।

तीन किश्तें जारी की गई थीं। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में कई विसंगतियां पाई गईं, जैसा कि अगले कंडिका में चर्चा की गई है।

(i) निर्धारित डिजाइन और रंग को न अपनाना और दीवार पर लोगो का चित्रण नहीं किया जाना

पीएमएवाई-जी के एफएफआई ने योजना के तहत निर्मित किए जाने वाले आवासों के लिए एक सामान्य डिजाइन निर्धारित किया था। जिसके अनुसार आवासों में एडोब की दीवारें[13], आरसीसी की छतें और बरामदे के लिए बांस की छतें होनी थीं। इसके अलावा, आरडीडी ने राज्य में बनाए जा रहे पीएमएवाई-जी आवासों में एकरूपता लाने के लिए एक रंग पैटर्न और लोगो डिजाइन निर्धारित किया (अप्रैल 2017) था। हालांकि लाभार्थियों को निर्धारित मानदंड के अलावा किसी अन्य रंग को चुनने की अनुमति दी गई थी, जबकि आवास के सामने लोगो, योजना का नाम एवं लाभार्थी का नाम अनिवार्य रूप से निम्नवत चित्र में दर्शाए गए अनुसार चिह्नित किया जाना था। आवास के लिए निर्धारित डिजाइन और रंग पैटर्न **चित्र 3.5 और 3.6** में दर्शाया गया है।

चित्र 3.5: बरामदे के लिए एडोब दीवारों, आरसीसी छत और बांस की छत के साथ पीएमएवाई-जी का निर्धारित डिजाइन।

चित्र 3.6: ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित दीवार रंग और लोगो

जेपीवी के दौरान, यह देखा गया कि किसी भी आवास में निर्धारित डिजाइन और रंग पैटर्न को नहीं अपनाया गया था। छः नमूना-जांचित जिलों में, जेपीवी में जाँच किए गए 591 पूर्ण आवासों में से केवल 191 (32 प्रतिशत) लाभार्थियों ने अपने आवासों को निर्धारित रूप में रंगीन/चित्रित किया था और केवल 36 लाभार्थियों (छः प्रतिशत) ने लाभार्थी के नाम के साथ आवास पर लोगो का चित्रण किया था।

(ii) आवास अधूरे निर्मित होने के बावजूद आवास-सॉफ्ट में पूर्ण निर्मित होने की स्थिति में दर्शाए गए

नमूना-जांचित छः जिलों में 591 पूर्ण निर्मित आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, आवासों में शौचालय (48 प्रतिशत), रसोई (56 प्रतिशत) दीवार प्लास्टर (51 प्रतिशत), खिड़की/दरवाजा चौखट (29 प्रतिशत) और छत ढलाई (4 प्रतिशत) नहीं पाए गए जबकि आवास-सॉफ्ट डेटाबेस के अनुसार, लाभार्थियों को सभी तीन वित्तीय किश्तें प्रदान की गई थीं। लाभार्थियों ने बताया कि उक्त कमियों का कारण, वित्तीय

[13] एडोब मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों से बनाई गई निर्माण सामग्री है।

सहायता की समाप्ति, निधियों का विचलन, बड़े आकार के आवासों का निर्माण इत्यादि था। अभिलेख/आवास-सॉफ्ट के अनुसार, उक्त सभी आवासों को पूर्ण रूप से निर्मित दर्शाया गया था क्योंकि 591 लाभार्थियों को सभी तीन किश्तें जारी की गई थीं।

चित्र 3.7 और 3.8: प्लास्टर, खिड़की के पल्ले और दरवाजे के बिना दो लाभार्थियों के आवास (आईडी: जेएच10606xxx और जेएच13616xxx)।

(iii) पहली/दूसरी किस्त जारी करने के बाद भी आवासों का निर्माण नहीं/आंशिक किया जाना

नमूना-जांचित छः जिलों में, जेपीवी में लेखापरीक्षा के दौरान जाँचे गए 633 आवासों में से 42 आवास[14] अधूरे पाए गए। यह पाया गया कि जिन 25 लाभार्थियों को पहली किस्त मिली थी, उनमें से 20 ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया था जबकि 17 लाभार्थियों के मामले में, जिन्हें दो किश्तें मिली थीं, उनके आवास की नींव या खिड़की स्तर तक निर्मित पाए गए। लाभार्थियों ने बताया गया कि आवासों के निर्माण शुरू नहीं करने/इसके आंशिक निर्माण का कारण निधि का विचलन, बीमारी, भूमि विवाद, निधि की समाप्ति इत्यादि था।

चित्र 3.9: अपने पुराने कच्चा आवास के सामने लाभार्थी। पीएमएवाई-जी आवास का निर्माण कार्य पहली किस्त के बाद शुरू नहीं हुआ (लाभार्थी आईडी: जेएच239xxxx)

चित्र 3.10: प्लास्टर, खिड़की और दरवाजे के बिना आवास का निर्माण (लाभार्थी आईडी: जेएच260xxxx)

[14] **बोकारो** (1 लाभार्थी- दो किश्तें- ₹1.25 लाख); **दुमका** (2 लाभार्थी- दो किश्तें - ₹1.15 लाख प्रत्येक); **गिरिडीह** (7 लाभार्थी- एक किस्त- ₹40,000 प्रत्येक और 4 लाभार्थी- दो किश्तें - ₹1.25 लाख प्रत्येक); **सिमडेगा** (2 लाभार्थी- एक किस्त- ₹40,000 प्रत्येक और 7 लाभार्थी- दो किश्तें - ₹1.25 लाख प्रत्येक); **रामगढ़**: शून्य; **पलामू** (16 लाभार्थी- एक किस्त- ₹40,000 प्रत्येक और 3 लाभार्थी- दो किश्तें - ₹1.25 लाख प्रत्येक)

(iv) निर्माण हेतु सामग्री की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाना

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार राज्य सरकारों को सूचित लक्ष्यों एवं पीडब्ल्यूएल में लाभार्थियों की संख्या के आधार पर जिला/प्रखण्ड-वार सामग्री की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक अभियान चलाना है।

हालांकि आरडीडी ने पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु सामग्रियों[15] की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी डीसी/डीडीसी को निर्देश जारी किए (मई 2017) थे, परंतु डीसी/डीडीसी ने जिलों में सामग्रियों की उपलब्धता, आपूर्ति दरों के निर्धारण एवं नमूना जाँच किए गए डीआरडीए एवं प्रखण्डों में लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु सामग्रियों के सुचारू रूप से उठाने तथा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ कोई बैठक आयोजित नहीं की। इसके अलावा, जेपीवी के दौरान, 633 में से 369 लाभार्थियों ने अपने आवासों के निर्माण के दौरान निर्माण हेतु सामग्री प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को साझा किया।

इस प्रकार, लाभार्थियों ने प्रतिस्पर्धी दरों पर निर्माण कार्य हेतु गुणवत्तापूर्ण सामग्री खरीदने का अवसर खो दिया, क्योंकि जिला स्तर के अधिकारियों ने आरडीडी के निर्देशों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं की।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि भविष्य में मार्गदर्शन के लिए लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को नोट किया गया है।

3.2 लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता सेवाएं

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, उपलब्ध संसाधनों के साथ गुणवत्तापूर्ण आवासों को ससमय पूरा करने की सुनिश्चितता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त यह आवश्यक था कि सामग्रियों और संसाधनों की चरण-वार आवश्यकता, स्थानीय रूप से प्रासंगिक आवास डिजाइनों के विभिन्न विकल्पों जैसे हरित प्रौद्योगिकियों, लागत में बचत पर निर्माण प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता, निर्माण सामग्री की खरीद के लिए सुविधा, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की उपलब्धता इत्यादि पर लाभार्थियों को जानकारी प्रदान किया जाए।

एसपीएमयु एवं नमूना-जांचित छः जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2019-24 के दौरान लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सहायता सेवाओं में कमियां थीं जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

---

[15] ईंट/फ्लाई ऐश ईंट निर्माताओं के साथ और सीमेंट निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ उनकी आपूर्ति दरों को निर्धारित करने के लिए बैठकें आयोजित करना; लाभार्थियों को निर्माण सामग्री की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना; लाभार्थियों को फ्लाई ऐश ईंट की उपयोगिता के बारे में जागरूक करना; और निर्माण सामग्री की निर्बाध उठाव और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला खनन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की बैठकों की व्यवस्था करना।

3.2.1 प्रदर्शन (डेमो) आवासों का निर्माण

एमओआरडी ने पीएमएवाई-जी आवासों के लिए राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ₹0.92 लाख से ₹1.48 लाख[16] तक के लागत अनुमान वाले आठ उपयुक्त आवास-डिजाइन टाइपोलॉजी विकसित की थी, जैसा कि पहल खंड-2[17] के तहत दर्शाया गया है। स्थानीय संदर्भ में उपयुक्त स्थान योजना, प्रौद्योगिकियों और विनिर्देशों के आधार पर आवास डिजाइनों के साथ डेमो हाउस का निर्माण (विशेषतः प्रखण्ड स्तर पर) किया जाना था ताकि लाभार्थियों द्वारा इसे देखा जा सके या इसका दौरा किया जा सके। पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, प्रखण्डों द्वारा डेमो आवासों के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी के अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक निधियों का उपयोग किया जाना था।

एसपीएमयु के अभिलेखों की जांच से पता चला कि दिसंबर 2017 में आरडीडी द्वारा डेमो आवास के निर्माण के लिए पहल की गई थी। तदनुसार, पायलट परियोजना के रूप में, दो स्थानों पर डेमो आवास (पूर्वी सिंहभूम जिले में जिला डीआरडीए परिसर और रांची जिले में इटकी प्रखण्ड) का निर्माण किया गया था। इसके बाद आरडीडी द्वारा अन्य जिलों में डेमो आवासों के निर्माण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस प्रकार, एमओआरडी द्वारा भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप विकसित उपयुक्त आवास के डिजाइन से लाभार्थी अनभिज्ञ रहे। इसके अलावा, उन्होंने डेमो आवासों का दौरा एवं आवासों में प्रदान की जा सकने वाली सुविधाओं का अनुभव एवं इसके निर्माण की सटीक लागत का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर खो दिया।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि भविष्य में आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

3.2.2 लाभार्थियों द्वारा हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी को न अपनाना और तकनीकी संस्थानों की पहचान न करना

पीएमएवाई-जी के एफएफआई एवं पीएमएवाई-जी के ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य द्वारा लाभार्थियों को स्थानीय क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुरूप आवास के डिजाइनों के विविध प्रकार के विकल्प प्रदान करने थे। जिसके लिए संबंधित क्षेत्र के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना था ताकि लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण के प्रारंभिक चरणों में अति-निर्माण न किया जाए क्योंकि इससे आवास या तो अधूरा रह जाता है या उन्हें आवास को पूरा करने के लिए राशि उधार लेने के लिए विवश होना पड़ता है। कोर हाउस डिजाइन में स्वच्छतापूर्ण खाना पकाने के लिए स्थान, एक शौचालय एवं स्नान गृह भी सम्मिलित किया जाना

---

16 क्षेत्र-बी के लिए आवास के डिजाइन के मामले में आवास का लागत अनुमान ₹1.48 लाख था।

17 ग्रामीण आवास प्रौद्योगिकी खंड II की यह संक्षिप्त पुस्तक एमओआरडी, भारत सरकार और दो राज्यों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा किए गए अध्ययन के परिणामस्वरूप विकसित की गई है।

था। इसके अलावा एमओआरडी द्वारा जारी लाभार्थियों के पंजीकरण मैनुअल के अनुसार, पंजीकरण के समय ही संबंधित क्षेत्र के लिए विकसित हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी के उपयोग के संबंध में लाभार्थियों से उनकी सहमति लेना अनिवार्य था।

जिलों/प्रखण्डों के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्दिष्ट टाइपोलॉजी के अनुसार आवासों के निर्माण के लिए प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों से सहमति नहीं ली गई थी।

जेपीवी के दौरान, यह पाया गया कि किसी भी आवास में ***कंडिका 3.1.6 (i)*** के तहत दर्शाए अनुसार निर्धारित आवास के डिजाइन को नहीं अपनाया था। इसके अलावा जेपीवी के दौरान लाभार्थियों ने यह भी बताया कि वे अपने क्षेत्र के लिए तैयार किए गए आवास के किसी भी डिजाइन के बारे में अनभिज्ञ थे। इसके अलावा नमूना-जांचित छः जिलों में जेपीवी के तहत जांचे गए 633 पीएमएवाई-जी आवासों में से 107 लाभार्थियों (17 प्रतिशत) ने अपने आवास का अति-निर्माण[18] किया था। जिसके परिणामस्वरूप 61 आवास (10 प्रतिशत) का निर्माण कार्य पूरे नहीं किए जा सके। इसके अलावा, 234 लाभार्थियों (37 प्रतिशत) को अपने आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ा था।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि झारखंड में राज्य के लिए अनुमोदित आठ आवास डिजाइनों में से डिजाइन सं. जेएच-डी-05 को ज्यादातर लाभार्थियों द्वारा अपनाया गया है।

जवाब विश्वसनीय नहीं है क्योंकि नमूना-जांचित छः जिलों में लाभार्थियों ने लेखापरीक्षा द्वारा आयोजित जेपीवी के दौरान अपने आवासों के निर्माण में किसी विशिष्ट आवास के डिजाइन को अपनाने के बारे में अज्ञानता व्यक्त की थी।

इसके अलावा पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, राज्य को ऐसे तकनीकी संस्थानों की पहचान करनी थी जो लाभार्थियों को उनके आवासों के निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। संस्थानों द्वारा लाभार्थियों को उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त आवास डिजाइन और निर्माण प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक किया जाना अपेक्षित था, जिसे लाभार्थियों अपने आवासों के निर्माण के लिए अपना सकते थे।

लेखापरीक्षा में नमूना-जांचित छः जिलों में पाया गया कि वर्ष 2019-2024 के दौरान अपने आवासों के निर्माण में लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कोई भी तकनीकी संस्थान कार्यरत नहीं था।

नमूना-जांचित छः जिलों में जेपीवी के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थियों द्वारा पीएमएवाई-जी आवासों का निर्माण निर्धारित लेआउट योजना का पालन किए बिना किया गया था। नतीजतन, पूर्ण आवासों में भी शौचालय (286), रसोई (331), प्लास्टर (303), दरवाजा और खिड़की (170) इत्यादि की कमी थी। यदि आरडीडी द्वारा लाभार्थियों को उनके आवासों के निर्माण में समय-समय पर तकनीकी सहायता प्रदान

[18] बहुमंज़िली, दो से अधिक कमरे और बड़े क्षेत्र पर निर्माण आदि।

करने के लिए तकनीकी संस्थान नियुक्त किया गया होता तो इन मुद्दों का समाधान किया जा सकता था जैसा कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई के तहत निर्धारित किया गया है।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि भविष्य में इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.2.3 हरित गृहों का निर्माण

पीएमएवाई-जी के एफएफआई ने हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण के तैयार करने पर बल दिया था। इसके लिए राज्यों को हरित सामग्री और हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रदर्शन (डेमो) आवासों के निर्माण पर विचार करना था। इन आवासों का निर्माण संपीड़ित स्थिर मिट्टी के ब्लॉक[19], नवीकरणीय सामग्री जैसे बांस आदि का उपयोग करके किया जाना था।

नमूना-जांचित छः जिलों में अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला/प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों ने न तो हरित डिजाइन एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कोई पहल की थी और न ही लाभार्थियों को जागरूक बनाने के लिए हरित सामग्री एवं हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रदर्शन (डेमो) आवासों का निर्माण किया था।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि भविष्य में आवश्यकता के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

3.2.4 राजमिस्त्री का अपर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणन

पीएमएवाई-जी के ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश, निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करने और कैरियर की प्रगति के लिए रास्ते प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन के एक औपचारिक तंत्र के माध्यम से 'ग्रामीण राजमिस्त्रियों के कौशल विकास' पर जोर देता है। राज्यों में पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या के आधार पर ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण का लक्ष्य तय किया जाना था। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण, प्रति दिन आठ घंटे के काम को देखते हुए लगभग 45 दिनों की अनुमानित अवधि के लिए प्रदान किया जाना था। प्रशिक्षण का आयोजन मुख्यतः आवास के निर्माण के दौरान साइट पर किया जाना था जिसमें प्रशिक्षुओं के लिए कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखना अनिवार्य था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद (सीएसडीसीआई) द्वारा प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन किया जाना था, जो मूल्यांकन के मानदंड को पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र जारी करता। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण की अवधि के लिए प्रतिदिन ₹374 का प्रतिपूरक वेतन प्राप्त करना था।

---

[19]. 230 मिमी मोटी ठोस ईंट की दीवार के बजाय 230 मिमी मोटी रैट ट्रेप ईंट की दीवार का उपयोग लगभग 20 प्रतिशत ईंट और 25 प्रतिशत सीमेंट की बचत करता है, जिसमें घर के अन्दर का ताप आरामदेह और रोजगार के अवसर में वृद्धि का अतिरिक्त लाभ होता है।

राजमिस्त्री प्रशिक्षण (राज्य स्तर पर)

राज्य में आयोजित राजमिस्त्री प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित का पता चला।

(क) पीएमएवाई-जी के तहत वर्ष 2016-19 के दौरान एमओआरडी द्वारा आरडीडी को प्रदान किए गए लक्ष्य (18,802) के मुकाबले, अप्रैल 2022 तक राज्य में 18,802 राजमिस्त्री को प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि, न तो राज्य और न ही नमूना-जांचित जिलों/प्रखण्डों ने आवासों के निर्माण में प्रशिक्षित राजमिस्त्री की संलिप्तता के संबंध में कोई अभिलेख संधारित रखा।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि सभी जिले और प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि उन्हें भविष्य में आवास निर्माण कार्य में लगाया जा सकें।

(ख) पुनः,झारखंड को जून 2022 और अक्टूबर 2022 के बीच ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए 20,000 का लक्ष्य आवंटित किया गया था (अप्रैल 2022)। एसपीएमयु द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दौरान 19,168 आवास पूरे किए गए। इसके अलावा सीएसडीसीआई द्वारा आयोजित परीक्षा में राज्य में 20,000 प्रशिक्षुओं में से 1,712 (नौ प्रतिशत) प्रशिक्षु उत्तीर्ण होने में विफल रहे।

(ग) एमओआरडी ने 50,000 आवासों को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 के दौरान राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए 25,000 का लक्ष्य जारी (जून 2023) किया। एमओआरडी ने यह भी निर्देश दिया कि प्रशासनिक निधियों का 20 प्रतिशत[20] ***(कंडिका 4.2*** में चर्चा की गई है) का उपयोग राज्यों द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए किया जाए। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 25,000 राजमिस्त्री के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रशासनिक निधि (₹90 करोड़[21] की आवश्यक्ता के विरुध उपलब्ध ₹8 करोड़) की कमी के कारण, लक्ष्य का उपयोग राज्य द्वारा नहीं किया जा सका। हालांकि आरडीडी ने राजमिस्त्री प्रशिक्षण पर आईएवाई निधि[22] की अव्ययित शेष राशि का उपयोग करने की अनुमति के लिए एमओआरडी से अनुरोध किया था (अगस्त 2024) था, लेकिन इस संबंध में कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं पाई गई।

इस प्रकार, निधि की कमी के कारण, राज्य पर्याप्त संख्या में कुशल कार्य-बल निर्माण हेतु 25,000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया।

---

20 "पीएमएवाई-जी के क्रियांवयन के फ्रेमवर्क" के अनुसार प्रशासनिक निधि एक कार्यक्रम निधि है जो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर योजना के प्रशासन के लिए उपलब्ध होगी। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण दिशानिर्देश, 2017 के अनुसार, प्रशासनिक निधि के 20 प्रतिशत का उपयोग विशेष रूप से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए किया जाना था।

21 जैसा कि झारखण्ड सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजी गई मांग (जुलाई 2023) से देखा गया है

22 ₹144.51 करोड़ की इंदीरा आवास योजना निधि ग्रामीण विकास विभाग के पास उपलब्ध थी।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 20,000 का लक्ष्य पुनः आवंटित किया गया है, जिसके लिए काम चल रहा है।

राजमिस्त्री प्रशिक्षण (नमूना-जांचित जिलों में)

नमूना-जांचित छः जिलों में, जून 2022 और अक्टूबर 2022 के बीच 6,327 व्यक्तियों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। लाभार्थियों के पंजीकरण मैनुअल के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी से राजमिस्त्री प्रशिक्षण के संबंध में सहमति प्राप्त करना अनिवार्य था। हालांकि, 12 प्रखण्डों में 2,400 लाभार्थियों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया की किसी भी लाभार्थी से ऐसी कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई थी जैसा कि ***कंडिका 3.1.2*** में चर्चा की गई है। आगे देखा गया कि:

(क) नमूना-जांचित छः जिलों में 4 से 11 प्रतिशत प्रशिक्षु सीएसडीसीआई द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंड में सफल नहीं हो पाए।

(ख) दो चयनित जिलों (गिरिडीह और सिमडेगा) में मनरेगा पोर्टल के साथ 171 और 90 ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षुओं के अभिलेखों के प्रति-सत्यापन से पता चला कि 33 प्रशिक्षु[23] उसी दिन राजमिस्त्री प्रशिक्षण के अलावा मनरेगा कार्यों[24] के अभिलेख में अकुशल श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे। इस प्रकार, आयोजित प्रशिक्षण की प्रामाणिकता संदिग्ध है।

(ग) रिपोर्ट के अनुसार नमूना जाँच किए गए छह जिलों में, राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दौरान 7,175 आवास[25] पूर्ण कर ली गई थी। लेखापरीक्षा ने वास्तविक भौतिक स्थिति का पता लगाने के लिए आवास-सॉफ्ट पर 7,175 पूर्ण आवासों में से 232 आवासों[26]के नमूने का प्रति-सत्यापन किया गया। यह पाया गया कि हालांकि इन आवासों को पूर्ण रूप से निर्मित दर्शाया गया था, लेकिन 131 आवासों[27] के पूरा होने के चरण की भू-टैग वाली चित्र, मानदंडों[28] के तहत आवश्यक होने के बावजूद आवास-सॉफ्ट पर अपलोड नहीं की गई थीं। इस प्रकार, आवास-सॉफ्ट में आवासों की अंतिम भू-टैग वाली चित्रों के अभाव में इन आवासों के वास्तविक रूप में निर्मित किए जाने और पीएमएवाई-जी के एफएफआई के मानदंडों के अनुसार तीसरी और अंतिम किस्त जारी करने का पता नहीं लगाया जा सका।

---

23 गिरिडीह (देवरी और पीरटांड प्रखण्ड): 27 प्रशिक्षु और सिमडेगा (कुरडेग और ठेठईटांगर प्रखण्ड): 06 प्रशिक्षु

24 दीदी बारी योजना, निर्माण कार्य, दोभा निर्माण योजना, बागवानी योजना आदि

25 बोकारो: 1101; दुमका: 1113; गिरिडीह: 2768; पलामू: 1927; रामगढ़: 59 और सिमडेगा: 207 आवास

26 बोकारो: 40; दुमका: 39; गिरिडीह: 38; पलामू: 40; रामगढ़: 32 और सिमडेगा: 43 आवास

27 बोकारो: 17; गिरिडीह: 24; पलामू: 36; रामगढ़: 19 और सिमडेगा: 35 आवास

28 "पीएमएवाई-जी के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क" के प्रावधान 5.7.2 के अनुसार, राज्यों को किश्तों को मैप करने के लिए आवासों के पूर्ण चरण की तस्वीर अपलोड करना आवश्यक था। इसके अलावा, ग्रामीण विकास विभाग (जून 2018) के निर्देश के अनुसार तीसरी और अंतिम किस्त जारी करने के लिए आवासों के पूरा होने के बाद आवाससॉफ्ट पर भू-टैग की गई चित्र अपलोड करना अनिवार्य है।

(घ) पलामू जिले में, उन तीन लाभार्थियों[29] के फोटोग्राफों का प्रति-सत्यापन आवास-सॉफ्ट के साथ किया गया जिनके आवासों का राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दौरान पूरा होने का दावा प्रशिक्षक एजेंसी (जनहित सांस्कृतिक कला केंद्र, पलामू) ने किया था। इसमें पाया गया कि लाभार्थियों के आईडी बोकारो, रांची और गिरिडीह जिलों के लाभार्थियों[30] से संबंधित थे। इस प्रकार, प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के दावे की प्रामाणिकता संदिग्ध थी।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि इस संबंध में कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

3.2.5 बैंकों से लाभार्थियों को ऋण की सुविधा

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार कोई लाभार्थी, यदि वह इच्छुक हो तो उसे ₹70,000 तक के संस्थागत वित्त का लाभ उठाने में सुविधा दी जानी चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (आरएचआईएसएस) के अनुसार, आवास ऋण लेने हेतु इच्छुक लाभार्थी, ब्याज सब्सिडी[31] के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में राज्य और बैंकों को लाभार्थियों की जागरूकता सहित व्यापक प्रचार करना था।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जांचित छः जिलों में पाया कि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के लिए ऋण की सुविधा हेतु राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा व्यापक प्रचार सहित इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण नियमावली के अनुसार, ऋण की आवश्यकता के बारे में समेकित जानकारी प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के समय ऋण सुविधा का लाभ उठाने हेतु लाभार्थियों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक था, ताकि प्रखण्डों/जिलों/राज्य द्वारा इस संबंध में वांछित कार्रवाई की जा सके। हालांकि, 2,400 लाभार्थियों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि लाभार्थियों के पंजीकरण के दौरान ऋण सुविधा का लाभ उठाने की सहमति के विषय में संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं ली की गई थी।

नमूना-जांचित छः जिलों के 60 ग्राम पंचायतों में 633 लाभार्थियों के जेपीवी के दौरान, 234 लाभार्थियों (37 प्रतिशत) ने कहा कि उन्होंने परिवार, मित्रों, बैंकों, एसएचजी इत्यादि से अपने आवासों को पूरा करने के लिए रूपये उधार लिया। इस प्रकार, स्थानीय स्तर के अधिकारियों द्वारा व्यापक प्रचार नहीं करने के कारण और प्रखण्डों/जिलों/राज्य स्तर के अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण आरएचआईएसएस के तहत निर्धारित सब्सिडी वाली ब्याज दरों पर इच्छुक लाभार्थियों को ऋण की सुविधा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

---

[29] सुखxxx विश्वxxx (जेएच-263XXX), एएनXX एसआइएनXX (जेएच-287XXXX) और जीएXXX डीइXX (जेएच-216XXXX)]

[30] चास, बोकारो (जेएच-263XXXXX) से पीआरएXXXX एसएXX, जीयूXXX डीईXX, गांडे, गिरीडीह (जेएच-287XXXX) और एचआइआरXXXX, अनगढ़ा, राँची (जेएच-216XXX)

[31] ब्याज की सब्सिडी, ऋण की मूल राशि पर तीन प्रतिशत की दर से होगी और सब्सिडी, ऋण की पूरी 20 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम ऋण राशि ₹ दो लाख के लिए स्वीकार्य होगी। यदि आवास ऋण की राशि ₹ दो लाख से कम है, तो सब्सिडी की गणना वास्तविक ऋण राशि के आधार पर की जाएगी।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि भविष्य में इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.3 अभिसरण

पीएमएवाई-जी के एफएफआई ने निर्धारित किया कि आवास निर्माण के लिए सहायता के अलावा, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की मौजूदा योजनाओं[32] के साथ अभिसरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, शौचालय के निर्माण के बाद ही आवास को पूर्ण माना जाना था।राज्य पीएमयु द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में (अप्रैल 2024 तक) 15.59 लाख पूर्ण आवासों के संबंध में बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय (14.37 लाख यानी 92 प्रतिशत), इलेक्ट्रिक कनेक्शन (14.20 लाख यानी 91 प्रतिशत), जल सुविधा (4.98 लाख यानी 32 प्रतिशत) और एलपीजी कनेक्शन (13.21 लाख यानी 85 प्रतिशत) उपलब्ध थे।

नमूना-जांचित दो जिलों (पलामू और रामगढ़) ने 1.24 लाख पूर्ण आवासों (2019-24) में अभिसरण के माध्यम से प्रदान की गई सुविधाओं के संबंध में कोई जानकारी संधारित नहीं रखी/ लेखापरीक्षा को नहीं दी। इसके अलावा, शेष नमूना-जांचित चार जिलों (बोकारो, दुमका, गिरिडीह और सिमडेगा) में, बुनियादी सुविधाओं की स्थिति अर्थात, वर्ष 2016 और 2024 के बीच पूरे किए गए 2.58 लाख आवासों में बिजली कनेक्शन, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन और जल कनेक्शन इत्यादि **तालिका 3.4** में दर्शाए गए अनुसार थे।

तालिका 3.4: जिलों में निर्मित आवासों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की स्थिति

जिला	वर्ष	कुल पूर्ण किए गए आवास	बिना निर्मित आवास							
			बिजली कनेक्शन/		शौचालय		एलपीजी कनेक्शन		जल कनेक्शन	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बोकारो	2016-24	47,984	3,481	7.25	0	0.00	6,023	12.55	44,409	92.55
दुमका	2016-22	1,03,729	8,197	7.90	0	0.00	11,697	11.28	67,492	65.07
गिरिडीह	2019-22	75,172	6,272	8.34	0	0.00	15,906	21.16	72,651	96.65
सिमडेगा	2019-22	30,792	2,269	7.37	189	0.61	4,377	14.21	15,187	49.32
	कुल राशि	**2,57,677**	**20,219**	**7.85**	**189**	**0.07**	**38,003**	**14.75**	**1,99,739**	**77.52**

(स्रोत: नमूना-जांचित जिलों के डीआरडीए)

तालिका 3.4 से यह देखा जा सकता है कि बनाए गए पीएमएवाई-जी के सभी निर्मित आवासों (सिमडेगा को छोड़कर) में शौचालय की सुविधा दी गई हैं। हालांकि, पूर्ण किए गए आवासों में बिजली कनेक्शन (आठ प्रतिशत), एलपीजी कनेक्शन (15 प्रतिशत) और जल कनेक्शन (78 प्रतिशत) का अभाव था।

---

[32] लाभार्थियों को एसबीएम, मनरेगा या किसी अन्य समर्पित वित्तपोषण स्रोत से वित्त पोषण के माध्यम से शौचालय प्रदान किए जाएंगे; जल जीवन मिशन और *हर घर नल से जल* या इसी तरह की योजनाओं के साथ अभिसरण से सुरक्षित पेयजल; विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लागू प्रासंगिक योजना के साथ अभिसरण के माध्यम से बिजली कनेक्शन।

पीएमएवाई-जी के 591 पूर्ण आवासों के जेपीवी (अगस्त 2024 से दिसंबर 2024) के दौरान, लेखापरीक्षा ने 476 (81 प्रतिशत) आवास में जल कनेक्शन, 295 (50 प्रतिशत) में बिजली कनेक्शन, 305 (52 प्रतिशत) में एलपीजी कनेक्शन एवं 318 (54 प्रतिशत) में आयुष्मान भारत कार्ड की कमी देखी गई। यह आगे देखा गया कि:

(i) हालांकि दिसंबर 2018 में झारखंड को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया था, परंतु जेपीवी में लेखापरीक्षा के दौरान जांच किए गए 48 प्रतिशत आवासों में शौचालय की सुविधा नहीं थी। जबकि राज्य पीएमयु (अप्रैल 2024) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, राज्य में पीएमएवाई-जी के आठ प्रतिशत पूर्ण आवासों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, जैसा कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई के तहत आवश्यक है, उन आवासों को पूर्ण नहीं माना जा सकता।

(ii) सिमडेगा जिले में 108 प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के जेपीवी के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी आवास में पानी, बिजली और एलपीजी कनेक्शन नहीं था। इसके अलावा, गिरिडीह और सिमडेगा जिलों में सर्वेक्षण किए गए लाभार्थी, आयुष्मान भारत कार्ड[33] के बारे में अनभिज्ञ थे, हालांकि उन्हें प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना[34] के तहत कवर करने की आवश्यकता थी।

पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को शौचालय, बिजली, जल कनेक्शन और सौर प्रकाश के प्रावधान के बारे में नमूना-जांचित संबंधित जिलों[35] में कार्यकारी अभियंता, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता प्रमण्डल (डीडब्ल्यू&एसडी), विद्युत प्रमण्डल, जिला मनरेगा प्रकोष्ठ और जिला आपूर्ति अधिकारी से जानकारी मांगी गई थी। दुमका जिले में, कार्यकारी अभियंता, विद्युत प्रमण्डल ने कहा (दिसंबर 2024) कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की कोई सूची उन्हें प्रदान नहीं की गई थी, जबकि कार्यकारी अभियंता, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता प्रमण्डल, दुमका ने कहा (दिसंबर 2024) कि 19,544 लाभार्थियों[36] में से 11,420 (58 प्रतिशत) को जल कनेक्शन प्रदान किया गया था। हालांकि, अन्य जिलों के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया था।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं में कमी को पाटने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, समापन सम्मेलन (17 जून 2025) के दौरान, आरडीडी सचिव ने कहा कि पीएमएवाई-जी आवासों में बुनियादी सुविधाओं में अंतर को पाटने के लिए केंद्र और राज्य योजनाओं के माध्यम से अभिसरण के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किए जाएंगे।

[33] प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत जारी

[34] सितंबर 2021 और फरवरी 2022 में जारी ग्रामीण विकास विभाग, जीओजे के पत्रों के अनुसार, सभी उप आयुक्त/उप विकास आयुक्त को अभिसरण के माध्यम से पीएमजेएवाई के लाभार्थियों को कवर करने का निर्देश दिया गया था

[35] बोकारो, दुमका, गिरिडीह, रामगढ़ और सिमडेगा

[36] जामा और सरैयाहाट प्रखण्ड

अनुशंसा 5: राज्य सरकार पीएमएवाई-जी के एफएफआई के तहत अनिवार्य रूप से पूर्ण पीएमएवाई-जी आवासों को अभिसरण के माध्यम से सभी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित कर सकती है।

3.4 पीएमएवाई-जी आवासों की भू-टैगिंग में कमियां

भारत सरकार द्वारा जारी भू-टैगिंग परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, भू-टैगिंग का मुख्य उद्देश्य मिशन के लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के तहत का भू-टैग चित्रों के माध्यम से व्यक्तिगत आवासों के निर्माण की प्रगति की निगरानी करना था। जियो-टैगिंग 'सर्वेक्षकों' द्वारा संचालित किया गया था जो भुवन-पीएमएवाई मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र करते हैं, और 'पर्यवेक्षक' 'जो भुवन-पीएमएवाई जियो-प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकत्र किए गए आँकड़े को नियंत्रित करते हैं।

इसके अलावा पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, प्रत्येक किस्त जारी करने से पहले, जमीन पर चरण-वार निर्माण की भौतिक प्रगति को स्थल का निरीक्षण करके और भू-टैग की गई चित्रों को अपलोड करके आवास मित्र/सर्वेक्षक द्वारा सत्यापित और निगरानी की जानी थी। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) बोकारो जिले में जरीडीह प्रखण्ड के तहत बांधडीह दक्षिण ग्राम पंचायत में, आवास-सॉफ्ट पर अपलोड किए गए भू-टैग वाले स्थान के माध्यम से एक लाभार्थी का पता नहीं लगाया जा सका (जैसा कि ***कंडिका 2.2.2.1*** में चर्चा की गई है, **केस स्टडी 2**);

(ii) नमूना-जांचित छः जिलों में 633 पीएमएवाई-जी आवासों के जेपीवी के दौरान, आवास-सॉफ्ट पोर्टल में भू-टैगिंग के अनुसार पूर्ण दर्शाए गये 42 आवास (जैसा कि ***कंडिका 3.1.6(iii)*** में चर्चा की गई है), अधूरे पाए गए।

(iii) राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दौरान पूरे किए गए आवासों की तस्वीरें अवास-सॉफ्ट पर अपलोड नहीं की गई थीं, जो मानदंडों के तहत अनिवार्य थीं, जैसा कि ***कंडिका 3.2.4*** में चर्चा की गई है।

इस प्रकार, भू-टैगिंग का महत्वपूर्ण उद्देश्य जिसमें व्यक्तिगत आवासों के निर्माण की प्रगति को उसके पूर्ण होने के चरण तक निगरानी करना था, पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

3.5 निष्कर्ष

योजना का कार्यान्वयन, जिसमें दूसरी योजनाओं के साथ अभिसरण शामिल था, कमजोर था और पीएमएवाई-जी के एफएफआई का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।लेखापरीक्षा ने पीएमएवाई-जी को लागू करने में कई कमियां/खामियां पाई, जैसे कि 2019-24 के दौरान नमूना-जांचित जिलों द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार न करना, जिसके कारण आवासों को समय पर पूरा करने के लिए कोई प्रभावी योजना/रोडमैप नहीं बन पाया, नमूना-जांचित लाभार्थियों के पंजीकरण में कमियां, लक्ष्यों की तुलना में कम आवासों

को स्वीकृति देना जिससे लक्ष्य प्रत्यर्पित करने/वापस लेने पड़े, तय 12 महीने के समय-सीमा के मुकाबले आवासों को पूरा करने में एक साल से लेकर तीन साल से अधिक की विलंब, उन आवासों के लिए अगली किस्तें जारी करना जिन्हें 'नहीं बनाया जाना है' की श्रेणी में रखा गया था, अच्छी गुणवत्ता के आवास बनाने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की सुविधा न देना, दो जिलों (पूर्वी सिंहभूम और रांची) को छोड़कर सभी जिलों में लाभार्थियों को लागू डिजाइनों तथा संबंधित लागतों से परिचित कराने हेतु डेमो-आवास के निर्माण की कोई पहल न करना, क्षेत्रीय आवास टाइपोलॉजी को न अपनाना और लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी संस्थान की पहचान न करना। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने हरित प्रोद्योगिकी के प्रोत्साहन हेतु हरित डिज़ाइन को न अपनाने, राजमिस्त्रियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण, आवासों के निर्माण में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सब्सिडी वाली दरों पर कर्ज की सुविधा न देने, अन्य राज्य/भारत सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से निर्मित आवासों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, बिजली, पेयजल की सुविधाओं इत्यादि प्रदान करने में कमी, जियो टैगिंग में कमियां इत्यादि भी पाया। यद्यपि झारखंड को दिसंबर 2018 में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था, तथापि लेखापरीक्षा के दौरान जेपीवी (अगस्त 2024 से दिसंबर 2024) में कवर किए गए घरों में से 48 प्रतिशत घरों में शौचालय सुविधा का अभाव पाया गया। जबकि राज्य पीएमयु द्वारा दी गई जानकारी (अप्रैल 2024) के अनुसार, राज्य में निर्मित पीएमएवाई-जी आवासों में से आठ प्रतिशत में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

अध्याय 4

वित्तीय प्रबंध

अध्याय 4

वित्तीय प्रबंधन

4.1 बजट प्रावधान, निधि निर्गमन और व्यय

पीएमएवाई-जी योजना के तहत, आवास निर्माण सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जानी थी। पीएमएवाई-जी के एफएफआई में प्रावधान है कि राज्यों को अनुदान के रूप में वार्षिक केंद्रीय आवंटन (आवास निर्माण सहायता), एमओआरडी द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर दो किस्तों[1] में जारी किया जाएगा। मंत्रालय राज्यों की संचित निधियों के लिए निधियां जारी करेगा जिसे केवल एसएनए[2] में रखा जाना था। आगे, पीएमएवाई-जी के एफएफआई में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार, भारत सरकार के हिस्से के अनुरूप अपना पूरा राज्यांश जारी करेगी एवं इसे एसएनए को अंतरित करेगी। पीएमएवाई-जी निधियों पर प्राप्त विविध प्राप्तियों और अर्जित ब्याज को उपलब्ध योजना संसाधनों के हिस्से के रूप में माना जाना था।

आरडीडी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वर्ष 2019-24 के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल उपलब्ध निधि ₹ 20,199.98 करोड़ के विरुद्ध व्यय ₹ 14,113.07 करोड़ था। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्राप्त और व्यय की गई निधि का विवरण **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: वर्ष 2019-24 के दौरान प्राप्त कुल निधि और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष (ओबी)	निर्गत केन्द्रांश	निर्गत राज्यांश	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज सहित)	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष	कुल उपलब्ध निधि के प्रतिशत के रूप में व्यय
2019-20	684.68	2,439.64	1,488.08	15.12	4,627.52	3,328.08	1,299.44	72
2020-21	1,299.44	3,351.63	1,899.00	38.67	6,588.74	3,735.15	2,853.59	57
2021-22	2,853.59	1,150.92	1,135.09	58.69	5,198.29	4,176.34	1,021.95	80
2022-23	1,021.95	941.22	824.41	16.11	2,803.69	2,329.02	474.67	83
2023-24	474.67	291.55	194.37	21.15	981.74	544.48	437.26	55
कुल		**8,174.96**	**5,540.95**	**149.74**	**20,199.98**	**14,113.07**	**6,086.91**	**70**

(स्रोत: आरडीडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

---

[1] पहली किस्त, कुल वार्षिक वित्तीय आवंटन के 50 प्रतिशत के बराबर होगी और दूसरी किस्त, पहली किस्त और लागू कटौतियों (राज्य के हिस्से की कमी आदि) को घटाकर वार्षिक आवंटन के बराबर होगी।

[2] जैसा कि आरडीडी द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया है, एसएनए का संचालन वर्ष 2015 से बैंक ऑफ इंडिया मेन रोड, रांची में एक खाते के माध्यम से किया जाता है।

तालिका 4.1 से यह देखा जा सकता है कि:

(i) वर्ष 2019-24 के दौरान उपलब्ध निधियों का उपयोग 55 से 83 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि निधियों का कुल उपयोग 70 प्रतिशत था।

(ii) कोविड-19 महामारी (वर्ष 2020-21) के दौरान व्यय मात्र 57 प्रतिशत रहा।

(iii) अन्य वर्षों में निधियों का कम उपयोग मुख्यतः आवासों के अधूरे और विलंब से पूर्ण होने तथा एमओआरडी द्वारा लक्ष्यों को प्रत्यर्पित करने/वापस लेने के कारण हुआ (जैसा कि इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में चर्चा की गई है)।

आरडीडी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि:

- वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान, एमओआरडी द्वारा कोई भौतिक लक्ष्य और निधि प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य समाप्त हो गया था।
- वर्ष 2019-22 के दौरान केंद्र सरकार के हिस्से से ₹ 1,866.34 करोड़ (21 प्रतिशत) की कम राशि जारी की गई, जबकि राज्य सरकार के हिस्से से ₹ 1,350.18 करोड़ (23 प्रतिशत) की कमी रही। एमओआरडी और राज्य सरकार द्वारा कम निधि निर्गत किए जाने के बावजूद, वर्ष 2019-22 के दौरान 20 से 43 *प्रतिशत* की बचत हुई।
- निधियों का कम उपयोग, मुख्य रूप से आवासों के निर्माण में विलम्ब/अपूर्ण रहने (**कंडिका 3.1.3 से 3.1.5**), प्रत्यर्पण और लक्ष्यों की वापसी **(कंडिका 2.4)** तथा प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल तैयार करने में कमियों **(कंडिका 2.2)** के कारण था।

इसके जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि आवासों की स्वीकृति में कमी, लक्ष्यों के प्रत्यर्पण और लाभार्थियों के व्यक्तिगत कारणों से आवासों के निर्माण में विलंब के कारण बजटीय प्रावधान, आवंटन और व्यय प्रभावित हुए।

4.1.1 राज्य नोडल खाते में केन्द्रांश के अंतरण में विलंब

पीएमएवाई-जी (2016) के एफएफआई में कहा गया है कि निधियों का केंद्रीय आवंटन[3] राज्य संचित निधि में निधि की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों[4] के भीतर एसएनए को हस्तांतरित किया जाना है। इसमें विफल रहने पर राज्य विलंब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत[5] प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। पीएमएवाई-जी (2022) के संशोधित एफएफआई के अनुसार, इसे 15 से 21 दिनों तक संशोधित किया गया।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएनए में केन्द्रांश के अंतरण में निर्धारित अवधि से, तीन से 92 दिनों के बीच की

3 जिसमें राज्य की संचित निधि में अंतरित प्रशासनिक निधि भी शामिल है।

4 2022 में जारी पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार इसे संशोधित कर 21 दिन कर दिया गया था।

5 पीएमएवाई-जी एफएफआई (2022) के अनुसार 2022-23 की अवधि से दंडात्मक ब्याज को हटा दिया गया था।

विलंब हुई। इससे राज्य सरकार पर दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 22.39 करोड़ की देनदारी सृजित हुई।

4.1.2 तदनुरूप राज्यांश जारी करने में विलंब

पीएमएवाई-जी के एफएफआई (2016) के अनुसार, केन्द्रांश के तदनुरूप राज्यांश, केन्द्रांश जारी होने के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाना था। पीएमएवाई-जी के संशोधित एफएफआई (2022) में यह प्रावधान किया गया कि राज्यांश यथाशीघ्र जारी किया जाना चाहिए, लेकिन केन्द्रांश के जारी होने के बाद 40 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। लेखापरीक्षा में वर्ष 2019-24 के दौरान जारी किए गए राज्यांश की तुलना केन्द्रांश से की गई और पाया गया कि राज्य सरकार का समतुल्य हिस्सा एसएनए में आठ से 79 दिनों की विलंब से अंतरित किया गया।

इसके जवाब में, आरडीडी ने निधि जारी करने में हुई विलंब को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2025) कि एसएनए को निधि हस्तांतरण में विलंब के लिए दंडात्मक ब्याज के भुगतान के संबंध में भारत सरकार का इस विभाग से कोई पत्राचार नहीं हुआ है। आगे यह भी कहा गया कि भविष्य में निधि जारी करने में विलंब न हो, इसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.2 प्रशासनिक निधि

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, कार्यक्रम निधि का दो प्रतिशत[6] केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर योजना के प्रबंधन के लिए उपलब्ध होगा। प्रशासनिक निधि के रूप में निर्धारित दो प्रतिशत भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में साझा की गई कार्यक्रम निधि के अतिरिक्त थी। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक निधियों का उपयोग राज्य, जिला और प्रखण्ड स्तर पर पीएमयू की स्थापना के साथ-साथ कर्मियों की नियुक्ति पर व्यय, लाभार्थियों को आवासीय साक्षरता सिखाने एवं जागरूक करने की गतिविधियाँ, प्रोटोटाइप आवासों के निर्माण की विधियाँ, सामाजिक लेखापरीक्षा, कार्मिकों के प्रशिक्षण, राजमिस्त्री प्रशिक्षण इत्यादि सम्मिलित हैं, के लिए किया जा सकता है।

एसपीएमयू द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों की लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला।

(i) एमओआरडी ने वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2023-24 के दौरान प्रशासनिक निधियों का केन्द्रांश जारी नहीं किया, क्योंकि पिछले वर्षों में आवंटित प्रशासनिक निधियों का आरडीडी द्वारा कम उपयोग किया गया था। राज्य सरकार ने भी प्रशासनिक निधियों के केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण प्रशासनिक निधियों का तदनुरूप हिस्सा जारी नहीं किया।

---

[6] 2021-22 से पहले, यह 4 प्रतिशत था

(ii) वर्ष 2019-24 के दौरान, उपलब्ध प्रशासनिक निधि ₹ 503.75 करोड़[7] में से ₹ 202.91 करोड़ (40 प्रतिशत) का व्यय हुआ।

(iii) वर्ष 2019-24 के दौरान प्रशासनिक निधियों का वर्ष-वार व्यय 30 से 65 प्रतिशत के बीच था।

प्रशासनिक निधियों से व्यय में कमी के कारणों में लाभार्थियों को सहायता सेवाओं का प्रावधान न करना (**कंडिका 3.2),** 2023-24 के दौरान राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए निधि का उपयोग न करना **(कंडिका 3.2.4)** इत्यादि सम्मिलित थे।

इसके अतिरिक्त, नमूना-जांचित छः जिलों में, वर्ष 2019-24 के दौरान उपलब्ध ₹ 91.47 करोड़[8] की निधि में से ₹ 47.12 करोड़[9] की प्रशासनिक निधि खर्च की गई। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रशासनिक निधि का उपयोग अन्य राज्य योजनाओं पर किया गया था एवं मनरेगा कर्मचारियों, चालकों इत्यादि को पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था जिसकी अनुमति नहीं थी, जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025 में) कहा कि इस संबंध में संबंधित जिला प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

4.2.1 निधियों का विचलन

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रशासनिक निधि का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों[10] के साथ साथ राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण एवं प्रमाणन, उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर प्रशिक्षण इत्यादि के लिए किया जाना था। आरडीडी ने सभी डीडीसी को निर्देश दिया (अप्रैल 2017) कि प्रशासनिक निधि का उपयोग पीएमयू कर्मियों को मानदेय भुगतान; राजमिस्त्री प्रशिक्षण एवं प्रमाणन; संसाधन व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायत स्वयंसेवकों इत्यादि को प्रशिक्षण; जियो-टैगिंग के लिए नियुक्त कर्मियों को मानदेय; पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित आवासों की गुणवत्ता निगरानी; सामाजिक लेखापरीक्षा और संबंधित आईईसी गतिविधि; और लाभार्थियों के जागरूक करने इत्यादि मदों पर की जाए।

---

[7] केंद्रीय हिस्सेदारी: ₹60.24 करोड़; राज्य का हिस्सा: ₹40.16 करोड़; बैंक ब्याज: ₹1.87 करोड़ और अन्य आय: ₹7.96 करोड़; ओबी: ₹393.52 करोड़।

[8] बोकारो: ₹ 12.52 करोड़; दुमका: ₹ 22.97 करोड़; गिरिडीह: ₹14.08 करोड़; पलामू: ₹29.53 करोड़; रामगढ़: ₹4.73 करोड़; सिमडेगा: ₹ 7.64 करोड़।

[9] बोकारो: ₹5.74 करोड़; दुमका: ₹3.96 करोड़; गिरिडीह: ₹14.08 करोड़; पलामू ₹15.94 करोड़; रामगढ़: ₹3.01 करोड़; सिमडेगा: ₹4.39 करोड़।

[10] लाभार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यकलाप, प्रदर्शन, योजनाओं के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए आवासों के प्रोटोटाइप का निर्माण, प्रचालित पीएमयू स्थापित करने की लागत, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति का प्रशिक्षण, सामाजिक लेखापरीक्षा, आईईसी कार्यकलाप इत्यादि।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित छः जिलों (पलामू को छोड़कर) में ₹ 58.28 लाख की प्रशासनिक निधि का विचलन किया गया एवं इसे अस्वीकार्य मदों जैसे कि पीएमएवाई-जी[11] के अलावा अन्य योजनाएं (₹ 0.75 लाख), दुमका में डीआरडीए कार्यालय और अधिकारियों के आवास का नवीनीकरण (₹ 16.02 लाख), विविध व्यय[12] (₹ 41.51 लाख) इत्यादि पर खर्च किया गया।

जवाब में, चार डीआरडीए (बोकारो, दुमका, गिरिडीह और सिमडेगा) ने बताया (मई 2025) कि उच्चाधिकारियों की अनुमति से अत्यावश्यक कार्यों के लिए व्यय किया गया था। डीआरडीए, रामगढ़ ने (दिसंबर 2024) बताया कि अन्य मदों पर व्यय कार्य के हित में किया गया था। डीआरडीए, पलामू ने (जनवरी 2025) बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की लेखांकन त्रुटि के कारण पीएमएवाई-जी से निधि का विचलन हुआ।

जवाब में आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि जिला स्तरीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

अनुशंसा 6: राज्य सरकार प्रशासनिक निधियों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देशों/निर्देशों का नियमपूर्वक पालन सुनिश्चित कर सकती है।

4.2.2 प्रशासनिक निधियों की रोकड़ बही का रख-रखाव

आरडीडी ने निर्देश दिया (अगस्त 2019) कि पीएमएवाई-जी प्रशासनिक निधि की रोकड़ बही जिलों/प्रखंडों द्वारा टैली सॉफ्टवेयर में संधारित किया जाना था और संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित रोकड़ बही की मुद्रित प्रति लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत करने के लिए रखी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँच किए गए प्रखंडों/जिलों में रोकड़ बही टैली सॉफ्टवेयर के बजाय हस्तलिखित संधारित की जा रही थी। इसके अलावा, दो प्रखंडों (गिरिडीह और बोकारो के अंतर्गत क्रमशः देवरी और जरीडीह) और दुमका जिला में प्रशासनिक निधियों की हस्तलिखित रोकड़ बही[13] लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं की गईं। इस प्रकार, लेखापरीक्षा प्रशासनिक निधियों के अंतर्गत संबंधित प्रखंडों /जिलों द्वारा वर्ष 2019 -24 के दौरान कार्यालय व्यय, पारिश्रमिक, राजमिस्त्री प्रशिक्षण इत्यादि पर किए गए ₹95.22 लाख[14] के व्यय की प्रामाणिकता का पता नहीं लगा सकी।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

---

[11] बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना (बीएसबीआरएएवाई)/मनरेगा योजना।

[12] मनरेगा योजना के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों/सफाईकर्मी/संविदा कर्मचारियों/चालकों को भुगतान, वाहन की मरम्मत/अनुरक्षण।

[13] अक्टूबर 2019 से फरवरी 2022 तक की अवधि से संबंधित.

[14] आवास सॉफ्ट के अनुसार, 2019-24 के दौरान देवरी प्रखण्ड का प्रशासनिक निधि व्यय: ₹ 66.63 लाख और 2019-24 के दौरान जरीडीह प्रखण्ड का प्रशासनिक निधि व्यय: ₹ 28.59 लाख

4.3 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करने में विलंब

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, बीडीओ द्वारा स्वीकृति आदेश निर्गत होने की तारीख से एक सप्ताह (सात कार्य दिवस) के भीतर लाभार्थी को जारी पहली किस्त (₹ 40,000) लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जानी चाहिए।

पीएमएवाई-जी लाभार्थी, पक्का आवास के निर्माण के लिए बीडीओ द्वारा जारी फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) के माध्यम से राज्य नोडल खाते से तीन किस्तों में ₹ 1.20 लाख/ ₹ 1.30 लाख की सहायता प्राप्त करने के पात्र थे।

लेखापरीक्षा में छः नमूना-जांचित जिलों के 12 प्रखंडों में 633 लाभार्थियों के अभिलेखों की आवाससॉफ्ट के डेटा से मिलान किया एवं पाया गया कि 633 लाभार्थियों में से 473 (75 प्रतिशत) को पहली किस्त निर्धारित समय से एक से 511 दिनों की विलंब से मिली। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पहली किस्त जारी करने में 30 दिनों तक (336 मामलों में), 31 से 90 दिनों के बीच (110 मामलों में), 91 से 120 दिनों के बीच (10 मामलों में) और 120 दिनों से अधिक (17 मामलों में) की विलंब हुई, जैसा कि **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने में विलंब

जिला	प्रखंड	नमूना परीक्षित लाभार्थी अभिलेख	पहली किस्त जारी करने में विलंब (मामले)				
			30 दिनों तक	31-90 दिन	91-120 दिन	121 दिनों से अधिक	विलंब के कुल मामले
बोकारो	गोमिया	50	22	16	2	2	42
	जरीडीह	51	15	17	4	4	40
दुमका	जामा	54	27	13	3	3	46
	सरैयाहाट	57	29	12	0	0	41
गिरिडीह	पिरटांड़	54	21	10	0	1	32
	देवरी	59	19	19	0	3	41
पलामू	हुसैनाबाद	50	28	9	0	0	37
	नीलाम्बर पीतांबरपुर	50	24	4	1	3	32
रामगढ़	दुलमी	50	25	0	0	0	25
	मांडू	50	38	1	0	0	39
सिमडेगा	कुरडेग	53	44	1	0	1	46
	ठेठईटांगर	55	44	8	0	0	52
कुल		**633**	**336**	**110**	**10**	**17**	**473**

(स्रोत: मार्च 2024 तक आवाससॉफ्ट डेटा)

लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में विलंब के कारण आवासों के निर्माण में भी विलंब हुई। लेखापरीक्षा में 27 ऐसे मामलों की नमूना जांच की गई जिनमें वित्तीय सहायता प्रदान करने में 90 दिनों से अधिक की विलंब हुई थी। जांच में पाया गया कि

13 मामलों में आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा (12 महीने) से 32 से 297 दिनों की विलंब से पूरा हुआ, तीन मामलों में आवास अधूरे थे (सितंबर 2025 तक), जबकि 11 मामलों में आवास समय पर पूरे हुए।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि सभी बीडीओ को लाभार्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर वितीय सहायता जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँगे।

4.4 मनरेगा के तहत मानव दिवसों के सृजन में कमी

पीएमएवाई-जी के एफएफआई में यह परिकल्पना की गई थी कि इकाई सहायता (₹1.20 लाख/₹1.30 लाख) के अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को आवास निर्माण के दौरान 90/95 व्यक्ति-दिवस तक की अकुशल श्रमिक मजदूरी मनरेगा से प्रदान किया जाएगा। इसका लाभ लाभार्थी स्वयं उठा सकता है, या यदि लाभार्थी ने मनरेगा के तहत अपने 100 मानव -दिवस पूरे कर लिए हैं, तो मनरेगा के तहत काम की तलाश कर रहे किसी अन्य श्रमिक द्वारा श्रम का योगदान किया जा सकता है। एमओआरडी के निर्देश (सितंबर 2021) के अनुसार, राज्य को यह सुनिश्चित करना था कि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को 90/95 मानव-दिवस के अकुशल श्रमिक मजदूरी का लाभ समय पर मिले।

लेखापरीक्षा द्वारा छः नमूना जाँच किए गए जिलों में 633 लाभार्थियों में से 302 लाभार्थियों (जिनके आवास आवाससॉफ्ट के अनुसार पूर्ण हों) के विवरणों की जांच की गई एवं मनरेगा पोर्टल (*nrega.nic.in*) पर अपलोड किए गए लाभार्थियों के जॉब कार्ड से मिलान किया गया ताकि वास्तविक रूप से सृजित मानव दिवसों की संख्या का पता लगाया जा सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि सृजित किए जाने वाले मानव दिवसों (28,200) और वास्तव में सृजित मानव दिवसों (20,872) के बीच 7,328 मानव दिवसों का अंतर है। इस प्रकार, मानव दिवसों के सृजन में कमी के कारण पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को मजदूरी का कम भुगतान (₹ 11.87 लाख) होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

जेपीवी के दौरान पलामू और दुमका जिलों के दो लाभार्थियों को कम मानव दिवसों के सृजन के मामले **केस स्टडी 7 और 8** में दर्शाए गए हैं।

केस स्टडी 7

पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखण्ड के तहत डंगवार ग्राम पंचायत के एक लाभार्थी (पीएमएवाई-जी आईडी- जेएच273XXXX) को वर्ष 2020-21 के दौरान एक आवास स्वीकृत (14 नवंबर 2020) किया गया। लाभार्थी को दिसंबर 2020 से जनवरी 2022 के दौरान ₹ 1.30 लाख की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया। मनरेगा पोर्टल से *क्रॉस चेक* करने से पता चला कि 95 मानव दिवसों के निर्धारित मानदंड के विरुद्ध केवल 24 मानव दिवस ही सृजित किए गए थे। इस प्रकार, 71 मानव दिवसों के कम सृजन के कारण कम मजदूरी के भुगतान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

चित्र 4.1: लाभार्थी को मनरेगा से 71 मानव दिवस के लिए कम मजदूरी प्रदान की गई

केस स्टडी 8

दुमका जिले के जामा प्रखण्ड के अंतर्गत तेंगधोबा ग्राम पंचायत के एक लाभार्थी (पीएमएवाई-जी आईडी: जेएच248XXXX) को अप्रैल 2020 में पीएमएवाई-जी आवास स्वीकृत किया गया और वर्ष 2020-21 के दौरान उसे ₹ 1.20 लाख का भुगतान किया गया था। आवाससॉफ्ट के अनुसार, मनरेगा के तहत निर्धारित 90 मानव दिवसों की तुलना में केवल 24 मानव दिवस सृजित किए गए थे। इस प्रकार 66 मानव दिवसों की कमी के परिणामस्वरूप मजदूरी का कम भुगतान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

चित्र 4.2: लाभार्थी को मनरेगा से 66 मानव दिवसों के लिए कम मजदूरी प्रदान की गई

इसके जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025 में) कि मामले की जांच के पश्चात सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.5 अपात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करना

नमूना जाँच किए गए जिलों में, प्राथमिकता सूची में शामिल 4.82 लाख लाभार्थियों में से 96,355 (20 प्रतिशत) अपात्र लाभार्थियों को विभिन्न आधारों पर प्राथमिकता सूची/पीडब्ल्यूएल से (मार्च 2024 तक) रिमांड किया/हटा दिया गया **(कंडिका 2.2.2** और **तालिका 2.1)**।

रिमांड प्रस्तावों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित छः जिलों में से पांच जिलों में मार्च 2017 से दिसंबर 2024 के बीच 115 अपात्र लाभार्थियों[15]

[15] बोकारो: 22 लाभार्थी; दुमका: 9 लाभार्थियों; पलामू: 40 लाभार्थियों; रामगढ़: 41 लाभार्थियों और सिमडेगा: 3 लाभार्थियों.

को मकान स्वीकृत किए गए और उन्हें कुल ₹138.55 लाख[16] की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि मामले की जांच के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.6 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा तैयार की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अनियमितताएं

पीएमएवाई-जी के एफएफआई ने निर्धारित किया कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य स्तर पर पीएमएवाई-जी के खातों और जिला स्तर पर प्रशासनिक निधि खाते की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से चुने गए चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा किया जाए। इसके अलावा, एक वित्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा अगले वित्त वर्ष के 31 अगस्त से पहले पूरी की जानी थी।

राज्य स्तर:

सीए द्वारा वर्ष 2019-20 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन फरवरी 2020 में अर्थात संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले तैयार की गई थी। इस प्रकार, इस प्रतिवेदन में बताए गए आंकड़े पूरे वित्त वर्ष को आच्छादित नहीं किए। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए पीएमएवाई-जी खातों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 45 से 297 दिनों[17] की विलंब के बाद अंतिम रूप दिया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2019-20 में आवासों के पूरा न होने के कारण लाभार्थियों द्वारा लौटाए गए ₹ 1.38 करोड़ को सीए द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए तैयार किए गए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया था।

जिला स्तर:

(i) गिरिडीह जिले ने वर्ष 2019-20 के लिए सीए द्वारा तैयार की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया, जबकि यह लेखापरीक्षा द्वारा अधियाचित था।

(ii) नमूना-जांचित चार जिलों (बोकारो, दुमका, पलामू और रामगढ़) में प्रशासनिक निधियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में पांच से 279 दिनों[18] का विलंब हुआ।

---

[16] बोकारो: ₹ 28.60 लाख; दुमका: ₹ 9.95 लाख; पलामू: ₹42.80 लाख; रामगढ़: ₹ 53.30 लाख और सिमडेगा: ₹ 3.90 लाख।

[17] वर्ष 2020-21 के लिए सीए रिपोर्ट 24.6.2022 को तैयार की गई; वर्ष 2021-22 के लिए सीए रिपोर्ट 15.10.2022 को तैयार की गई; वर्ष 2022-23 के लिए सीए रिपोर्ट 7.11.2023 और वर्ष 2023-24 के लिए सीए रिपोर्ट, जिसे दिसंबर 2024 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

[18] बोकारो के पीएमएवाई-जी की सीए रिपोर्ट: 2019-20: 20.07.2020; 2020-21: 6.06.2022; 2021-22: 5.09.2022; 2022-23: 4.10.2023; दुमका 2019-20: 14.07.2020; 2020-21: 6.12.2021; 2021-22: 15.09.2022; 2022-23: 10.10.2023; पलामू: 2019-20: 3.11.2020; 2020-21: 22.02.2022; 2021-22: 7.10.2022; 2022-23: 16.11.2023; रामगढ़: 2019-20: 20.08.2020, 2020-21: 1.12.2021; 2021-22: 19.11.2022; 2022-23: 12.04.2024.

(iii) सभी छः नमूना-जांचित जिलों में, वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, दिसंबर 2024 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे। जवाब में, डीआरडीए ने कहा (दिसंबर 2024) कि प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

(iv) पलामू जिले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, वर्ष 2019-20 के अंत शेष और वर्ष 2020-21 के आरंभिक शेष के बीच ₹ 1.16 करोड़ का अंतर था, जिसके लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी प्रशासनिक निधि से वर्ष ₹ 1.04 करोड़ डेबिट किए गए और आईएवाई खाते में क्रेडिट किए गए। हालांकि, संबंधित डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियां न तो पीएमएवाई-जी की प्रशासनिक निधि की रोकड़ बही में की गई थीं और न ही सीए द्वारा आईएवाई की लेखापरीक्षित खाते में की गई थी, इससे लेखापरीक्षित खातों में अशुद्धियों का संकेत मिलता है।

जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि भविष्य में सीए द्वारा समय पर लेखापरीक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गई विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.7 निष्कर्ष

पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय प्रबंधन अपर्याप्त था। राज्य में पीएमएवाई-जी के तहत वर्ष 2019-24 के दौरान उपलब्ध निधि ₹ 20,199.98 करोड़ के विरुद्ध व्यय ₹ 14,113.07 करोड़ (70 प्रतिशत) था जिसमें निधि का उपयोग 55 से 83 प्रतिशत के बीच रहा। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-24 के दौरान केन्द्रांश को एसएनए में अंतरित करने में निर्धारित अवधि से तीन से 92 दिनों तक की विलंब हुई। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर ₹ 22.39 करोड़ का दंडात्मक ब्याज बकाया हो गया। इसी प्रकार, वर्ष 2019-24 के दौरान समतुल्य राज्यांश को एसएनए में अंतरित करने में भी आठ से 79 दिनों तक की विलंब हुई। इसके अलावा, वर्ष 2019-24 के दौरान उपलब्ध प्रशासनिक निधि ₹503.75 करोड़ में से केवल ₹202.91 करोड़ (40 प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया। जिसका मुख्य कारण लाभार्थियों को सहायता सेवाओं का अभाव और राजमिस्त्रियों को दिए गए प्रशिक्षण में कमी थी। अन्य खामियों में प्रशासनिक निधि का अस्वीकार्य व्यय की ओर विचलन, लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में विलंब, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मानव दिवसों के सृजन में कमी, अपात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में विलंब और लेखापरीक्षित खातों में अशुद्धियाँ शामिल हैं, देखा गया जो ग्रामीण विकास विभाग की निगरानी में कमी को दर्शाती हैं।

अध्याय 5

अनुश्रवण एवं निरीक्षण

अध्याय 5

अनुश्रवण और निरीक्षण

5.1 राज्य/जिला/प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, राज्य, ज़िला और प्रखण्ड स्तर पर पीएमयु को हरित आवासों को बढ़ावा देने सहित विभिन्न स्तरों पर योजना का अनुपालन और गुणवत्तापूर्ण अनुश्रवण करना था।

5.1.1 राज्य/जिला/प्रखंड पीएमयु का गठन

<u>राज्य पीएमयु</u>: राज्य स्तरीय पीएमयु में राज्य नोडल अधिकारी के साथ-साथ हरित आवास तकनीकी विशेषज्ञ सहित आवास निर्माण से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए जाने थे। इसके अलावा, आवश्यकता अनुसार आईटी, एमआईएस, पीएफएमएस, वित्तीय मामलों, सामाजिक मोबिलाइज़ेशन, प्रशिक्षण समन्वयक और सपोर्ट स्टाफ संबंधी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना था।

आरडीडी, झारखण्ड सरकार ने मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के ज़रिए, एसपीएमयु के लिए तकनीकी विशेषज्ञ, आईटी-सह-एमआईएस विशेषज्ञ, प्रशिक्षण विशेषज्ञ, सामाजिक सुधार और सामुदायिक सशक्तिकरण विशेषज्ञ, वित्त प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर-सह-कार्यालय वित्त सहायक के पदों को मंज़ूरी दी थी। अभिलेखों[1] के अनुसार, एसपीएमयु में नौ विशेषज्ञ/कार्मिक पदस्थापित थे परंतु एसपीएमयु के गठन, नियुक्त कार्मिकों के विशेषज्ञता संबंधी विवरण, कार्मिकों के प्रदर्शन मूल्यांकन (2023-24 से पहले) आदि से संबंधित अभिलेख/जानकारी माँगने के बावजूद लेखापरीक्षा को नहीं दी गई (अगस्त 2024)।

<u>ज़िला और प्रखण्ड पीएमयु</u>: ज़िला पीएमयु में, निर्माण, आईटी, प्रशिक्षण समन्वयक और सपोर्ट स्टॉफ क्षेत्र में तकनीकी कर्मचारी/पेशेवर, के अलावे एक पूर्णकालिक कार्यक्रम पदाधिकारी या उचित वरीयता वाले पदाधिकारी नियुक्त किए जाने थे। प्रत्येक प्रखण्ड पीएमयु का नेतृत्व एक पूर्णकालिक प्रखंड स्तर पदाधिकारी/कोऑर्डिनेटर द्वारा एक एमआईएस डेटा एंट्री ऑपरेटर और तकनीकी सहकर्मी के सहयोग से किया जाना था।

मार्च 2017 में, आरडीडी, झारखण्ड सरकार ने एक अधिसूचना के ज़रिए, 24 ज़िला के प्रत्येक पीएमयु के लिए तीन पद, अर्थात जिला कोऑर्डिनेटर, प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर और लेखाकार-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर और 263 प्रखंड के प्रत्येक पीएमयु के लिए दो पद, अर्थात प्रखंड कोऑर्डिनेटर और लेखाकार-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर की स्वीकृति दी। इसके आधार पर, आरडीडी ने ज़िलों को ज़िला और प्रखण्ड स्तर के पीएमयु के लिए कार्मिकों की नियुक्त के लिए प्राधिकृत किया।

[1] एसपीएमयू कर्मियों की सेवा विस्तार (2024-25 तक) से संबंधित अभिलेख।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई में जिला और प्रखंड स्तर पीएमयु के लिए निर्धारित पाँच और तीन पदों के विरूद्ध आरडीडी द्वारा केवल तीन और दो कार्मिकों के पदों की स्वीकृति दी गई। निर्माण क्षेत्र में तकनीकी पेशेवर के आवश्यक पद को जिला पीएमयु के लिए स्वीकृति नहीं दी गई थी, जबकि प्रखंड स्तर पीएमयु के लिए तकनीकी सहायता कर्मचारी के एक पद की स्वीकृति नहीं दी गई थी।

छह जिलों और 12 प्रखंडों में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि जिला और प्रखंड स्तर के पीएमयु के लिए इन कार्मिको की नियुक्ति आरडीडी अधिसूचना (मार्च 2017) के अनुसार मार्च 2017 और अक्टूबर 2017 के बीच पूर्ण हो गई थी। हालांकि, जिला/प्रखंड पीएमयु के लिए तकनीकी कार्मिक/पेशेवर और तकनीकी सहायता कर्मचारी के पदों की मंज़ूरी न मिलने के कारण, लाभार्थी आवास बनाने के दौरान तकनीकी मार्गदर्शन/सहायता से वंचित रहे। पीएमयु (राज्य/जिला/प्रखंड) के लिए स्वीकृत कार्यबल और विद्यमान कार्यबल का विवरण ***परिशिष्ट-5.1*** में दिया गया है।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) बताया कि राज्य, ज़िला और प्रखंड स्तर योजना प्रबंधन ईकाईयों (पीएमयु) की आवश्यकतानुसार नियुक्तियाँ की गई हैं। पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्दिष्ट पदों में से गैर-ज़रूरी पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है।

जवाब पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अंतर्गत राज्य/ज़िला/प्रखंड पीएमयु के गठन से जुड़े प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। तकनीकी कर्मियों/वृत्तिक और तकनीकी सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति न होने से भी योजना के लागू होने पर प्रभाव पड़ा क्योंकि आवासों के निर्माण के दौरान लाभार्थियों को परिकल्पित तकनीकी मार्गदर्शन/सहायता नहीं दिया जा सका।

5.1.2 राज्य/जिला/प्रखंड पीएमयु के कर्तव्य

राज्य, ज़िला और प्रखंड के पीएमयु को सामूहिक रूप से राज्य, ज़िला और प्रखंड स्तर पर आवास परियोजनाओं का प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण सुनिश्चित करनी थी, जैसा पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्दिष्ट था। राज्य, ज़िला और प्रखंड स्तर पर पीएमयु के मुख्य कार्य **चार्ट- 5.1** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट-5.1: पीएमयू के कर्तव्य

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)

- ज़िलों और प्रखंडों के लिए लक्ष्य तय करना।
- स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्लूएल) और वार्षिक चयन सूची तैयार करना।
- क्षेत्रीय आवास टाइपोलॉजी विकसित करना और हरित सामग्रियों की सिफारिश करना।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल की योजना बनाना। राजमिस्त्रियों को ट्रेनिंग देना और लाभार्थियों को जागरूक करना।
- निर्माण की प्रगति और ऋण वितरण की निगरानी करना तथा निधि प्रस्तावों और सॉफ्टवेयर टूल (आवाससॉफ्ट) जैसे प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करना।

जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)

- पीडब्लूएल को अंतिम रूप देना और लाभार्थियों के लिए भूमि आवंटन में मदद करना।
- लाभार्थियों को जागरूक करना और राजमिस्त्री को प्रशिक्षण देना।
- सामग्री प्राप्ति और स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व में उत्पादन का समन्वयन।
- ऋण के लिए बैंकों के साथ समन्वय और जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलबीसी) के ज़रिए प्रगति का निगरानी करना।

प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)

- लाभार्थियों का पंजीकरण।
- हरित आवास को प्रोत्साहन।
- प्रशिक्षित राजमिस्त्री और ग्रामीण कार्मिक जैसे संसाधन देना।
- निर्माण की प्रगति की देखरेख करना।
- निधि का ससमय वितरण सुनिश्चित करना।

आरडीडी द्वारा मार्च 2017 में जारी भर्ती नियमों के अनुसार, जिला और प्रखंड पीएमयु में नियुक्त कार्मिक पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्दिष्ट कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्य, जिला और प्रखंड पीएमयु के कार्मिकों को पीएमएवाई-जी से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त दूसरे कार्य जैसे राज्य की आवास योजनाओं (*बिरसा आवास योजना, अबुआ आवास योजना*) को लागू करना, कानून व्यवस्था के कार्य, परीक्षा कार्य आदि भी सौंपे गए थे/में लगाये गये थे।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) कहा कि कार्यहित में, कर्मचारियों को पीएमएवाई-जी कार्य के साथ-साथ दूसरे कार्य भी सौंपे जाते हैं, लेकिन इससे पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्दिष्ट कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है।

आरडीडी का जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि राज्य, ज़िला और प्रखंड स्तर पर पीएमयु योजना के कार्यान्वयन और गुणवत्तापूर्ण पर्यवेक्षण के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी थे। अनुश्रवण में कमी के कारण पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में कई कमियाँ निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई।

अनुशंसा 7: राज्य सरकार राज्य, जिला और प्रखंड परियोजना प्रबंधन ईकाईयों में य़ोजना के कार्यान्वयन और गुणवत्तापूर्ण पर्यवेक्षण का अनुश्रवण सुनिश्चित कर सकती है, जैसा पीएमएवाई-जी के एफएफआई में परिकल्पित है।

5.2 राज्य/जिला/प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण

पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्धारित है कि वार्षिक कार्य योजना के अनुसार योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, निर्देश और अनुश्रवण हेतु राज्य और ज़िला स्तर पर समितियां गठित करनी थी। इन समितियों में वार्षिक कार्य योजना के विभिन्न घटको को कार्यान्वित करने वाले अधिकारी और जन प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी प्रकार, निर्माण के दौरान आवासों के अनुश्रवण के लिए भी प्रखंड स्तर के अधिकारी ज़िम्मेदार थे।

5.2.1 राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण

राज्य स्तर पर गठित समिति, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जानी थी, का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाना था। इस समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी थी।

एसपीएमयु ने 2019-24 के दौरान राज्य स्तरीय समिति के गठन और बैठकें, यदि कोई हुई थीं, से संबंधित कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया। पूछताछ करने पर एसपीएमयु ने (दिसंबर 2024) बताया कि केंद्र/राज्य प्रायोजित सभी योजनाओं के अनुश्रवण के लिए विभाग स्तर पर एक अनुश्रवण समिति कार्य कर रही थी। हालांकि, अनुश्रवण समिति की बैठकों का कार्यवृत उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रावधानों के अनुसार पीएमएवाई-जी के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन संबंधी अभिलेख के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा शीर्ष स्तर पर योजना के अनुश्रवण की पुष्टी नहीं की जा सकी।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) बताया कि विभागीय स्तर पर एक सत्यापन दल गठित की गई है जो क्षेत्र में जाकर योजना का अनुश्रवण करती है। मुख्य सचिव स्तर पर भी समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाता है। राज्य/ज़िला/प्रखंड स्तर पर भी योजना का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है।

विभाग का जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि एसपीएमयु ने लेखापरीक्षा को राज्य स्तरीय समिति के गठन और बैठक के कार्यवृत से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। आगे भी इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख नहीं दिया गया।

5.2.2 जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुश्रवण

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, जिला स्तर समितियों की अध्यक्षता जिला समाहर्ता के द्वारा की जानी थी और वर्ष की प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित की जानी थी। पीएमएवाई-जी के एफएफआई में यह भी निर्दिष्ट था कि जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्माण के दौरान हरित तकनीक प्रयोग की जाने वाली आवास सहित दो प्रतिशत आवासों का अनुश्रवण करना चाहिए।

नमूना-जांचित छः जिलों में 2019-24 के दौरान 3.55 लाख आवास निर्मित किए गए थे। इस तरह, 7,100 आवासों (निर्मित आवासों का दो प्रतिशत) का भौतिक अनुश्रवण उनके निर्माण के दौरान डीएलसी द्वारा किया जाना था।

नमूना-जांचित छः जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएलसी का गठन ही नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण के दौरान आवासों का अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

इस प्रकार भौतिक निरीक्षण, जैसा पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निर्दिष्ट था, न होने के कारण, योजना के कार्यान्वयन की कमियों और लाभार्थियों को होने वाली समस्याओं की सुधार हेतु पहचान नहीं की जा सकी, जैसा प्रतिवेदन के **अध्याय-3** में वर्णित है।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) कहा कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार योजना के उचित ढंग से अनुश्रवण हेतु संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे। यह भी कहा गया कि एसपीएमयु को जिला पीएमयु के अनुश्रवण का निर्देश दिया गया है।

5.2.3 प्रखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार प्रखंड स्तर के अधिकारियों को निर्माण के दौरान हरित तकनीक वाले आवासों सहित यथासंभव 10 प्रतिशत आवासों का निरीक्षण करना था।

बारह प्रखंडों के नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि प्रखंड स्तर पीएमयु के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई थी **(कंडिका 5.1.1**)। इसके अलावा, 12 नमूना-जांचित प्रखंडों[2] में 2019-24 के दौरान 73,245 आवास का निर्माण किया गया था। इस प्रकार 7,324 आवासों (निर्माण का 10 प्रतिशत) का प्रखंड स्तरीय समितियों द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाना था। छह जिलों के अधीन 12 नमूना परीक्षित प्रखंडों में, प्रखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा आवासों के निरीक्षण (निर्माण के दौरान) से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। चयनित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने

[2] बोकारो जिले का गोमिया और जरीडीह प्रखंड; दुमका जिले का जामा और सरैयाहाट प्रखंड; गिरिडीह जिले के देवरी और पीरटांड़ प्रखंड; पलामू जिले के हुसैनाबाद और नीलांबर-पीतांबरपुर; रामगढ़ जिले के दुलमी और मांडू प्रखंड; सिमडेगा जिले का कुरडेग और ठेठईटांगर प्रखंड

बताया (नवंबर-दिसंबर 2024) कि यद्यपि निरीक्षण किए गए थे, लेकिन कोई भौतिक अभिलेख संधारित नहीं किया गया था।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025 में) कहा कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार अनुश्रवण के लिए सभी प्रखंड स्तर अधिकारियों को उचित निर्देश दिए जाएंगे।

5.2.4 क्षेत्रीय अधिकारी अनुश्रवण ऐप

एमओआरडी, भारत सरकार ने पीएमएवाई-जी आवासों के निरीक्षण और अनुश्रवण को सरल एवं कारगर बनाने के लिए एक एप्लीकेशन, यानी एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप विकसित (जनवरी 1994)किया था। इसके बाद, आरआरडी, झारखंड सरकार ने (मार्च 2021) सभी जिलों को निर्देश दिया कि वे इस ऐप के ज़रिए भौतिक निरीक्षण के आधार पर पीएमएवाई-जी आवासों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण प्रतिवेदन और तस्वीरें अपलोड करना सुनिश्चित करें। सभी डीसी, डीडीसी, जिला समन्वयक, बीडीओ और प्रखंड समन्वयक को अनुश्रवण के लिए क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में पंजीकृत किया गया था। ऐप ने क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रतिमाह 20 निरीक्षण करने, अनियमितताओं या कमियों को पकड़ने और अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उनके निष्कर्षों को अपलोड करने में सक्षम किया।

लेखापरीक्षा के दौरान नमूना-जांचित प्रखंड/ज़िलों और राज्य पीएमयु ने इस ऐप के ज़रिए किए गए भौतिक निरीक्षण के कोई दस्तावेज़/जानकारी उपलब्ध नहीं कराए। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नही कर सका कि वास्तव में कितने निरीक्षण किए गए थे।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) कहा कि इस संबंध में उचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

5.3 ग्राम पंचायतों की भूमिका

पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार, इस योजना के तहत *ग्राम पंचायतों* की एक अहम भूमिका है, जिसमें शामिल हैं:

भूमिका/श्रेणी	विशिष्ट जिम्मेदारियां
लाभार्थी प्रबंधन	एसईसीसी-2011 के आंकड़े और आवास+ सूची के आधार पर योग्य लाभार्थियों का चयन, प्राथमिकता देना और पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देना।
अभिविन्यास और सहायता	योजना के विवरण के संबंध में लाभार्थियों का मार्गदर्शन और स्वयं आवास निर्माण करने में असमर्थ लोगों की राजमिस्त्री प्रशिक्षण के माध्यम से मदद करना।
भूमि और सामग्री सहायता	भूमिहीन लाभार्थियों के लिए ज़मीन की पहचान और उन्हें उचित दरों पर निर्माण सामग्रियों और प्रशिक्षित राजमिस्त्री उपलब्ध कराने में मदद करना।
एसएचजी की भागीदारी	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को अच्छी गुणवत्ता वाले भवन सामग्री बनाने और आपूर्ति करने हेतु प्रोत्साहित करना।
योजना अभिसरण	लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं से अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में मदद करना।
अनुश्रवण और समस्या-समाधान	बैठकों में योजना की प्रगति पर चर्चा करना और लाभार्थियों की समस्याओं का निदान करना।
सामाजिक लेखापरीक्षा	लेखापरीक्षा करने में सामाजिक लेखापरीक्षा दलों की मदद करना।
ससमय पूर्णता	आवासों के ससमय पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर के अधिकारियों को दायित्व सौंपना।

पीएमएवाई-जी का एफएफआई यह भी निर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को सौंपे गए कार्यो के निष्पादन में समर्थ बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषकर भवन निर्माण सामग्री और तकनीक संबंधी आयोजित कर सकती है एवं आईईसी सामग्री दे सकती है। इन मदों पर होने वाले व्यय को प्रशासनिक खर्चों के लिए आवंटित निधि से पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की जांच और चयनित लाभार्थियों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के लिए नमूना-जांचित छः जिलों के 60 चयनित ग्राम पंचायतों ***(परिशिष्ट 1.1)*** का दौरा किया। यह देखा गया कि किसी भी चयनित ग्राम पंचायतों ने लाभार्थी चयन, अभिसरण, सामग्रियों के स्रोत, अनुश्रवण और निरीक्षण आदि से संबंधित आवश्यक अभिलेख/जानकारी और रोकड़ बही आदि का संधारण नहीं किया था। पंचायत सचिव/मुखिया द्वारा बताया गया कि उनके पूर्ववर्तियों द्वारा कोई अभिलेख नहीं सौंपे जाने और प्रखंड आदि द्वारा किसी भी संबंधित काम के लिए निधि अंतरित नहीं किए

जाने के कारण अभिलेख उपलब्ध नहीं था/संधारित नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा, ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण पीएमएवाई-जी के एफएफआई के तहत सौंपे गए कर्तव्यों संबंधी ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का पता नहीं लगा सकी।

जवाब में, आरडीडी (जून 2025) ने बताया कि जिला/प्रखंड स्तर के सभी अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राम पंचायतों की ज़िम्मेदारियों का निष्पादन पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार किए जाएँ। इसके अलावा, निकासी सम्मलेन (जून 2025) के दौरान आरडीडी के सचिव ने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा आवश्यक सत्यापन के लिए भौतिक अभिलेखों को रखने हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों को निदेशित किया जाएगा।

5.4 सामाजिक लेखापरीक्षा

पीएमएवाई-जी का एफएफआई यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में कम से कम एक बार सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा को शामिल करते हुए सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाना है। सामाजिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। इस प्रक्रिया में योजना के अनुश्रवण के साथ-साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया में जन भागीदारी को भी शामिल किया गया था।

जून 2018 में आहूत सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, झारखंड की बैठक में यह तय किया गया था कि पीएमएवाई-जी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाएगा। एसपीएमयू द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार, 2020-21 के दौरान, 24 में से पांच[3] जिलों के 77 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था। नमूना-जांचित छः जिलों में से दो जिलों (दुमका और पलामू) के अंतर्गत दो प्रखंडों (शिकारीपाड़ा और नौडीहा बाज़ार) में 2020-21 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था। इसके बाद 2022-24 के दौरान शेष ग्राम पंचायतों/प्रखंड/जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षा कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं/कमियों और लाभार्थियों को आवास निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को उजागर नहीं किया जा सका। इसके अलावा, अनुश्रवण प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाया।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान जो मुख्य मुद्दे उजागर हुए, वे थे, निर्धारित चरण (विंडोसिल लेवल) से पहले लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी करना, लाभार्थियों को लोन सुविधा के बारे में जानकारी न होना, मनरेगा के तहत

[3] दुमका, गुमला, हज़ारीबाग, पलामू और साहिबगंज।

मज़दूरी का भुगतान न होना, पहली किस्त मिलने के बाद भी लाभार्थियों द्वारा काम शुरू न करना और लाभार्थियों के अलावा दूसरे लोगों के बैंक खातों में निधि का अंतरण। जवाब में, आरडीडी ने कहा (जून 2025) कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की दिशा-निर्देशों के आलोक में मौजूदा वित्त वर्ष से मनरेगस के साथ पीएमएवाई-जी का सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाएगा।

अनुशंसा 8: राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि समय-समय पर सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाए, जैसा* पीएमएवाई-जी के एफएफआई *में परिकल्पित है।

5.5 शिकायत निवारण तंत्र

पीएमएवाई-जी के एफएफआई में विभिन्न स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, प्रखंड, ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाने का प्रावधान है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि हेतु शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार के एक अधिकारी की नियुक्ति की जानी थी। प्रत्येक स्तर पर नियुक्त अधिकारी शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंदर शिकायतों के निपटान हेतु उत्तरदायी थे।

ग्राम पंचायतों, प्रखंडों और जिलों में अभिलेख के नमूना जांच से पता चला कि लाभार्थियों की शिकायतों/परेशानियों को दूर करने के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) बताया कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आगे यह भी बताया गया कि सीपीग्राम में दर्ज सभी शिकायतों का समय पर निपटान किया जाता है।

5.5.1 केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और अनुश्रवण प्रणाली

केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और अनुश्रवण प्रणाली (सीपीग्राम) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को 24x7 उपलब्ध है ताकि वे सेवा से जुड़े किसी भी विषय पर सरकारी अधिकारियों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। यह एक सिंगल पोर्टल है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा हुआ है। सीपीग्राम में दर्ज की गई शिकायत की स्थिति को, शिकायतकर्ता को पंजीकरण के समय दी गई यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी से, ट्रैक किया जा सकता है।

नमूना-जांचित छः जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-24 के दौरान सीपीग्राम पोर्टल के ज़रिए पीएमएवाई-जी से जुड़ी 326 शिकायतें[4] दर्ज की गईं और उनका निपटान किया गया। हालांकि, शिकायतों के प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि कोई अभिलेख संधारित नहीं थे।

---

4 प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतें--बोकारो: 70; दुमका: 37; गिरिडीह: 88; पलामू: 84; रामगढ़: 37 और सिमडेगा: 10.

जवाब में, आरडीडी ने (जून-2025) बताया कि पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी बताया गया कि सीपीग्राम में दर्ज सभी शिकायतों का समय पर निपटान किया जाता है।

अनुशंसा 9: राज्य सरकार राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर शिकायत निवारण और अनुश्रवण प्रणाली बना सकती है और उसे संचालित कर सकती है जैसा योजना के तहत परिकल्पित है।

5.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

एमओआरडी, भारत सरकार ने 2019-20 के दौरान एक जिले (पूर्वी सिंहभूम) में पीएमएवाई-जी का आतंरिक लेखापरीक्षा किया। एमओआरडी की आतंरिक लेखापरीक्षा शाखा ने बैंक खातों का समाशोधन न होना, एसएचजी द्वारा अनुश्रवण न होना, निधि का अवरोधन और विचलन जैसे मुद्दे देखे। हालांकि, उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार, यह देखा गया कि दिसंबर 2024 तक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन लंबित थे।

5.7 सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अनुश्रवण

पीएमएवाई-जी के एफएफआई राज्यों द्वारा एक समुदाय आधारित सहभागिता अनुश्रवण प्रणाली लागू करने का प्रावधान करता है। निर्मित आवासों की प्रगति और गुणवत्ता के सहभागिता अनुश्रवण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन (सीएसओ) के तहत एसएचजी नेटवर्क का प्रयोग किया जाना था।

हालांकि, एसपीएमयु द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी (दिसंबर 2024) से पता चला कि राज्य में समुदाय आधारित सहभागिता अनुश्रवण प्रणाली अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है।

जवाब में, आरडीडी ने (जून 2025) बताया कि योजना के कार्यान्वयन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर एसएचजी की मदद ली जाती है।

हालांकि, लेखापरीक्षा को सामुदायिक सहभागिता संबंधी कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं दिया गया।

5.8 निष्कर्ष

पीएमयू द्वारा राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर आवास से जुड़े कामों की निगरानी, जिसमें पीएमएवाई-जी को लागू करने के अवसंरचना के तहत अनिवार्य निरीक्षण भी शामिल थे, प्रभावी नहीं थे। ग्राम पंचायतों ने, योजना में परिकल्पित अपनी अहम भूमिका के बावजूद, किसी भी निरीक्षण और अनुश्रवण गतिविधि के समर्थन कोई अभिलेख का संधारण नहीं किया था।

2020-21 के दौरान 24 जिलों में से पांच जिलों (दुमका, गुमला, हजारीबाग, पलामू और साहिबगंज) के 77 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था। हालांकि, 2022-24 के दौरान शेष ग्राम पंचायतों/प्रखंडों/जिलों में कोई सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया, जिसके कारण योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं/कमियों और लाभार्थियों को आवास बनाने में आने वाली कठिनाईयों की पहचान नहीं हो पाई और समय पर उनका समाधान नहीं किया जा सका।

शिकायत निवारण और सामुदाय आधारित अनुश्रवण प्रणाली जैसे मुख्य अनुश्रवण तंत्र भी मौजूद नहीं पाए गए।

राँची **(इन्दु अग्रवाल)**

दिनांक: 24 अप्रैल 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 30 अप्रैल 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्टियां

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9; पृष्ठ 11)

जिलों, प्रखंडों, ग्राम पंचायतों एवं लाभार्थियों के चयन हेतु अपनाई गई सैम्पलिंग एवं सैम्पलिंग पद्धति का विवरण

जिले	राज्य के 24 जिलों में से छह जिलों (बोकारो, दुमका, गिरिडीह, पलामू, रामगढ़ और सिमडेगा) को राज्य के ज़ोन (ए से डी) से 'एक्सपेंडिचर ऐज़ साइज़' के साथ प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज़ विदाउट रिप्लेसमेंट (*पीपीएसडब्ल्यूओआर*) प्रणाली का इस्तेमाल कर चयन किया गया है।
प्रखंड	12 प्रखंड(हर चुने हुए ज़िले से दो प्रखंड) यानी बोकारो ज़िले के गोमिया और जरीडीह प्रखंड; दुमका ज़िले के जामा और सरैयाहाट प्रखंड; गिरिडीह ज़िले के देवरी और पीरटांड प्रखंड; पलामू ज़िले के हुसैनाबाद और नीलांबर-पीतांबरपुर; रामगढ़ ज़िले के दुलमी और मांडू प्रखंड; सिमडेगा ज़िले के कुरडेग और ठेठईटांगर प्रखंडको *पीपीएसडब्ल्यूओआर* प्रणाली का इस्तेमाल करके 'एक्सपेंडिचर ऐज़ साइज़' के साथ चुना गया है।
ग्राम पंचायतें	60 ग्राम पंचायतें अर्थात्–बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड से बारीडीह, कथारा, कोड़वाटांड़, होसिर पश्चिम, तुलबुल तथा जारिडीह प्रखंड से अरालडीह, बांधडीह उत्तर, चिलगड्डा, गैचांदा, खुटरी; दुमका जिला के जामा प्रखंड से आसनजोर, लागला, नवाडीह, सरसाबाद, टेंगधोवा तथा सरैयाहाट प्रखंड से केंदुआ, माथाकेशो, पत्थरा, रक्षा, सालजोरा; गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड से घस्करीडीह, हरला, मानिकबाद, नेकपुरा, तिलकडीह तथा पीरटांड़ प्रखंड से बड़गांव, खुंखरा, मधुबन, नवाडीह, पलंज, पलामू जिला से हुसैनाबाद प्रखंड से बनियाडीह बराही, डांगवार, देवरी कला, कुर्मीपुर, महुदंड तथा नीलांबर-पीतांबरपुर प्रखंड से हरतुआ, जुरू, नौडीहा, ओरिया कलां, राजहरा; रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखंड से होंहे, जामीरा, सिकनी, सिरू, सोसो तथा मांडू प्रखंड से आरा उत्तर, बसंतपुर, पिंद्रा, रतवे, सोंडीहा; सिमडेगा जिला के कुरडेग प्रखंड से बरकीबुआरा, चंद्रिमुंडा, खिंडा, कुरडेग, कुटमा कच्छार तथा ठेठईटांगर प्रखंड से बाघछत्ता, जोरम, कोरोमिया, ठेठईटांगर, टुकुपानी–का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज़ विदाउट रिप्लेसमेंट (*पीपीएसडब्ल्यूओआर*) के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या को आकार मानकर किया गया।
लाभार्थी सर्वेक्षण एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन	प्रत्येक चयनित प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अपने आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर चुके 50 लाभार्थियों का चयन लाभार्थी सर्वेक्षण एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए किया गया।
लाभार्थी अभिलेख	छह नमूना-जांचित जिलों के 12 प्रखंडों में 2,400 लाभार्थियों के अभिलेख (पूर्ण/अपूर्ण आवास) का विस्तृत परीक्षण हेतु चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, छह नमूना-जांचित जिलों की रिमांड सूचियों से 2,400 लाभार्थियों के रिमांड मामलों के परीक्षण हेतु यादृच्छिक रूप से चयन किया गया।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.2; पृष्ठ 34)

पंजीकरण पुस्तिका (2016) के अनुसार लाभार्थियों के पंजीकरण के समय अपेक्षित जानकारी

1. लाभार्थियों का व्यक्तिगत विवरण
2. बैंक खाते का विवरण
3. अभिसरण से संबंधित विवरण
4. दिव्यांगता से संबंधित विवरण
5. पीएमएवाई-जी पहचान संख्या
6. प्राथमिकता सूची के अनुसार प्राथमिकता क्रमांक
7. जॉब कार्ड का विवरण
8. स्वच्छ भारत मिशन संख्या
9. राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा क्षेत्र हेतु विकसित आवास डिज़ाइन टाइपोलॉजी को अपनाने की सहमति आदि
10. पूर्व में निर्मित आवास सहित फोटो
11. प्राथमिकता क्रमांक
12. निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्राथमिकता सूची से लाभार्थियों के चयन के संबंध में बीडीओ द्वारा पंचायत सेवक को जारी पत्र
13. बैंक खातों का सत्यापन
14. लाभार्थियों के साथ बैठक की तिथि तथा जिन दिनों में बैठकें आयोजित की गईं, उनकी कुल संख्या
15. आवास स्वीकृति के पश्चात प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु बीडीओ द्वारा लाभार्थियों को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप
16. लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण की अवधि की घोषणा से संबंधित शपथ-पत्र का प्रारूप
17. निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवास पूर्ण न होने की स्थिति में जारी की जाने वाली सूचना का प्रारूप आदि

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3; पृष्ठ 36)

नमूना-जांचित जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान पूर्ण किए गए पीएमएवाई-जी आवास

क्र. सं.	जिला	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
1	बोकारो	10,850	8,828	13,193	14,089	1,024	47,984
2	दुमका	12,125	14,260	26,269	17,778	2,254	72,686
3	गिरिडीह	12,681	18,446	19,187	25,070	2,805	78,189
4	पलामू	13,601	18,990	24,038	46,814	7,323	1,10,766
5	रामगढ	3,141	2,391	4,570	3,280	272	13,654
6	सिमडेगा	3,118	7,905	9,120	10,560	733	31,436
	कुल	**55,516**	**70,820**	**96,377**	**1,17,591**	**14,411**	**3,54,715**

(स्रोत: आवाससॉफ्ट)

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.1; पृष्ठ 66)

पीएमयु (राज्य/जिला/प्रखंड) में स्वीकृत पद-संख्या एवं कार्यरत कार्मिकों की स्थिति

एसपीएमयु	स्वीकृत पद-संख्या	वास्तविक स्थिति	डीपीएमयु	स्वीकृत पद-संख्या	वास्तविक स्थिति	बीपीएमयु	स्वीकृत पद-संख्या	वास्तविक स्थिति
राज्य नोडल अधिकारी - पीएमयू प्रमुख	1	1	पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारी	1	1	पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारी	1	1
आवास निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञ	1	1	निर्माण क्षेत्र में तकनीकी प्रोफेशनल	1	0	एमआईएस आंकड़ों एंट्री ऑपरेटर	1	1
आईटी/एमआईएस/पीएफएमएस के क्षेत्र में विशेषज्ञ	1	2*	आईटी प्रोफेशनल	1	0	तकनीकी सहायक कर्मी	1	0
वित्तीय मामलों में विशेषज्ञ	1	2**	प्रशिक्षण समन्वयक	1	1			
सामाजिक गतिशीलता (सोशल मोबिलाइज़ेशन) में विशेषज्ञ	1	1	सहायक कर्मी	1	1 (कंप्यूटर ऑपरेटर)			
प्रशिक्षण समन्वयक	1	1						
आवश्यकता अनुसार सहायक कर्मी		2 (कंप्यूटर ऑपरेटर)						

***एक राज्य समन्वयक (आईटी) पीएमयू में भी नियुक्त**

****एक सहायक वित्त प्रबंधक भी नियुक्त**

स्रोत: पीएमएवाई-जी के एफएफआई के अनुसार पीएमयू की स्वीकृत पद-संख्या तथा राज्य/जिलों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कार्यरत कार्मिकों की स्थिति

प्रतिवेदन में प्रयुक्त संक्षिप्त रूपों की शब्दावली

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एएपी	वार्षिक कार्य योजना
बीडीओ	प्रखंड विकास पदाधिकारी
बीपीएमयू	प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
बीएसबीआरएएवाई	बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर आवास योजना
सीए	चार्टर्ड अकाउंटेंट
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
सीपीग्राम	केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और अनुश्रवण प्रणाली
सीएसडीसीआई	भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद
डीएसी	जिला अपीलीय समिति
डीबीटी	डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
डीसी	उपायुक्त
डीडीसी	डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर
डीएलसी	जिला स्तरीय समिति
डीपीएमयू	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
एफएफआई	कार्यान्वयन की रुपरेखा
एफटीओ	निधि हस्तांतरण आदेश
भा.स.	भारत सरकार
झा.स.	झारखण्ड सरकार
ग्रा.पं.	ग्राम पंचायत
एचजीएनएसजे	हर आवास नल से जल
एचएच	परिवार
आईएपी	एकीकृत कार्य योजना
आईएवाई	इंदिरा आवास योजना
जेपीवी	संयुक्त भौतिक सत्यापन
एलडब्ल्यूई	वामपंथ उग्रवाद
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
पीएफएमएस	पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम
पीएमएवाई-जी	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई
पीपीएसडब्ल्यूओआर	प्रतिस्थापन के बिना आकार के अनुपात में संभाव्यता
पीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन
पीडब्ल्यूएल	स्थाई प्रतीक्षा सूची
आरडीडी	ग्रामीण विकास विभाग
आरएचआईएसएस	ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना
एसईसीसी	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना
एसएचजी	स्वंय सहायता समुह
एसएनए	राज्य नोडल खाते
एसपीएमयू	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi